

वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14



सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय-वस्तु

I.	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र: एक परिदृश्य	1-8
II.	दूरसंचार आयोग	9
III.	दूरसंचार विभाग	11-32
III. 1.	बेतार आयोजना एवं समन्वय	33-36
III. 2.	दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र	37-39
III. 3.	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	40-44
III. 4.	संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	45-51
III. 5.	सतर्कता संबंधी कार्यकलाप	52-53
III. 6.	दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी	54-57
III. 7.	महिला सशक्तिकरण	58-60
III. 8.	निःशक्त जन	61-62
III. 9.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	63-64
IV.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	65-68
V.	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण	69-70
VI.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियाँ	71
VII.	टेलीमेटिक्स विकास केंद्र	73-76
VIII.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	77
VIII. 1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	79-83
VIII. 2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	85-90
VIII. 3.	आई टी आई लिमिटेड	91-94
VIII. 4.	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	95-96
VIII. 5.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	97
IX.	सांख्यिकीय परिशिष्ट	99-103
X.	परिवर्णी-शब्द	105-108
XI.	संगठनात्मक चार्ट	109
	अनुबंध	110-130



I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र: एक परिदृश्य

एक उत्तरोत्तर ज्ञान सघन विश्व में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संचार एक आवश्यक बुनियादी सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। देश के सभी भागों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच एक अभिनव और तकनीकी रूप से संचालित समाज के विकास का अभिन्न अंग है। अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि एक देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं के प्रभार के बीच एक सकारात्मक संबंध है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किये गए उपायों के परिणाम के रूप में, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है तथा चीन के बाद यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है।


वर्तमान स्थिति

टेलीफोनों की संख्या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 898.02 मिलियन से बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 933.02 मिलियन हो गई है।

दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति (दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार)

- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है।
- देश में 904.52 मिलियन वॉयरलैस टेलीफोन कनेक्शनों समेत, 933.02 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन हैं।
- देश में समग्र टेलीघनत्व 75.23% हो गया है।
- शहरी टेलीघनत्व 145.46% है जबकि ग्रामीण टेलीघनत्व 44.01% है।
- कुल टेलीफोनों में वॉयरलैस टेलीफोनों का हिस्सा 96.95% है।
- कुल टेलीफोनों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 87.13% है।
- ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 60.87% है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, सितम्बर महीने में छोड़कर हर महीने में टेलीफोन कनेक्शनों में वृद्धि हुई है। नीचे दिया गया चार्ट वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक माह के अंत में कनेक्शनों की संख्या को इंगित करता है।





वॉयरलाइन बेतार वॉयरलैस

जबकि वॉयरलैस टेलीफोनों की संख्या निरंतर बढ़ती रही, वहीं लैंडलाइन टेलिफोनों में गिरावट जारी रही। लैंडलाइन टेलीफोन की संख्या जो वर्ष 2013-14 की शुरुआत में 30.21 मिलियन थी वह मार्च 2014 की समाप्ति तक कम होकर 28.50 मिलियन हो गई। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान वॉयरलैस टेलीफोन की संख्या 867.81 मिलियन से बढ़कर 904.52 मिलियन हो गयी। परिणामस्वरूप, वॉयरलैस टेलीफोन का शेयर 01.04.2013 के 96.64 प्रतिशत से बढ़कर 31.03.2014 तक 96.95 प्रतिशत हो गया था।

निजी बनाम सार्वजनिक

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों के टेलीफोनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के टेलीफोन की कुल संख्या 01.04.2013 में 767.91 मिलियन से मार्च 2014 के अंत तक 812.96 मिलियन की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीफोनों की संख्या इस अवधि के दौरान 130.11 मिलियन से घटकर 120.05 मिलियन हो गई। परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 85.51 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2014 के अंत तक 87.13 प्रतिशत हो गई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान 14.49 प्रतिशत से घटकर 12.87 प्रतिशत रह गई। निजी क्षेत्र, अब, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र (सारणी) पर हावी है।


सारणी: दूरसंचार विकास सूचक

क्र. सं.	मद		मार्च के अंत तक			
			2011	2012	2013	2014
1	टेलीफोनों की संख्या (मिलियन में)	समग्र	846.33	951.35	898.02	933.02
2		वॉयर लाइन	34.73	32.17	30.21	28.50
3		वॉयर लैस	811.60	919.17	867.81	904.52
4		ग्रामीण	282.29	330.83	349.21	377.78
5		शहरी	564.04	620.52	548.80	555.23
6	टेलीघनत्व (प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन)	समग्र	70.89	78.66	73.32	75.23
7		ग्रामीण	33.83	39.26	41.05	44.01
8		शहरी	156.93	169.17	146.64	145.46
9	% हिस्सेदारी	वॉयर लैस	95.90	96.62	96.64	96.95
10		सार्वजनिक	14.89	13.69	14.49	12.87
11		निजी	85.11	86.31	85.51	87.13
12	पिछले वर्ष की तुलना में कुल टेलीफोनों का वृद्धि %		36.22	12.41	(-)5.61	3.90



टेलीघनत्व

टेलीघनत्व, जोकि प्रति 100 जनसंख्या में टेलीफोनों की संख्या को दर्शाता है, देश में टेलीफोनों की उपलब्धता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। टेलीघनत्व, जोकि 1 अप्रैल, 2013 की समाप्ति पर 73.32% था, मार्च, 2014 में बढ़कर 75.23% हो गया। इस अवधि के दौरान ग्रामीण टेलीघनत्व 41.05 प्रतिशत से बढ़कर 44.01 प्रतिशत हो गया, तथापि शहरी टेलीघनत्व में इस अवधि के दौरान 146.64 प्रतिशत से 145.46 प्रतिशत तक गिरावट देखने में आई। दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में तमिलनाडु (111.14%) में सबसे अधिक टेलीघनत्व है उसके बाद पंजाब (107.23%) हिमाचल प्रदेश (105.59%), केरल (96.19%) और कर्नाटक (92.45%) हैं। दूसरी ओर, बिहार (46.10%), असम (48.74%), मध्य प्रदेश (56.24%), उत्तर प्रदेश (57.13%), जम्मू एवं कश्मीर (66.80%) और पश्चिम बंगाल (55.13%) के साथ तुलनात्मक रूप से कम टेलीघनत्व वाले सेवा क्षेत्र हैं। तीन महानगरों में से 226.85% के साथ दिल्ली का टेलीघनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद मुंबई (151.90%) और कोलकाता (142.67%) आते हैं। टेली घनत्व में निम्नलिखित सारणी पिछले वर्षों के रुझान को इंगित करती है।



राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012)

सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) को घोषित किया है। नीति का प्रमुख उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत तथा वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत तक ग्रामीण टेलीघनत्व, कम से कम 2 एमबीपीएस की उपलब्ध गति पर 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 2020 तक 600 मिलियन की वृद्धि शामिल है और मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की गति पर उच्चतम गति उपलब्ध कराना



है। एनडीटी-2012 के अनुसार, एकीकृत लाइसेंस, विलय और अधिग्रहण के दिशा-निर्देश, स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण पर स्पष्टता तथा नीलामी दूरसंचार क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में है।

एकीकृत लाइसेंस

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सेवाओं तथा सेवा क्षेत्रों में एक राष्ट्र-एक लाइसेंस के सृजन हेतु एनडीपी-2102 के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एकीकृत लाइसेंस पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्पेक्ट्रम का आबंटन लाइसेंस से है तथा निर्धारित प्रक्रियाएं यानि बोली प्रक्रियाओं के अनुसार पृथक रूप से प्राप्त किया जाना है। पूरे देश में सभी दूर संचार सेवाओं हेतु केवल एक एकीकृत लाइसेंस आवश्यक है। इसके अलावा, विभिन्न सेवाओं [जैसे अभिगम सेवाओं, लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवाओं, लम्बी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) सेवाओं] हेतु अलग से प्राधिकरण आवश्यक होगा। एकीकृत लाइसेंस (सभी सेवाओं) की श्रेणी के लिए एकल प्राधिकरण आईएसपी (ख) तथा आईएसपी (ग) सेवाओं के अलावा सभी दूरसंचार सेवाओं को शामिल करेगा। इस तरह के प्राधिकरण का कार्यकाल एकीकृत लाइसेंस के साथ चलेगा। इसके अलावा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं हेतु प्रवेश शुल्क काफी कम हो गया है।

विलय और एकीकरण नीति

दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न लाइसेंस धारक कंपनियों के विलय और एकीकरण हेतु एक संशोधित नीति को 20.2.2014 को जारी किया गया है। यह विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न कंपनियों के विलय, एकीकरण तथा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप लाइसेंस के हस्तांतरण को सुलभ बनाएगा। लाइसेंस के हस्तांतरण और विलय हेतु बाजार हिस्सेदारी सीमा वर्तमान 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है अर्थात् संबंधित सेवाक्षेत्र में संयुक्त इकाई की बाजार हिस्सेदारी जहां 50 प्रतिशत तक है वहां विलय की अनुमति दी जाएगी।

स्पेक्ट्रम नीलामी

एसटीपी-2012 में बाजार से संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी ढंग से स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता तथा इसके आबंटन की परिकल्पना की गई है। 900 मेगाहर्टज बैंड तथा 1800 मेगाहर्टज बैंड में नीलामी फरवरी 2014 के दौरान आयोजित की गई। 1800 मेगाहर्टज बैंड की श्रेणी में 385.2 मेगाहर्टज में से 307.2 मेगाहर्टज को बेच दिया गया था। 900 मेगाहर्टज में 46 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता सेवा क्षेत्रों में नीलामी हेतु रखा गया था और सभी स्पेक्ट्रम को बेच दिया गया था। स्पेक्ट्रम की नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई 61162 करोड़ रुपये की कुल राशि आरक्षित मूल्य पर प्रस्तावित स्पेक्ट्रम की कीमत का 27.6 प्रतिशत अधिक थी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति

एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने तथा क्षेत्र को और अधिक आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल बनाने हेतु सरकार ने 22.8.2013 को दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से 100 प्रतिशत बढ़ाया है। यह उपाय दूरसंचार लाइसेंसधारियों को इक्विटी मजबूत बनाने तथा बाजार से घरेलू और साथ ही विदेशी कर्ज जुटाने के लिए सुविधा होगी। अवसंरचना उप-क्षेत्र की संगत मास्टर सूची के तहत दूरसंचार तथा दूरसंचार सेवाओं को शामिल किया गया है तथा अवसंरचना को ऋण देने के लिए अर्हता प्राप्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक



ने विदेशी वाणिज्यिक ऊधारी (ईसीबी) का लाभ उठाने के उद्देश्य हेतु अवसंरचना क्षेत्र के लिए मौजूदा परिभाषा का विस्तार किया है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)

ग्रामीण टेलीफोनी के प्रोत्साहन हेतु, जून, 2002 में सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना की। तदुपरान्त, यूएसओएफ के दायरे को व्यापक बनाया गया था जिससे मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर जैसी अवसंरचना के निर्माण सहित टेलीग्राफ सेवाओं के सभी प्रकार के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए राज सहायता प्रदान की जा सके। इसलिए देश के ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु यूएसओएफ द्वारा विभिन्न स्कीमों को शुरू किया गया है। 2013-14 में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) संग्रह ₹ 7885 करोड़ था तथा उक्त अवधि के लिए वितरित की गई राजसहायता ₹ 2163.45 करोड़ थी। 31.03.2014 को यूएसओएफ उपार्जन हेतु संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यूएएल राशि का समापन शेष ₹ 33,671.69 करोड़ था।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रमुख रूप से राज्यों की राजधानियों, जिलों तथा ब्लॉकों तक पहुंच गया है। देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नामक एक परियोजना को मंजूरी दी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसे मोबाइल, इंटरनेट तथा केबल टीवी को भेदभाव रहित नेटवर्क पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना एक वित्तीय प्रयोजन वाहन (एसपीवी), अर्थात् भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के द्वारा चलाया जा रहा है। अजमेर जिला (राजस्थान) के अरियन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा के पाणिसागर ब्लॉक तथा विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) के परावदा ब्लॉक की सभी 59 ग्राम पंचायतों को कवर करने हेतु तीन पायलेट, परियोजना को पूर्ण किया जा चुका है। मार्च 2014 के अंत तक परियोजना के तहत वितरित राशि ₹ 919.00 करोड़ है। दिसम्बर, 2016 तक एनओएफएन परियोजना पूरा होने की संभावना है।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं

सरकार ने 9 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में पहचान किए गए 2199 स्थानों पर मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु ₹ 3046 करोड़ की लागत से एक प्रस्ताव 4 जून 2013 को अनुमोदित किया। यह कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपा गया था तथा परियोजना को पांच वर्षों हेतु यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम

निर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जहां पर कोई नियत वॉयरलैस या मोबाइल कवरेज नहीं थी उनमें मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु 27 राज्यों में फैले हुए 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों की स्थापना तथा प्रबंधन हेतु राजसहायता प्रदान करने के लिए यूएसओएफ द्वारा साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम को प्रारंभ किया गया था। योजना के बंद होने तक (30.11.2013 तक) 7317 टॉवरों को स्थापित किया गया था। इस सृजित अवसंरचना को मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझाकृत किया जा रहा है। मोबाइल



सेवाओं के प्रावधानीकरण हेतु इन टॉवरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा 16,254 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) को संचालित किया जा चुका है।

ग्रामीण वॉयर लाइन ब्रॉडबैंड योजना

ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में गांव स्तर तक वॉयर लाइन ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए, यूएसओएफ ने बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे वॉयरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत उपलब्ध ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना तथा कापर लाइन नेटवर्क बिछाने के द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वॉयरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस हो जाएगी। इस स्कीम के तहत, बीएसएनएल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को तथा सरकारी संस्थानों को वर्ष 2015 तक 8,88,832 वॉयर-लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना है तथा 28,672 कियोस्क स्थापित करने हैं। 31.03.14 तक ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में कुल 5,89,783 ब्रॉडबैंड कनेक्शनों को प्रदान किया जा चुका है तथा 14186 कियोस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 31.3.2014 तक वॉयर-लाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत वितरित की गई राजसहायता ₹ 329.55 करोड़ है।

विनियामक रूपरेखा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का हमेशा से नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने क्रम में बेहतर गुणवत्ता तथा कम कीमत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। 2013-14 के दौरान ट्राई द्वारा विभिन्न दूरसंचार मुद्दों पर अनेक सिफारिशों की गई थी। ट्राई ने रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरक्नेक्शन (पीओआई) कन्जेशन तथा तिमाही आधार पर बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के इंटरक्नेक्शन के अनुवीक्षण द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। ट्राई द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों ने स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के अलावा निवेश क्षमता बढ़ाने को सुगम बनाया है।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

सी-डॉट एक स्वायत्त निकाय है जो दूरसंचार विभाग तथा अनुसंधान और विकास का आधार है। यह संगठन 26 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। यह निकाय लागत प्रभावी, स्वदेशी तौर पर विकसित और अद्यतन कुल दूरसंचार समाधान प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। सी-डॉट दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनेक क्षेत्रों जैसे उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वॉयरलैस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेलुलर प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है।

सी-डॉट को कार्यनीतिक अनुप्रयोगों हेतु दूरसंचार सुरक्षा एवं सुरक्षित नेटवर्क हेतु केन्द्रीय निगरानी प्रणाली जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का कार्य भी सौंपा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रम हैं। ये उपक्रम हैं :

- i) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
- ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)



- iii) आईटीआई लिमिटेड
- iv) दूरसंचार कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
- v) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)

एमटीएनएल की 1986 में स्थापना की गई थी, यह एक नवरत्न पीएसयू है जोकि भारत के मुख्य महानगरों दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। एमटीएनएल ने दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवाओं का मुख्य प्रदाता है और दिल्ली शहर समेत समीपवर्ती शहरों नोएडा, गुडगाँव, फरीदाबाद एवं गाजियाबाद तथा मुंबई शहर समेत मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, जोकि इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, में जीएसएम सेवाओं का मुख्य प्रदाता है। एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क में तीन प्रकार की सेवाएं यानी वॉयस, उच्च गति ईंटरनेट और आईपीटीवी उपलब्ध करवा रहा है। फिलहाल, इसके 56.25% ईक्विटी शेयर भारत सरकार के पास हैं और शेष 43.75% शेयर एफआईआई, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्युचुअल फंड और व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्य के पास हैं। गत वर्ष के ₹ 3783.12 करोड़ के कारोबार की तुलना में एमटीएनएल का वर्ष 2013–14 का कारोबार ₹ 3872.15 करोड़ का था। एमटीएनएल ने वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 7820.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

बीएसएनएल का गठन अक्तूबर, 2000 में किया गया। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। यह दिल्ली एवं मुंबई को छोड़कर देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम सेवाएं, ब्रॉडबैंड, ईंटरनेट, पट्टाकृत सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण टेलीफोनी बीएसएनएल का एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बीएसएनएल पूर्वोत्तर तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास पर भी विशेष बल देता है। बीएसएनएल ने वर्ष 2013–14 के दौरान 28325 करोड़ रूपए का कारोबार किया और ₹ 7084 करोड़ की हानि वहन की।

आईटीआई लिमिटेड की तत्कालीन दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति करने के लिए वर्ष 1948 में स्थापना की गई। आईटीआई ने अपने प्रचालन वर्ष 1948 में बंगलौर में प्रारंभ किए जिनका जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली एवं मनकापुर और केरल में पलक्कड में निर्माण संयंत्र की स्थापना करके अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया। विभिन्न स्थानों पर ईंधन संयंत्रों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को बढ़ाना था बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी था। वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी का सकल कारोबार ₹ 810 करोड़ था और इसने ₹ 344 करोड़ की हानि वहन की।

टीसीआईएल भारत के पूर्ण स्वामित्व में टीसीआईएल की स्थापना वर्ष 1978 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, समुचित विपणन कार्यनीतियाँ विकसित करके घरेलू बाजारों तथा विदेशों में इसके प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करना और सतत आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करना था। टीसीआईएल एक लाभ कमाने वाला पीएसयू है। कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 815 करोड़ का कारोबार किया जिसमें ₹ 19.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया।



बीबीएनएल

लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु सरकार द्वारा एनओएफएन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25.02.2012 को एक विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात्, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को प्रारंभ किया गया था।

भावी नीति

दूरसंचार विभाग की भावी नीति कहीं भी, कभी भी, तीव्र समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली समेकित दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराना है। दूरसंचार विभाग समूचे देश में सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराकर लोकहित को अधिकतम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। इस देश के नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार सेवाओं की उपलब्धता भावी नीति के मूल में है।

राष्ट्र को इसकी विशालता तथा विविधता में सेवा के लिए इस देश के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र और पिछड़े राज्यों में अनुप्रयुक्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ मदद की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण राष्ट्र को एकता में बांधते हैं, नागरिक को सरकारी सेवाएं देने के लिए तथा राष्ट्र को जोड़ने हेतु उच्च गति डिजीटल राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रावधान किए जायेंगे। संचार के क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने तथा शिक्षा और रोजगार सृजन में चुनौतियों पर काबू पाने हेतु स्थिर होने की आवश्यकता है। विधायी ढांचे और लाइसेंस के सिद्धांतों में तेजी से तकनीकी परिवर्तन के लिए समायोजन और नवाचार को प्रोत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, प्रक्रियाओं तथा कार्यविधि को आसान बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करने को सुविधाजनक बनाने की सहायता सहित अन्य क्षेत्र के साथ संबंधों का निर्माण करने की आवश्यकता है।





II. दूरसंचार आयोग

दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित दिनांक 11 अप्रैल, 1989 के संकल्प द्वारा दूरसंचार आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य हैं जोकि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं। इनके अलावा, चार अंशकालिक सदस्य भी हैं जोकि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान अध्यक्ष तथा चार पूर्ण कालिक सदस्य सहित इस आयोग का मौजूदा संघटक निम्नवत् है:

पद	धारित पद के व्यक्ति का नाम	(तिथि) से पद धारित किए हैं
अध्यक्ष	श्री एम.एफ. फारुकी	01.04.2013
सदस्य (वित्त)	सुश्री ऐनी मौरिस	05.09.2013
सदस्य (उत्पादन)	रिक्त	—
सदस्य (सेवाएँ)	श्री एस.सी. मिश्रा	17.03.2010
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री अनिल कौशल	03.04.2013

इसके अंशकालिक सदस्य हैं:—

- सचिव, इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- सचिव, योजना आयोग
- सचिव, आर्थिक कार्य मामलें विभाग
- सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

दूरसंचार आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं:

- सरकार के अनुमोदन हेतु दूरसंचार विभाग की नीति तैयार करना।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार विभाग का बजट तैयार करना और इसे सरकार से अनुमोदित करवाना।
- दूरसंचार विभाग से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीति को क्रियान्वित करना।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग, नीति बनाने, कार्य इंटरक्नेक्शन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास के लिए उत्तरदायी है और यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंटन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। भारत सरकार (कार्य आबंटन), नियमावली, 1961 के अंतर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- (i) टेलीग्राफ, टेलीफोन, वॉयरलैस, डाटा, फ़ैसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
- (ii) टेलीकाम नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित नियमों को तैयार करना तथा सुरक्षा संस्थानों के साथ समन्वय।
- (iii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा स्पेक्ट्रम आबंटन।
- दूरसंचार से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय।
- दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
- दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- निम्नलिखित कार्यों सहित संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता जिसमें संस्थानों को सहायता, वैज्ञानिक संस्थानों को सहायता और वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है।
- दूरसंचार आयोग।
- इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः
 - (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) और समय-समय पर संशोधन
 - (ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), और समय-समय पर संशोधन
 - (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) और समय-समय पर संशोधन
- विनिवेश के बाद मैसर्स हिंदुस्तान टेलीप्रिन्टर्स से संबंधित मामलों।
- पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित शेष कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
- भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलन होने तक समूह "क" और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण संबंधी कार्य।



- सांविधिक निकाय
 - (i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)
 - (ii) दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय अधिकरण।
- (क) सम्बद्ध कार्यालय
 - (i) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी)
 - (ii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)
- (ख) अधीनस्थ कार्यालय
 - बेतार अनुवीक्षण संगठन (डब्ल्यूएमओ)
- (क) सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू)
 - (i) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
 - (ii) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
 - (iii) दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
 - (iv) भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई)
 - (v) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)
- (ख) स्वायत्त निकाय
 - टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)
- क्षेत्रीय कार्यालय
 - (i) संपूर्ण भारत में संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) के 26 कार्यालय
 - (ii) संपूर्ण भारत में दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन प्रबंधन के 32 प्रकोष्ठ।

लाइसेंस प्रदान करना

यह विभाग सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों एवं दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करता है।

एकीकृत लाइसेंस

एनटीपी 2012 में परिकल्पित एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था है की 19 अगस्त 2013 को दिशा-निर्देशों के जारी होने के साथ शुरुआत की गई थी। यह व्यवस्था, उस व्यवस्था के साथ जहां सभी सेवाएं उच्च पात्रता तथा अन्य आवश्यकताओं के साथ अनिवार्य है की तुलना में प्रस्ताव पर सेवाओं में एक या अधिक सेवाओं सहित बाजार में प्रवेश की आवश्यकता सहित कैफेटरिया दृष्टिकोण (जो खाना चाहे उसका भुगतान करें) समर्थित सेवा प्रदाताओं का अनुकरण करती है। एकीकृत लाइसेंस एक से अधिक या सभी विद्यमान सेवाओं जैसे कि अभिगम सेवाएं, आइएलडी, एनएलडी, आइएसपी श्रेणी 'क' आइएसपी श्रेणी 'ख' आइएसपी श्रेणी 'ग' पीएमआरटीएस, जीएमपीसीएस, पीएसएटी, आईएनएसएटी, एमएमएस, आर, आईपीएलसी को चुनने का विकल्प प्रदान करता है।

अभिगम सेवाओं के लिए, देश को 22 सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें 19 दूरसंचार सेवा क्षेत्र तथा 3 महानगर सेवा क्षेत्र शामिल हैं। आइएसपी श्रेणी 'क' का संपूर्ण देश में भौगोलिक अधिकार क्षेत्र है जबकि आइएसपी



श्रेणी 'ख' – का 22 सेवा क्षेत्रों से एक का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र है जबकि आइएसपी श्रेणी 'ग' का सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए) हैं। एकीकृत लाइसेंस की मुख्य विशेषताएं हैं:

- यह एक एकल लाइसेंस है तथा वर्तमान में सेवा क्षेत्र में या राष्ट्रीय स्तर पर वितरित की जा रही सभी दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान को सक्षम बनाता है। अतः पृथक यूएल (राष्ट्रीय), यूएल (सेवा क्षेत्र), श्रेणी लाइसेंस तथा प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।
- लाइसेंस अपनी व्यवसाय आवश्यकता के अनुसार सेवाओं के किसी भी संख्या हेतु प्राधिकरण की मांग से एक लाइसेंस द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- एकीकृत लाइसेंस स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु लाइसेंसधारी का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। स्पेक्ट्रम को समय-समय पर निर्धारित रूप में उक्त स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क तथा आबंटन के लिए भुगतान हेतु स्पेक्ट्रम की निर्दिष्ट प्रक्रिया, निर्देशों, नियम तथा शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। वे सेवाएं जिन्हें स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके प्रदान किया जा सकता है वे एकीकृत लाइसेंस के नियम और शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे। इसके अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु संबंधित एमआईए प्रासंगिक नियम और शर्तों को एकीकृत लाइसेंस का अभिन्न भाग बनाया जाएगा।
- एकीकृत लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तर (22 सेवा क्षेत्रों) में क्रियान्वित किया जाना है। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं उदाहरण के तौर पर आईएलडी, एनएलडी, आईएसी श्रेणी 'क' वीएसएटी, आईएनएसएटी, एमएसएस-आर तथा जीएमपीसीएस आदि जहां सेवा क्षेत्रों में विभाजन संभव नहीं है। अतः सेवा क्षेत्र के अलावा लाइसेंस अवधारणा को भी लाइसेंस में पेश किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से सभी सेवा क्षेत्रों का योग लाइसेंस क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रदान करने में मदद करेगा।
- एकीकृत लाइसेंस में सभी रोल आउट दायित्व को स्पेक्ट्रम आबंटन से जोड़ा जाएगा। बिना स्पेक्ट्रम के यूएल कोई भी दायित्व लागू नहीं करता है।
- न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रवेश शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर होगा।

एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था हेतु मौजूदा लाइसेंस के लिए एक अन्तरण व्यवस्था की भी घोषणा की गई है।

कैरियर सेवाएं

लंबी दूरी की राष्ट्रीय (एनएलडी) सेवा तथा लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा (आईएलडी) हेतु लाइसेंस

स्वतंत्र स्पर्धा अप्रैल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) तथा अगस्त 2002 में राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा की शुरुआत की घोषणा के पश्चात, सरकार ने 27 आईएलडी सेवा लाइसेंसों तथा 34 एनएलडी सेवा लाइसेंसों को जारी किया है। आवेदक कंपनी द्वारा एनएलडी सेवा तथा आईएलडी सेवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नेटवर्क तथा भुगतान हेतु पूंजी आवश्यकता प्रत्येक के लिए ₹ 2.5 करोड़ हैं।

एनएलडी के साथ-साथ आईएलडी सेवा हेतु वार्षिक लाइसेंस शुल्क को अप्रैल, 2013 से यूएसओ योगदान, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) हेतु 8% बढ़ाया जा चुका है। एनएलडी सेवा प्रचालकों के लिए कोई अनिवार्य



रोल आउट बाध्यता नहीं है। आईएलडी सेवा प्रचालकों के लिए रोल आउट बाध्यता तीन वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम एक आईएलडी सेवा गेटवे की स्थापना करना है।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 (आईपी-1) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 पंजीकरण के तहत, कंपनी लाइसेंसशुदा दूरसंचार प्रदाताओं को डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डस्ट स्पेस और टावर आदि प्रदान कर सकती है। 31.03.2014 तक 433 कंपनियां अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 के रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं।

वॉयस मेल/आडियोटैक्स/एकीकृत संदेश सेवा

वॉयस मेल/आडियोटैक्स सेवा/एकीकृत संदेश सेवा के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। वॉयस मेल/आडियोटैक्स सेवा/एकीकृत संदेश सेवा (यूएमएस) प्रदान करने के लिए 35 लाइसेंसों को जारी किया जा चुका है।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवा

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवा प्रदान करने के लिए 4 महानगरों और 9 सर्किलों में 24 लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं।

उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार

उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार (जीएमपीसीएस) लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ अंतरमंत्रालयी समिति जिसमें सचिव (टी), मंत्रिमंडल सचिवालय, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (अंतरिक्ष विभाग) एवं सचिव (आसूचना ब्यूरो) शामिल होते हैं द्वारा सुरक्षा दृष्टि से अनापत्ति प्रस्ताव भी शामिल है। प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी जीएमपीसीएस भूमि स्टेशन (गेटवे) की स्थापना भी शामिल है।

इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाएं

दिनांक 19.8.2013 एकीकृत लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं को स्वीकृत लाइसेंस में शामिल किया गया है। तदनुसार 19.08.2013 से आईएसपी प्राधिकरण सहित स्वीकृत लाइसेंस को इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान हेतु प्रदान किया जाता है।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट सेवाओं के लिए 365 लाइसेंसधारक थे जिनमें से 97 'क' श्रेणी के लाइसेंसधारक, 149 'ख' श्रेणी के लाइसेंसधारक और 119 'ग' श्रेणी के लाइसेंसधारक शामिल हैं। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार आईएसपी प्रमाणन के लिए एकीकृत लाइसेंस के तहत 23 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सर्विसेज

भारत की क्षेत्रीय सीमा के अंदर इनसैट उपग्रह का उपयोग करते हुए वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) के लिए गैर-अनन्य आधार पर लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। वी सैट लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक वी सैट एवं केंद्रीय हब का उपयोग करते हुए पुरे भारत में फैली विभिन्न साइटों के बीच संवृत उपभोक्ता समूह (सीयूजी) के अंदर डाटा कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। वी सैट लाइसेंसों की दो श्रेणी है:

- कैंप्टिव सीयूजी वी सैट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारक कंपनी केवल अपने आंतरिक प्रयोग के लिए वी सैट



नेटवर्क स्थापित कर सकती है। दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार, कुल 35 कैप्टिव सीयूजी वी सैट नेटवर्क थे।

- वाणिज्यिक सीयूजी वी सैट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारक कंपनी वाणिज्यिक आधार पर अनेक सीयूजी के लिए सीयूजी वी सैट सेवा प्रदान कर सकती है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक सीयूजी वी सैट सेवाओं के लिए 11 लाइसेंस थे।

आपदा प्रबंधन

उत्तराखंड में जून, 2013 में आयी प्राकृतिक आपदा के उपरांत, प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का पुनः प्रवर्तन करने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई और अधिकांश सेवाओं को तत्काल चालू कर दिया गया। दूरसंचार सुविधाओं, विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में बीटीएस की स्थिति की निगरानी के दैनिक आधार पर की जाती है।

इसके अलावा, आपदा प्रभावित लोगों और उनके रिश्तेदारों की सहायता करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। दूरसंचार प्रचालकों को हेल्पलाइन नंबर शुरू करने तथा उन्हें चालू रखने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। उन्हें गुमशुदा हुए व्यक्ति के रिश्तेदारों/मित्रों से अनुरोध प्राप्त होने पर अंतिम स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने का भी निदेश दिया गया है।

नेटवर्क और प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ

इंटरनेट आज एक वैश्विक नेटवर्क बन चुका है जो पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है और यह इंटरनेट प्रोटोकॉल की व्यापक स्वीकार्यता के चलते हुआ है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मौजूदा संस्करण आईपीवी4 है जो 35 वर्ष पुराना है और इसकी अनेक सीमाएं हैं। इस संस्करण की सबसे बड़ी सीमा इसका 32-बिट एड्रेस स्पेस है जिसमें केवल 4.3 करोड़ एड्रेस शामिल किए जा सकते हैं। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल उपभोक्ता की संख्या में तेजी से होती वृद्धि और एनजीएन प्रौद्योगिकी की तैनाती के परिणामस्वरूप आईपी एड्रेस का तीव्र उपभोग हुआ है और इसके फलस्वरूप पूरे विश्व में आईपीवी4 एड्रेस में जगह की समस्या आ गयी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 (आईपीवी6) 32-बिट्स के स्थान पर 128 बिट्स एड्रेस का उपयोग करके आईपीवी4 की एड्रेस क्षमता में सुधार करता है। इस प्रकार यह आईपी एड्रेस का अनंत पूल और सुरक्षा, रूटिंग एड्रेस आटो कंफिगरेशन, गतिशीलता और सेवा गुणवत्ता आदि के संबंध में भी विभिन्न प्रकार की बढ़ोत्तरी करता है।

भारत में, इस संबंध में 2004 के प्रारंभ में यथाशीघ्र प्रयास शुरू किए गए जब “भारत में आईपीवी4 से आईपीवी6 में अंतरण” को माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा दी गई दस सूत्री कार्यसूची में एक मद के रूप में शामिल किया गया। पर्याप्त विचार-विमर्श करने के उपरांत, सलाहकार (टी), दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने आईपीवी4 से आईपीवी6 में अंतरण किए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करते हुए इस अंतरण के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार कामों की सिफारिश की थी।

आईपीवी6 के लिए नीति

राष्ट्रीय आईपीवी6 तैनाती रोडमैप (वि-1) मार्च, 2012 तक आईपीवी6 सेवाओं की पेशकश शुरू करने के लक्ष्य के साथ जुलाई, 2010 में जारी किया था। इसके बाद मार्च, 2012 में, राष्ट्रीय आईपीवी6 तैनाती रोडमैप (वि-11) जारी किया गया था। इस रोडमैप में, सरकारी संगठनों की जटिलता और उनके मौजूदा नेटवर्क और सिस्टम



के आईपीवी6 तत्परता के आधार पर चरणबद्ध पारगमन दृष्टिकोण का पालन करने की सिफारिश की गई है। आईपीवी6 (ड्यूल स्टॉक) के को पूरा करने के लिए सरकार के संगठनों के लिए मंजूरी दे दी सिफारिशें दिसंबर 2017 से है। सेवा प्रदाता और अन्य हितधारकों के लिए भी अनिवार्य समय है। सभी सामग्री (जैसे वेबसाइटों) और अनुप्रयोगों प्रदाताओं को भी 2014/06/30 से नई सामग्री और अनुप्रयोगों के लिए और 2015/01/01 द्वारा नवीनतम मौजूदा वालों के लिए आईपीवी6 (दोहरी ढेर) को अपनाने के लिए लक्षित समय दे दिया है। सभी मोबाइल फोन हैंडसेट/डेटा कार्ड डोंगल/टेबलेट्स तथा इंटरनेट अभिगम सहयोगी 2.5 जी डाटा गति या उससे ऊपर वाले इसी प्रकार के उपकरणों को जिन्हें भारत में 2014/06/30 तक या बाद में बेचा गया है वे आईपीवी6 तैयार होंगे। इसी तरह, सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा/डेटा केंद्र प्रदाताओं के लिए आईपीवी6 2014/06/30 तक अपनाने का लक्ष्य होना चाहिए।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

दूरसंचार क्षेत्र को देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दूरसंचार क्षेत्र को निवेशकों से अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से 100% बढ़ा दी हैं। दूरसंचार सेवाओं के लिए मौजूदा एफडीआई नीति समय-समय पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अधिसूचित रूप में लाइसेंसधारी के साथ ही निवेशकों द्वारा लाइसेंस और सुरक्षा शर्तों के पालन के अधीन निम्नवत है:

एफडीआई पॉलिसी


क्र० सं०	सेक्टर/कार्यकलाप	एफडीआई/इक्विटी की अधिकतम सीमा	प्रवेश रूट
1.	दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार अवसररचना प्रदाता श्रेणी-1 सहित) दूरसंचार अवसररचना प्रदाता श्रेणी-1 सहित दूरसंचार सेवाएं, नामतः बुनियादी, सेलुलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) एकीकृत लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी, वाणिज्यिक वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार सेवाएं, (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल/ऑडियो टेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी का पुनः विक्रय, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर अवसररचना प्रदाता श्रेणी-1 (डार्क फाइबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टावर) उपलब्ध कराना।	100%	49% तक आटोमेटिक एफआईपीवी के माध्यम से 49% से अधिक
2.	दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण	100%	ऑटोमेटिक



एफडीआई अन्तर्वाह

अप्रैल 2000 से मार्च 2014 तक दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई का वास्तविक अंतर्वाह 14,163 मिलियन अमेरिकी डालर है। गत चार वर्षों और चालू वर्ष का संचयी एफडीआई आंकड़ा निम्ननुसार है:-

2000 से दूरसंचार क्षेत्र में संचयी एफडीआई	
वर्ष समाप्त होने तक	संचयी एफडीआई (मिलियन अमेरिकी डालर में)
मार्च 10	8931
मार्च 11	10589
मार्च 12	12552
मार्च 13	12856
मार्च 14	14163



स्रोत: डीआईपीपी वेबसाइट



दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण

अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के आगमन और आपरेटरों द्वारा 3जी और ब्रॉडबैंड वॉयरलेस अभिगम सेवाओं के विस्तार की ओर रुख करने से, दूरसंचार उपकरणों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इस अवसर का लाभ उठाने के प्रयास में सरकार और नीति निर्माता घरेलू विनिर्माण उद्योग का विकास करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

दूरसंचार उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और मानकीकरण के संबंध में एनटीपी-2012 में रेखांकित किए गए उद्देश्यों और कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार विनिर्माण उद्योग, सरकार, शिक्षा क्षेत्र और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से विशेषज्ञों वाली एक स्थाई परिषद नामतः दूरसंचार उपकरण विनिर्माण परिषद (टीईएमसी) का गठन किया है। टीईएमसी की पहली रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रस्तुत की गई थी और इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

जैसा कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में विनिर्धारित किया गया है, सुरक्षा आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सरकार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, सेवा प्रदाताओं एवं शिक्षण संस्थानों की प्रबल सहभागिता से एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में दूरसंचार मानक विकास संगठन (टीएसडीओ) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार मानक विकास संगठन के रूप में दूरसंचार मानक विकास सोसायटी भारत (टीएसडीएसआई) के एसोसिएशन ज्ञापन और उपविधियों को मंजूरी दे दी थी। टीएसडीएसआई का उद्देश्य भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं का विकास करना और प्रोत्सहान देना, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधानों का मानकीकरण करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इनका योगदान करना, दूरसंचार के क्षेत्र में वैश्विक मानकीकरण में योगदान करना, संगठन के तकनीकी मानकों और संगठन के अन्य प्रदायों का अनुरक्षण, संबंधित आईपीआर की सुरक्षा करना, देश में विनिर्माण विशेषज्ञता निर्मित करने में सहायता करना, विकासशील देशों (जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया, इत्यादि में) को उनकी दूरसंचार से संबंधित मानकीकरण आवश्यकताओं के संदर्भ में नेतृत्व प्रदान करना।

2013 में अवसंरचना की सामंजस्यकृत प्रमुख सूची “दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं” शामिल की गई जो कि देश में दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति को गति प्रदान करने हेतु अवसंरचना ऋण देने के प्रयोजनार्थ वित्तीय अवसंरचना की परिभाषा को विस्तारित कर देगी।

अगस्त, 2013 में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को एफआईपीबी मार्ग द्वारा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है, जो कि दूरसंचार क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देगी।

मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपकरणों का आयात

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 559933 मिलियन मूल्य और वर्ष 2013-14 (मार्च, 2014 तक) के दौरान ₹ 716448 मिलियन मूल्य के मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपकरणों का आयात किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 208504 मिलियन मूल्य और वर्ष 2013-14 (मार्च, 2014 तक) के दौरान ₹ 195792 मिलियन मूल्य के मोबाइल फोन, उनके पुर्जों एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपकरणों का निर्यात किया



गया। आयात और निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है :-

मोबाइल फोन, उनके पुर्जे एवं दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपकरणों का आयात			
एचएस कोड	विवरण	मूल्य (₹ मिलियन)	
		2012-13	2013-14 (मार्च, 14)
851711	कोर्डलेस हैंड सेटों वाले लाइन टेलीफोन सेट	2587	2452
851712	सेलुलर नेटवर्क या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन	258351	357210
851718	अन्य	3113	2404
851761	बेस स्टेशन	2028	3199
851762	स्विचिंग सहित वायस, इमेज या अन्य आकड़ों के अभिग्रहण, रूपांतरण एवं पारगमन अथवा पुनः उदभवन के लिए मशीन	63767	87571
851769	अन्य	49422	46455
851770	पुर्जे	158196	162588
852560	अभिग्रहण उपकरण वाले पारगमन उपकरण	2244	1425
854420	को-एक्सएल केबल एवं अन्य को-एक्सएल इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	5763	5480
854449	80 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज के लिए अन्य इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	11501	12470
90011000	ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल और केबल	2961	3839
	कुल	559933	685093

स्रोत: डीजीएफटी वेबसाईट

मोबाइल फोन, और दूरसंचार केबलों सहित दूरसंचार उपकरणों का निर्यात			
एचएस कोड	विवरण	मूल्य (₹ मिलियन)	
		2012-13	2013-14 (मार्च, 14)
851711	कोर्डलेस हैंड सेटों वाले लाइन टेलीफोन सेट	3835	9169
851712	सेलुलर नेटवर्क या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन	144871	118542
851718	अन्य	1042	2530



एचएस कोड	विवरण	मूल्य (₹ मिलियन)	
		2012-13	2013-14 (मार्च, 14)
851761	बेस स्टेशन	128	329
851762	स्विचिंग सहित वायस, इमेज या अन्य आकड़ों के अभिग्रहण, रूपांतरण एवं पारगमन अथवा पुनः उदभवन के लिए मशीन	4923	6067
851769	अन्य	6647	7659
851770	पुर्जे	34769	37395
852560	अभिग्रहण उपकरण वाले पारगमन उपकरण	572	731
854420	को-एक्सएल केबल एवं अन्य को-एक्सएल इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	1555	1235
854449	80 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज के लिए अन्य इलेक्ट्रिक कन्डक्टर	2520	2503
90011000	ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल और केबल	7642	9632
	कुल	208504	195792

स्रोत: डीजीएफटी वेबसाइट

इंडिया टेलीकॉम 2013

दूरसंचार विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में क्षमताओं और अवसरों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 5 से 7 दिसंबर, 2013 तक इंडिया टेलीकॉम प्रदर्शनी और सम्मेलन का 8वां संस्करण अर्थात् “इंडिया टेलीकॉम 2013” आयोजित किया। इंडिया टेलीकॉम 2013 की थीम “इंटरनेट ऑफ पीपल टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स: फ्यूचर ऑफ कम्यूनिकेशन्स” थी। इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा करने के लिए सरकार, नीति निर्माताओं, संभावित निवेशकों, प्रचालकों, निर्माताओं, अवसंरचना प्रदाताओं, विषयवस्तु प्रदाताओं, शिक्षाविदों और गैरसरकारी संगठनों को एक मंच पर एकत्र किया गया कि कैसे दूरसंचार अन्य बातों के अलावा, सकल घरेलू उत्पाद, संवृद्धि, रोजगार और राजस्व के अर्थों में भारतीय अर्थ व्यवस्था में “सर्व समावेशी विकास” ला सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, डॉ मनमोहन सिंह ने 5 दिसंबर, 2013 को “इंडिया टेलीकॉम 2013” का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल थे :- (i) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ मुख्यकार्यकारी अधिकारी का गोलमेज (राउंड टेबल) सम्मेलन। (ii) थीम-आधारित सम्मेलन सत्र और तकनीकी सेमीनार और (iii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार विनिर्माण कंपनियों और उद्योग के साथ राज्यों के प्रधान सचिवों (आईटी) के गोलमेज सम्मेलन जैसी नई पहलें। प्रदर्शनी में विभिन्न देशों से 104 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आईटी/दूरसंचार कंपनियों ने भाग लिया।



“इंडिया टेलीकॉम-2013” में माननीय प्रधानमंत्री।

अंतराष्ट्रीय संबंध

वर्ष, 2013-14 दूरसंचार विभाग के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यकलापों और अंतराष्ट्रीय संबंध क्षेत्र में अनेक दौरों के लिए उल्लेखनीय रहा। सामरिक देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग में और आईटीयू, एपीटी, आईटीएसओ आदि जैसे अंतरसरकारी संगठनों के साथ बहुपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण गतिविधियां हुईं। भारतीय उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय संबंधों और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए विदेशी दौरे किए और विदेशी उच्च प्राधिकारियों ने भी भारत का दौरा किया, जो भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं।

सामरिक गतिविधियां

वर्ष 2013-14 के दौरान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कतिपय देशों जैसे जापान, इज़राइल और वियतनाम के साथ कुछ उच्चस्तर के संपर्क-कार्यक्रम हुए। नई दिल्ली में आयोजित किए गए भारत-जापान सहभागिता मिशन में भारत ने जापान के साथ संयुक्त वक्तव्य दिया। भारत ने आईसीटी सहयोग में वियतनाम के साथ समझौते के दो करारों पर भी हस्ताक्षर किए।

मई, 2013 में आईटीयू के महासचिव डॉ. हमादाउन तारुने की यात्रा ने भारत और आईटीयू के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए उच्च स्तरीय संबंधों को मजबूत किया। अक्टूबर, 2014 में निर्धारित पूर्णाधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के सम्मेलन के लिए 2013 और 2014 में तैयारी करने के लिए भारत को, 38 सदस्य राज्यों वाले एपीटी की अध्यक्षता करने हेतु निर्वाचित किया गया है। भारत ने विश्व संचार विकास सम्मेलन (डब्ल्यू टीडीसी-2014) की तैयारी प्रक्रिया और मार्च-अप्रैल, 2014 के दौरान आयोजित डब्ल्यूटीडीसी सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारत को 2014-18 के दौरान आईटीयू-डी को उसके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के विषय में परामर्श देने के लिए एशिया-प्रशान्त क्षेत्र से दूरसंचार विकास परामर्श समूह (टीडीएजी) के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।



द्विपक्षीय सहयोग

विदेश में गए भारतीय शिष्टमंडल

विदेशी दौरों पर जाने वाले महत्वपूर्ण भारतीय शिष्टमंडल निम्नानुसार हैं :-

- i) **यूएसए:** वाशिंगटन में जून, 2013 के दौरान साइबर अपराध पर भारतीय-सामरिक संवाद (इन्डो स्ट्रैटेजिक डायलॉग) और भारत-अमेरिकी आईसीटी कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित हुई।
- ii) **पाकिस्तान:** सितंबर, 2013 में पाकिस्तान में अन्य मामलों के साथ-साथ दोनों देशों के मध्य मोबाइल रोमिंग कार्यान्वयन पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई।
- iii) **कनाडा:** उप महानिदेशक, आईपी, दूरसंचार विभाग ने भारतीय संयुक्त शिष्टमंडल के भाग के तौर पर नवंबर के दौरान ओटावा, कनाडा में आयोजित भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीडीपीए) में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों ने सीडीपीए में निगमित किए जाने हेतु दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में प्रारूप पाठ पर चर्चा की।
- iv) **बांग्लादेश:** दूरसंचार विभाग, विदेश मंत्रालय, त्रिपुरा राज्य की सरकार और बीएसएनएल के सदस्यों वाले एक अंतर-मंत्रालय शिष्टमंडल ने बीएसएनएल के लिए बांग्लादेश से होकर जुड़ने वाले अगरतला-कोलकाता टेलीकॉम लिंक के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए जुलाई, 2013 के दौरान बांग्लादेश की यात्रा की।
- v) **जापान:** अक्टूबर, 2013 में दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक सहभागिता के दौरान भारत और जापान के संयुक्त वक्तव्य में अभिव्यक्त किए गए लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2014 के दौरान जापान में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। ग्रीन टेलीकॉम, जापान इंडिया कॉमबैट स्पैम प्रोजेक्ट, साइबर हमले के चिन्हों की पहचान करना और त्वरित प्रक्रिया देना तथा जीपीएस जांच डाटा द्वारा ट्रैफिक पूर्वानुमान और नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त कार्यकारी समूह बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत का दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडल

भारत का दौरा करने वाले महत्वपूर्ण विदेशी शिष्टमंडल का विवरण नीचे दिया गया है:-

- i) **जापान:** श्री किमियाकी मैट्सुजाकी, वरिष्ठ उपमंत्री आंतरिक कार्य एवं संचार, जापान ने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से अप्रैल, 2013 में नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- ii) **लाओ पीडीआर:** लाओ पीडीआर के डाक-दूरसंचार और संचार मंत्री श्री हेम पोमाचान्ह ने विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इंडिया एशियान बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। भारत में अपने दौरे के दौरान दिसंबर, 2013 में एमटीएनएल के उच्च प्रबंधन से मुलाकात की और एमटीएनएल नेटवर्क परिचालन केंद्र (एनओसी) और डाटा केंद्र का दौरा किया।
- iii) **पनामा:** श्री एडुआर्डो ई जेन, महा-प्रशासक, नेशनल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंटल इनोवेशन, पनामा सरकार ने दिसंबर, 2013 में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री से मुलाकात की।



- iv) **इक्वाडोर:** श्री एडोल्फो मारिस्कल, इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति के सलाहकार ने नवंबर, 2013 में अपर सचिव (दूरसंचार) से मुलाकात की और भारत दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण में इक्वाडोर का सहयोग कैसे कर सकता है, विषय पर चर्चा की।
- v) **आस्ट्रेलिया:** दिसंबर 2013 में श्री रॉबर्ट ओ फारेल, न्यू साउथ वेल्स के आस्ट्रेलियाई राज्य के प्रधानमंत्री ने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री से मुलाकात की।
- vi) **कनाडा:** जनवरी, 2014 में मुख्य व्यापार आयुक्त सुश्री सुसान बिनकोलेटो ने व्यापार मामलों पर चर्चा करने के लिए सचिव (दूरसंचार) से मुलाकात की।
- vii) **यूएसए:** अक्टूबर, 2013 में श्री स्टीव वान एंडेल, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ यू-एस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने माननीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की।
- viii) **केटेलोनिया:** नवंबर, 2013 में केटेलोनिया के श्रममंत्री ने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की।
- ix) **वियतनाम:** समाजवादी गणराज्य वियतनाम के सूचना एवं संचार मंत्री, डॉ नगुयेन बॉक सन ने जुलाई, 2013 में आईसीटी सहयोग के संबंध में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की। चर्चा के दौरान, दोनों पक्ष सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, क्षमता निर्माण, सॉफ्टवेयर सेवाएं, मानकों का निर्धारण, साइबर सुरक्षा, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, आईसीटी विनियमन, आईटीयू, एपीटी जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और तटीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन सहयोग के अनेक क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र हैं। इस अवसर पर, दो समझौता-करारों पर भी हस्ताक्षर हुए – एक दूरसंचार विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर ट्राई और वीएनटीए के मध्य और दूसरा स्पेक्ट्रम प्रबंधन में सहयोग पर एआरएफएम वियतनाम और डब्ल्यूपीसी, दूरसंचार विभाग के मध्य।
- x) **जापान:** भारत जापान आईसीटी सार्वजनिक-निजी सहभागिता मिशन अक्टूबर, 2013 के दौरान नई दिल्ली में दो दिवसों के लिए आयोजित किया गया। इसके पश्चात भारत और जापान के मध्य एक द्विपक्षीय बैठक हुई।

बहुपक्षीय सहयोग

i) महासचिव (एसजी) आईटीयू दौरा

आईटीयू के महासचिव डॉ. हमडौन टोरे, डॉ. इयूनजू किम, क्षेत्रीय निदेशक, प्रशांत एशिया, बैंकॉक के साथ मई, 2013 के दौरान भारत के अधिकारिक दौरे पर रहे। उन्होंने माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मिशन के दौरान उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं, उद्योग संघों से मुलाकात की और उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित भी किया तथा श्री कस्तूरीरंगन, सदस्य योजना आयोग के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में विद्यार्थियों और शैक्षणिक समुदाय को संबोधित किया।

ii) पीपी-14 और डब्ल्यूटीडीसी के लिए प्रायोगिक बैठकें

पहली प्रायोगिक बैठक अप्रैल, 2014 में सियूलिन में आयोजित की गई थी। उपमहानिदेशक (आईआर) दूरसंचार



विभाग को पीपी-14 सम्मेलन के लिए इस क्षेत्र हेतु एपीटी प्रायोगिक प्रक्रिया का अध्यक्ष चुना गया। भारत द्वारा संचालित पीपी-14 के लिए दूसरी प्रायोगिक बैठक अक्टूबर, 2014 में आस्ट्रेलिया में बुलाई गई।

iii) डब्ल्यूएसआईएस – डब्ल्यूटीपीएफ मई, 2013

इस आईसीटी कार्यक्रम में उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भाग लिया। भारत ने इस कार्यक्रम के दौरान ऑन मोबाइल इंडिया के साथ मिलकर वैश्विक दर्शकों के लिए भारत में वीएस सेवाएं और अवसर पर एक संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भलीभांति सफल रहा और उपमहानिदेशक, आईटीयू भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय शिष्टमंडल ने पीएमआई के साथ विश्व दूरसंचार नीति फोरम (डब्ल्यूटीपीएफ) के सामरिक संवाद कार्यक्रम में प्रभावी भागीदारी की।

iv) आईसीटी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कार्यशाला

दूरसंचार विभाग के शिष्टमंडल ने मई, 2013 में आईसीटी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आईसीटी की संगोष्ठी और “विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मानव पर प्रभाव” विषय पर कार्यशाला में भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल ने भारतीय अनुभव पर व्यापक दृष्टि डालते हुए इस विषय पर वैश्विक दर्शकों के समक्ष व्याख्यान दिया।

v) अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने जून, 2013 में पेरिस में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मानव पर प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भाग लेने वाले अन्य संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

vi) आईटीयू परिषद सत्र 2013

दूरसंचार विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जून 2013 में आईटीयू परिषद सत्र में भाग लिया। आईटीयू की परिषद के सदस्य के रूप में भारत ने परिषद की बैठक में भाग लिया और आईटीयू की महत्वपूर्ण गतिविधियों में योगदान दिया।

vii) आईसीएएनएन की बैठक

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2013 में डरबन में आयोजित आईसीएएनएन-47 की बैठक में भाग लिया और बैठक में आईसीएएनएन की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं की समीक्षा की।

viii) बैंकाक में कनेक्ट एशिया पेसिफिक सम्मेलन और आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड 2013

दूरसंचार के प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2013 में बैंकाक में आयोजित कनेक्ट एशिया पेसिफिक सम्मेलन और आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड 2013 में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान डिजिटल खाई को पाटने के लिए विभिन्न भागीदारी अवसरों पर चर्चा की गई। भारत ने आईसीटी ईको प्रणाली में सभी हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और संसाधन जुटाने की आवश्यकता से संबंधित विज्ञान और सम्मेलन के नेताओं के वक्तव्य का समर्थन किया।

ix) जीएसएमए एमडब्ल्यूसी

फरवरी 2014 में बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन, इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यह सम्मेलन नीति निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, प्रचालकों,



प्रौद्योगिकी एवं एप्लीकेशन प्रदाताओं को एक ही मंच पर लाया। इस सम्मेलन में सचिव (दूरसंचार) के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

सचिव (दूरसंचार) ने जिनेवा में आइटीयू के मुख्यालय का भी दौरा किया और महासचिव, आइटीयू तथा मानकीकरण, रेडियो, विकास ब्यूरो के तीन निदेशकों एवं जिनेवा के पीएमआई के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। ये चर्चाएं दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आइटीयू सहयोग का विकास करने पर केंद्रित थीं। भारत ने अपनी भागीदारी तथा सामरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आइटीयू सम्मेलनों में से कुछ की मेजबानी भारत में करने की इच्छा व्यक्त की है।

x) विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन (डब्ल्यूटीडीसी-14)

आइटीयू क्षेत्रीय विकास मंच और डब्ल्यूटीडीसी के लिए दूसरी प्रायोगिक बैठक अप्रैल, 2013 में कंबोडिया में आयोजित की गई। सचिव (दूरसंचार) के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने क्षेत्रीय पहलों, अध्ययन समूह के प्रश्नों और कार्यक्रमों के लिए अनेक योगदान किए।

डब्ल्यूटीडीसी-14 के लिए तीसरी और चौथी प्रायोगिक बैठकें अक्टूबर, 2013 और जनवरी 2014 में क्रमशः आस्ट्रेलिया और थाईलैंड में आयोजित की गईं। भारत ने प्रायोगिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और सामारिक योजना हेतु कार्यकारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में आइटीयू-डी सामारिक योजना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत को डब्ल्यूटीडीसी-14 के लिए महत्वपूर्ण समिति 3 के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र से टीडीएजी के लिए उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

xi) आइटीएसओ आइएसी की बैठक

भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सैटेलाइट संगठन (आइटीएसओ) सलाहकार समिति का सदस्य है और भारत ने फरवरी, 2014 में वाशिंगटन में आयोजित इसकी सलाहकार समिति की 18वीं बैठक में भाग लिया, जिसने ईरान-यूएसए इंटेल्सैट मुद्दे इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण मामले पर कार्य किया।

अध्ययन समूह की बैठकें

आइटीयू अध्ययन समूह की बैठकों का लक्ष्य क्षमता निर्माण, मानकों के तालमेल हेतु योगदान, आइसीटी के विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करना है। आइसीटी ईको प्रणाली का विकास करने और इस अंतर्राष्ट्रीय विमर्श मंच पर चुनौतियों और मुद्दों को उठाने के लिए इन बैठकों के चर्चा के मुद्दे एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित आइटीयू अध्ययन बैठकों में भाग लिया:-

- अप्रैल, 2013 में जिनेवा में सुरक्षा पहलुओं पर आइटीयू – टी अध्ययन समूह 17 बैठक
- जुलाई 2013 में जिनेवा में आइटीयू – टी अध्ययन समूह-15 बैठक
- सितंबर, 2013 में आइटीयू – डी अध्ययन समूह बैठकें आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण

दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे आइटीयू, एपीटी, पीयूआरसी द्वारा विदेशों में



निम्नलिखित क्षेत्रों में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लिया:—

- i) ग्रामीण ब्रॉडबैंड समुदाय के लिए नए अनुप्रयोग
- ii) मोबाइल इंटरनेट
- iii) अवसंरचना साझा करने के मॉडल और प्रथाएं
- iv) मोबाइल सुरक्षा प्रशिक्षण
- v) “अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए दूरसंचार नीति और नियमन” पर एडवांस्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसिज़ प्रोग्राम
- vi) आईसीटी विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना: सिंगापुर अनुभव
- vii) दूरसंचार में प्रयुक्त दूरसंचार/आईटी तत्वों के परीक्षण में सुरक्षा मानकों के लिए ब्लैकबेरी 3जीपीपी बैठक से एनडीएस प्रशिक्षण।
- viii) व्यवहारिक प्रौद्योगिकियां और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटे पैमाने के दूरसंचार में उनका कार्यान्वयन
- ix) सबमरीन केबल लैंडिंग की लाइसेंसिंग और अभिगम कीमत विनियमन
- x) विश्व दूरसंचार/आईसीटी संकेतक संगोष्ठी (डब्ल्यूटीआईएस)
- xi) अगली पीढ़ी की मोबाइल संचार प्रणाली के लिए कार्य
- xii) एशिया प्रशांत क्षेत्र में जन सुरक्षा के लिए आईसीटी का उपयोग करते हुए आपदा से निपटने की तैयारी को सुदृढ़ करना
- xiii) डिजिटल डिवाइस पर काबू पाने के लिए आईसीटी सेवा एवं ई-ऐप्लीकेशनों की उपयोगिता
- xiv) ब्रॉडबैंड संचार के लिए साइबर सुरक्षा नीतियां और प्रौद्योगिकियां।

6. कार्यकलाप

दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश संवर्द्धन, भारत में अवसर, प्रौद्योगिकी और उत्पाद इत्यादि के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विदेश में भाग लिया:—

- i) मई 2013 में जंजीबार में नेताओं का फोरम
- ii) जून 2013 में चीन में एशिया प्रशांत दूसरा मोबाइल एशिया एक्सपो और पब्लिक पॉलिसी फोरम
- iii) मई 2013 में जेजू, दक्षिण कोरिया में 17वीं वैश्विक मानक सहयोग बैठक
- iv) जून 2013 में सिंगापुर में कम्यूनिक एशिया
- v) अक्टूबर 2013 में ब्राजील में यूचर कॉम
- vi) अक्टूबर 2013 में दुबई में जीआईटीईएक्स-2013
- vii) नवंबर 2013 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका कॉम-2013
- viii) नवंबर 2013 में वियतनाम आईसीटी कार्यक्रम



राजभाषा (हिन्दी)

राजभाषा प्रभाग, उपमहानिदेशक (सी एवं ए) के पूर्ण प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जा रही है जिनकी सहायता एक उपनिदेशक, दो सहायक निदेशक, एक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सहयोगी स्टाफ कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान दूरसंचार के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों से संबंधित कार्य किए गए:-

(i) मानीटरिंग और निरीक्षण

दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/कारपोरेट कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति (सीपीओएल) की दूसरी उप-समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान राजभाषा प्रभाग ने एक समन्वयक के रूप में कार्य किया। संसदीय समिति की बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (प्रशा.)/उपमहानिदेशक (सी एवं ए) और राजभाषा प्रभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा किया गया। पूरे भारत में ऐसे 22 निरीक्षण किए गए।

(ii) हिंदी भाषा, हिंदी कंप्यूटर/टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण

इस अवधि के दौरान पांच आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि की कक्षाओं के लिए नामित किया गया।

(iii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति

विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गईं जिनमें विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। इस वर्ष के दौरान ऐसी दो बैठकें क्रमशः 02.05.2013 और 01.08.2013 को आयोजित की गईं। 14 नवंबर 2013 को दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए इसकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) को पुनर्गठित किया गया और इसकी पहली बैठक 10 दिसंबर 2013 को आयोजित की गई थी। उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

- 13.08.2013 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दूरसंचार विभाग और इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी शब्दों का शब्दकोष तैयार करना।
- ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से हिंदी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और तकनीकी शब्दों के डाटाबेस की जानकारी भेजना।

(iv) हिंदी कार्यशाला

कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और यूनिकोड सुविधा के उपयोग के संबंध में एक हिंदी कार्यशाला 07.10.2013 को आयोजित की गई थी और एक अन्य कार्यशाला हिंदी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रोफार्मा भरने की सुविधा/जानकारी प्रदान करने के लिए 17.02.2014 को आयोजित की गई ताकि उसे सही ढंग से भरकर समय पर भेजा जा सके।



(v) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 16.09.2013 से 30.09.2013 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। विभाग में राजभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में 216 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से 86 अधिकारियों को सराहना प्रमाण-पत्र सहित नगद पुरस्कार हेतु सफल घोषित किया गया। सफल प्रतिभागियों को सुंयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा 30.10.2013 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार वितरित किए गए।

(vi) हिंदी सलाहकार समिति

दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 अक्टूबर, 2010 को किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान, हिंदी सलाहकार समिति की बैठक तत्कालीन माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मिलिंद देवड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 13 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(vii) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करना

आलोच्य अवधि के दौरान, राजभाषा (संघ के सरकारी कार्यों के प्रयोग हेतु) नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत ऐसे 7 कार्यालयों को अधिसूचित किया गया है। जहां 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं।

कर्मचारी कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक-अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास राज-सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- मृतक कर्मचारियों के परिवारों को ₹ 1,40,030/- (एक लाख चालीस हजार तीस रुपये मात्र) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई।
- दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को ₹ 13,15,800/- (तेरह लाख, उनसठ हजार आठ सौ मात्र) के बुक अवार्ड, ₹ 11,06,000/- (ग्यारह लाख छः हजार मात्र) की छात्रवृत्ति और ₹ 1,92,200 (एक लाख बानवै हजार दो सौ मात्र) की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।
- इस वर्ष दूरसंचार विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न अंतर-विभागीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और मार्च, 2014 तक इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर ₹ 76,462/- (छिहत्तर हजार चार सौ बासठ मात्र) की राशि का व्यय किया गया था।
- पिछले वर्ष की अन्य सभी गतिविधियों को भी विधिवत संपन्न किया गया।



जेंडर बजटिंग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान

कल्याणकारी स्कीमें व्यापक तौर पर महिला-पुरुष तटस्थ ओर समग्र स्वरूप की हैं। तथापि, कुछ स्कीमों जैसे बुक-अवार्ड, स्कॉलरशिप अवार्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को अंकों में छूट दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि बुक अवार्ड/स्कॉलरशिप योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि से किया गया व्यय निम्नानुसार है:

महिला कल्याण: ₹ 10,17,200 /-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विकास: ₹ 4,77,700 /-

महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ₹ 40,000 /- (चालीस हजार मात्र) अर्थात् मार्च 2013 में ₹ 20000 /- और मार्च 2014 में ₹ 20000 /- की सहायता भी प्रदान की गई थी।

बीएसएनएल/एमटीएनएल में समूह "क" अधिकारियों का आमेलन

1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के गठन के फलस्वरूप, सरकारी विभाग के समूह "क" "ख", "ग" और "घ" कर्मचारियों को उनके पदों के साथ "जहां है जैसे है आधार" पर मानद प्रतिनियुक्ति पर इन कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था। समूह "ख", "ग" और "घ" के लगभग 3,97,000 कर्मचारी पहले ही बीएसएनएल एवं एमटीएनएल में आमेलित हैं।

इस मंत्रालय के अधीन भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारियों सहित विभिन्न सेवाओं के समूह "क" अधिकारियों को शुरू में वर्ष 2005 और बाद में 2008 तथा 2011 में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए नियमों एवं शर्तों के अनुसार बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने को कहा गया। तथापि आमेलन के विषय पर समूह "क" के अधिकारियों, विशेष रूप से आईटीएस अधिकारियों की प्रतिक्रिया बहुत खराब रही। तदनुसार नवम्बर, 2011 में समूह "क" के गैर-आमेलित अधिकारियों को इस विभाग में प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया गया था।

बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सूचित किया कि इन संगठनों में मानद प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे सभी गैर-आमेलित आईटीएस अधिकारियों (बीएसएनएल में कार्यरत 945 अधिकारी और एमटीएनएल में कार्यरत 83 अधिकारी) का तत्काल प्रत्यावर्तन कर देने की स्थिति में, उनके लिए मध्यम तथा वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों को भरने हेतु शीघ्र ही उपयुक्त प्रतिस्थापन खोज पाना संभव नहीं होगा और इन स्तरों पर अचानक उत्पन्न हुए वेक्यूम से उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और उसके आधार पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में दूरसंचार विभाग द्वारा 11.03.2013 को अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित आदेश जारी किए गए :-

- सीसीए (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37-ए के अंतर्गत बीएसएनएल/एमटीएनएल के समूह "क" अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया को पूरा करना तथा इसके फलस्वरूप बीएसएनएल एवं एमटीएनएल में मानद प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे समूह "क" के आईटीएस अधिकारियों, जिन्होंने इन संगठनों में आमेलन का विकल्प नहीं दिया है, सहित सभी समूह "क" अधिकारियों का दूरसंचार विभाग में तत्काल प्रभाव से प्रत्यावर्तन करना।



- ऊपर (क) में दिए गए आदेश के अनुपालन में बीएसएनएल और एमटीएनएल से प्रत्यावर्तित सभी आईटीएस अधिकारियों को, इन संगठनों द्वारा उनकी अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की गई मांग योजना के अनुसार सरकार द्वारा संस्वीकृत नियम एवं शर्तों पर वर्ष दर वर्ष हासमान आधार पर दस वर्षों की अवधि के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल में तैनात किया जाता है।

उपर्युक्त आदेश जारी होने के साथ ही, बीएसएनएल और एमटीएनएल में समूह "क" अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

स्पेक्ट्रम की नीलामी

- 1800 मेगाहर्टज बैंड में नीलामी के लिए प्रस्तावित स्पेक्ट्रम की मात्रा 22 सेवा क्षेत्रों में 385.20 मेगाहर्टज थी जबकि 900 मेगाहर्टज बैंड में नीलामी के लिए प्रस्तावित स्पेक्ट्रम की मात्रा 3 सेवा क्षेत्रों में 46 मेगाहर्टज थी।
- बोली 03.02.2014 को शुरू की गई और यह 68 दौरों के लिए 11 दिनों तक जारी रही। भाग लेने वाले 8 बोलीदाताओं में से 7 बोलीदाताओं ने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। 1800 मेगाहर्टज बैंड में, 22 सेवा क्षेत्रों में से 11 सेवा क्षेत्रों में आरक्षित कीमत पर ही नीलामी समाप्त हो गई जबकि शेष 11 सेवा क्षेत्रों में इन सेवा क्षेत्रों की आरक्षित कीमत की तुलना में अंतिम कीमत में वृद्धि हुई। यह वृद्धि 67% से 415.7% है। 900 मेगाहर्टज में, इन सभी 3 सेवा क्षेत्रों में इनकी आरक्षित कीमत की तुलना में अंतिम कीमत में वृद्धि हुई। यह वृद्धि 55.7% से 105% के बीच है।
- इस नीलामी में, 1800 मेगाहर्टज बैंड में स्पैक्ट्रम का कुल 79% (385.2 मेगाहर्टज में से 307.2 मेगाहर्टज) और 900 मेगाहर्टज में संपूर्ण उपलब्ध स्पैक्ट्रम (46 मेगाहर्टज में से 46 मेगाहर्टज बैंड में) बोलीदाताओं द्वारा जीता गया। प्रस्तावित स्पेक्ट्रम में से कुल मिलाकर 81.9% स्पेक्ट्रम बोलीदाताओं द्वारा जीता गया।
- बेचे गए स्पेक्ट्रम का कुल मूल्य ₹ 61,162.22 करोड़ (प्रस्तावित स्पैक्ट्रम की आरक्षित कीमत से 27.6% अधिक) है जिसमें से 1800 मेगाहर्टज स्पैक्ट्रम की कीमत ₹ 37,572.60 करोड़ (स्पैक्ट्रम के लिए आरक्षित कीमत से 6.8% अधिक) और 900 मेगाहर्टज के स्पैक्ट्रम की कीमत ₹ 23589.62 करोड़ (स्पैक्ट्रम के लिए आरक्षित कीमत से 84.9% अधिक) है।
- सफल बोलीदाताओं से ₹ 182267 का अग्रिम भुगतान तथा ₹ 8352 की बैंक गारंटी प्राप्त हुई।

लाइसेंस शुल्क उगाही में रूझान

अधिकांश लाइसेंस, लाइसेंस शुल्क की राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के अंतर्गत हैं। लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व के निश्चित प्रतिशत पर आधारित है। लाइसेंस शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार त्रैमासिक किस्तों में देय है। किसी वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है। तथापि, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए लाइसेंसधारी को उक्त तिमाही हेतु प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च, को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। कैप्टिव उपयोग के लाइसेंस वाले दूरसंचार नेटवर्क तथा सीएम आरटीएस लाइसेंसों के लिए



लाइसेंस शुल्क टर्मिनलों, चैनलों तथा/अथवा नेटवर्क की पूंजी लागत के आधार पर निर्धारित दरों पर लगाया जाता है। वर्ष 2012-13 और 2014 के लिए लाइसेंस शुल्क संग्रह और वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	वृद्धि का प्रतिशत
लाइसेंस शुल्क संग्रह	11439.27	12959.61	13.29%

लाइसेंस शुल्क का निर्धारण

122 निरस्त लाइसेंसों के संबंध में वर्ष 2011-12 तक तथा अधिकांश अन्य लाइसेंसों के संबंध में वर्ष 2010-11 तक लाइसेंस शुल्क का अनंतिम निर्धारण कर लिया गया है। तथापि वर्ष 2006-07 से संबंधित कार्य लंबित था क्योंकि माननीय टीडीएसएटी ने एजीआर की परिभाषा से संबंधित 30.08.2007 के अपने निर्णय में एजीआर से उन कतिपय राजस्व स्रोत को बाहर कर दिया था, जिनको अन्यथा लाइसेंस समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार शामिल किया जाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.2011 के निर्णय ने टीडीएसएटी के दिनांक 30.08.2007 के आदेश को अस्वीकार कर दिया तथा जिससे वर्ष 2006-07 से लाइसेंस शुल्क के निर्धारण को अंतिम रूप देने हेतु मार्ग प्रशस्त हो गया। यह निर्धारण एजीआर मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ सिविल अपीलों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2011 और 17.08.2011 के आदेश द्वारा पृथक (डी-लिक) कर दिया गया था। इन कंपनियों का मूल्यांकन डी-लिक की गई लंबित अपीलों के निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.2011 के निर्णय के अध्यक्षीन किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

दूरसंचार विभाग में एक पृथक आरटीआई एकक स्थापित किया गया है और यह पहली जनवरी, 2007 से कार्य कर रहा है। दूरसंचार विभाग का आरटीआई एकक, जनता की संतुष्टि के लिए आरटीआई आवेदनों के निपटान की पद्धति को लगातार सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में कार्यशील रहता है। दूरसंचार विभाग का आरटीआई एकक एक नोडल एकक के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें उप सचिव/निदेशक-केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में, अवर सचिव सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में तथा आरटीआई अनुभाग के अध्यक्ष के रूप में एक अनुभाग अधिकारी, कार्य करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में 70 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कार्य कर रहे हैं ताकि आर.टी.आई. आवेदनों/अपीलों का तुरंत निपटान सुकर हो सके। दिनांक 21.08.2013 से आर.टी.आई. वेब पोर्टल डीओटी (एचक्यू) के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदनों/अपीलों को ऑन लाइन प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने की सुविधा आरंभ की गई है।

अप्रैल-मार्च, 2014 की अवधि के दौरान, दूरसंचार विभाग में 8247 आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 5572 अन्य विभागीय लोक प्राधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (पीएसयू) को अंतरित किए गए। शेष आवेदनों का आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार निपटान कर दिया गया है। आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो अपवाद हैं, उनको छोड़कर सूचना प्रदान करने से मनाही नहीं की गई।

लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय,



संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। वर्ष 2013-14 में निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

दिनांक, 01 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	वर्ष 2013-14 के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	कुल	वर्ष 2013-14 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार शेष
4230	81447	85677	82106	3571

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, निदेशक (कर्मचारी सम्बन्ध) के पर्यवेक्षण के तहत दूरसंचार विभाग में एक एससी/एसटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिन्हें दूरसंचार विभाग के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी न केवल विभाग के अधिकारियों को अपितु दूरसंचार विभाग के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी दिशा-निर्देश देता है।

परिणाम संरचना दस्तावेज (रिजल्ट फ्रेमवर्क डोक्युमेंट)

सरकारी कार्य निष्पादन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के आधार पर दूरसंचार विभाग के निष्पादन की समीक्षा की। मूल उद्देश्यों, सफलता सूचकों, लक्ष्यों और निष्पादन के मध्य परस्पर प्राथमिकता दर्शाने वाला परिणाम संरचना दस्तावेज अनुबंध-1 में दिया गया है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 1 बेतार आयोजना एवं समन्वय

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के प्रशासन का कार्य देखता है।

राष्ट्रीय आवृत्ति योजना (एनएफएपी)

राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना एक नीतिगत दस्तावेज है जो सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए देश में विकास, उत्पादन और स्पेक्ट्रम उपयोग-कार्यकलापों के आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवृत्ति योजना (एनएफएपी)-2011 दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी है। तथापि, एनएफएपी-2011 की समीक्षा/संशोधन की प्रक्रिया चल रही है ताकि राष्ट्रीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जा सके तथा विश्व रेडियो संचार सम्मेलन-2012 के निर्णयों को शामिल करते हुए आईटीयू रेडियो विनियम (आर आर) की समग्र संरचना के भीतर लाया जा सके।

साक्फा (एसएसीएफए) अवस्थल संबंधी अनापत्ति

आवृत्ति आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (साक्फा) द्वारा स्थिर बेतार स्टेशनों के लिए अनापत्ति प्रदान की जाती है जिसे प्रदान करते समय विमानों की आवा-जाही से संबंधित बाधाओं, हस्तक्षेप रहित प्रचालन और दृश्य-बाधाओं की सीमा को ध्यान में रखा जाता है। बेतार प्रयोक्ताओं को ढांचागत बचाव, पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी अन्य स्थानीय उप विधियों का पालन करना पड़ता है।

उपग्रह प्रणाली समन्वयन

आई.टी.यू. के आर.आर. के प्रावधानों के अनुसार उपग्रह प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय किया जाना अपेक्षित है। किसी एक उपग्रह नेटवर्क के लिए अन्य प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्क के साथ आवृत्ति नियतन का समन्वय। आवश्यक है ताकि इन नेटवर्कों का सह-अस्तित्व और हस्तक्षेप रहित प्रचालन संभव हो सके।

अन्य प्रशासनों के साथ उपग्रह समन्वय

तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के लिए चीन, मलेशिया, जापान के साथ प्रचालक स्तर की समन्वय बैठक आयोजित की गई। उपग्रह नेटवर्क की इनसैट-श्रृंखला का समन्वय, फ्रांस, यूएसए, सउदी अरब, आस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, जर्मनी, इजरायल, टर्की, स्पेन, बेलारस, ईरान और पाकिस्तान सहित विश्व के लगभग सभी देशों के साथ किया गया।

सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और एशिया प्रशान्त टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के तत्वावधान में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की, इनमें भाग लिया और अनुवर्ती कार्रवाई की ताकि विशेषकर स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा रेडियो संचार से संबंधित मामलों के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके।

विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, 2015 (डब्ल्यूआरसी15)

डब्ल्यूआरसी15 के लिए राष्ट्रीय तैयारी समिति का गठन किया गया है। डब्ल्यूआरसी 15 की विभिन्न कार्यवृत्त मदों



पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए एनपीसी स्टेकधारकों के विचारों का समन्वय व उसका सुमेलन करेगी।

परियोजना कार्यान्वयन

“राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और मानीटरिंग पद्धति (एनआरएस एमएमएस)” की परियोजना डिजाइन आपूर्ति संस्थापन और उनकी शुरुआत के अंतर्गत स्पेक्ट्रम प्रबंधन और निगरानी कार्यों को आटोमेटेड किया गया है ताकि इन गतिविधियों को प्रभावी और दक्ष बनाया जा सके।

मैसर्स एचएफसीएल, भारत और दूरसंचार विभाग के बीच एनआरएसएमएमएस परियोजना विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता अभिकरण स्थापित किया गया। मध्यस्थता अधिकरण ने 7वीं सुनवाई के दौरान आदेश पारित किया कि मध्यस्थता कार्यविधियां कानून के अनुसार जारी रहेंगी। अधिकरण ने आगे की कार्यवाहियों के लिए समय-अनुसूची भी सूचित की। विभाग ने दिनांक 22.8.2013 को “स्टेटमेंट ऑफ क्लेम” दायर किया। मध्यस्थता अधिकरण ने मार्च, 2014 को अपनी 8वीं बैठक आयोजित की।

वर्ष 2013-14 के दौरान डब्ल्यू.पी.सी. की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

डब्ल्यूपीसी की उपलब्धियां (2013-14)

विवरण	उपलब्धियां
1.1 रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन	
● विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	12,410
● पंजीकरण हेतु आईटीयू के रेडियो संचार ब्यूरो को सूचित फ्रीक्वेंसी आबंटन	588
● अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के लिए आबंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी	104
● एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की आयोजित बैठकें	01
● आयोजित अंतर-विभागीय बैठक	12
● नए बेतार केन्द्रों हेतु स्वीकृत स्थल	2,04,144
1.2 जारी किए गए बेतार लाइसेंस	
● जारी किए गए आयात लाइसेंसों की संख्या	2389
● नए बेतार केन्द्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	80,906
● नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केन्द्रों हेतु) की संख्या	57,944
1.3 प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा/लाइसेंस	
● आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की संख्या	66
● दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या	9,654
● जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	2339
● नवीकृत लाइसेंसों की संख्या	4215
● नए रेडियो अव्यवसायी केंद्रों को जारी लाइसेंसों की संख्या	366
● पुराने रेडियो अव्यवसायी केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की संख्या	414



बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ)

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) 3जी, बीडब्ल्यूए इत्यादि जैसी नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए तेजी से संकुलित होते रेडियो वातावरण में डब्ल्यूपीसी स्कंध को आवश्यक तकनीकी डाटा प्रदान करने के साथ-साथ बाधा रहित बेतार सेवाएं सतत रूप से प्रदान कर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान डब्ल्यूएमओ की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

डब्ल्यूएमओ की उपलब्धियां (2013-14)

क्र. सं.	विवरण	उपलब्धियां
1.	निपटाए गए मानीटरिंग कार्य	10132
2.	मानीटर किए गए बेतार पारेषणों की संख्या	109320
3.	विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए दी गई तकनीकी सहायता	731
4.	सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ता को सूचित अतिलंघनों की संख्या	4008
5.	रेडियो मानीटरिंग हेतु प्रयुक्त चैनल दिवस	5375
6.	निरीक्षण किए गए बेतार केंद्रों की संख्या	4948
7.	रेडियो नोयस मापकों की संख्या	133926
8.	निपटाई गई अति प्राथमिकता व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	190
9.	निपटाई गई मानक व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	44
10.	उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य हेतु श्रम दिवसों की संख्या	480
11.	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	05
12.	प्रशिक्षण हेतु श्रम दिवसों की संख्या	575

रेडियो मॉनीटरिंग-एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा

रेडियो मॉनीटरिंग सेवा, एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा का क्रियान्वयन केवल बेतार अनुश्रवण संगठन, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी विंग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह अनिवार्यतः तकनीकी प्रकृति का कार्य है और इसके प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधिपरक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमन से लिए गए हैं। डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

- खतरनाक व्यतिकरण का समाधान;
- नई सेवाएं प्रारंभ करने और/या मौजूदा सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवंटन के लिए फ्रीक्वेंसी सबबैंड की पहचान की मॉनीटरिंग;
- प्राधिकृत एजेंसियों से अप्रयुक्त/कमप्रयुक्त फ्रीक्वेंसी के संबंध में स्पैक्ट्रम की वापसी के लिए मॉनीटरिंग;



- लाइसेंसिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग;
- साझा अध्ययनों के लिए मानीटरिंग/मापन;
- घरेलू बेतार प्रयोक्ताओं को सहायता;
- विदेशी प्रशासन को सहायता;
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेष मॉनीटरिंग अभियानों में भागीदारी;
- नए रेडियो संचार मानकों के लागू किए जाने की संभावना और साथ ही प्रस्तावित नए अधिष्ठापनों की ईएमसी अनुरूपता का अध्ययन करने के लिए रेडियो उत्सर्जनों (इरादतन और गैरईरादतन) मापन;
- लाइसेंसीकृत अधिष्ठापनों का निरीक्षण; और
- प्राधिकृत उपग्रह पारेषणों की रक्षा के लिए आकाशीय उत्सर्जनों की मॉनीटरिंग।

डब्ल्यूएमओ के समक्ष चुनौतियां

डब्ल्यूएमओ का ध्यान प्राथमिक रूप से सार्वजनिक मोबाइल रेडियो संचार सेवाओं, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और जीवन-सुरक्षा सेवाओं पर है। डब्ल्यूएमओ बाधा रहित वातावरण में इन सेवाओं का सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों जन-शक्ति और मशीनी-शक्ति पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन सेवाओं के बाधा रहित प्रचालन का प्राथमिक कारण समग्र समाज को अत्यधिक महत्व देने में निहित है। सार्वजनिक मोबाइल सेल्युलर सेवा के संबंध में, डब्ल्यूएमओ के दो उद्देश्य हैं (i) विभिन्न कारणों की वजह से होने वाली बाधा के स्रोतों को पहचानना और उन्हें दूर करना और (ii) मौजूदा 2जी सेवाओं के विस्तार और 3जी सेवाओं की शुरुआत के लिए अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना। जहां तक सार्वजनिक प्रसारण का संबंध है, इसके पारेषण से एयरोनोटिकल मोबाइल संचार (नागर विमानन) पर प्रभाव पड़ता देखा गया है और इससे लाइसेंसीकरण के मानदंडों का उल्लंघन भी होता है। इन अति महत्वपूर्ण सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएमओ ग्राहकों के अनुकूल रेडियो अनुश्रवण उत्पादों के अधिप्रापण पर कार्य कर रहा है। रेडियो मानीटरिंग के सेवा संबंधी पहलू के अलावा, डब्ल्यूएमओ को स्पेक्ट्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है।

जालना (महाराष्ट्र) स्थित अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह निगरानी भू केन्द्र ने वर्ष 2012-13 के दौरान भारत को जीएसओ-आर्क ऑफ इंटररेस्ट में स्थित सभी उपग्रहों से डिजिटल वीडियो ब्राडकास्ट सिग्नलों की डिक्वैडिंग के साथ-साथ सेटलाइट डाउनलिक सिग्नलों की निगरानी तथा विश्लेषण के लिए एस-बैंड, सी-बैंडको पुनःजीवंत किया है तथा सी-बैंड सुविधा का विस्तार किया है। डीटीएच, डीएसएनजी, वीएसएटी सेवा आदि के लिए केयू-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम निगरानी सुविधा की शुरुआत करके क्षमता में और वृद्धि की गई है। निकट भविष्य में इसकी मापन प्रकार्यत्मकता को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में एक रीयल टाइम-स्पेक्ट्रम एनालाइजर प्राप्त किया गया है।





III. 2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का तकनीकी स्कंध है। अन्य बातों के साथ साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- I. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विनिर्देश तैयार करना।
- II. उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- III. उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- IV. नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में इन्हें लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- V. दूरसंचार विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- VI. दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- VII. दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- VIII. दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से तालमेल करना।
- IX. एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन करना।
- X. अनुसंधान और विकास के परिणामों तथा अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- XI. दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों से संबंधित ब्यौरे प्रदान करने के लिए सी-डॉट के साथ समन्वय करना।

गुणवत्ता नीति

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र, भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए मानकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विश्वस्तरीय दूरसंचार नेटवर्क की व्यवस्था और अलग अलग नेटवर्कों के बेहतर अंतरसंयोजन को सुनिश्चित किया जा सके। यह जांच और प्रमाणन निकाय के रूप में अपने कार्यों को निष्पादित करता है। दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी उपाय को कार्यान्वित करके अपनी प्रक्रिया में सतत् सुधार का प्रयास करेगा और ई-टीईसी प्रणाली हासिल करने का भी प्रयास करेगा। उपर्युक्त उल्लिखित मुख्य मुद्दों के अतिरिक्त यह दूरसंचार विभाग को तकनीकी और लाइसेंस संबंधी मुद्दों के बारे में यथासमय सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को सार्थक, स्टेकहोल्डरों का संवेदनशील तथा उत्तरदायी दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के स्तरोन्नयन, ज्ञान को साझा करके, क्षमता में वृद्धि करके और सतत् अनुकरणीय कार्यसंस्कृति से हासिल किया जाएगा। दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र ने अपने गुणवत्ता उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं :

- I. वार्षिक कार्य योजना के अनुसार नई और मौजूदा जीआर/आईआर/जांच अनुसूची को यथासमय तैयार करना और स्तरोन्नत करना सुनिश्चित करना।
- II. क्षेत्रीय प्रयोग/जांच/वैधता/प्रमाणन को यथासमय किया जाना सुनिश्चित करना।



- III. इंटरफेस/किस्म अनुमोदन और प्रमाणन को यथासमय जारी किया जाना सुनिश्चित करना।
- IV. दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र में अगली पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन) प्रयोगशाला स्थापित करना ताकि देश में इस प्रकार के नेटवर्क को तैनात किया जा सके। विद्युत चुंबकीय विकिरण की जांच करने के लिए भी प्रयोगशाला स्थापित करना।
- V. कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके उनके सतत् क्षमता विकास को सुनिश्चित करना।
- VI. ई-टीईसी प्रणाली को हासिल करने के लिए दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र की अवसंरचना को विकसित करना। पेपरलैस कार्यालय की व्यवस्था की ओर यह एक प्रयास होगा।
- VII. स्टैकहोल्डर की संतुष्टि के स्तर में सतत् सुधार करना।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवीकरण एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी):

आरंभ में राष्ट्रीय दूरसंचार अकादमी (एनटीए) की स्थापना दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय दूरसंचार अकादमी ने अपना कार्य दिनांक 01 जनवरी, 2011 को एएलटीटीसी, गाजियाबाद कैम्पस में आरंभ किया था। बढ़ती हुई राष्ट्रीय अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अकादमी की गतिविधियों के दायरे को बढ़ाया गया और इसे पुनः राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवीकरण एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) नाम दिया गया। वर्ष के दौरान एनटीआईपीआरआईटी में दूरसंचार विभाग के तथा अन्य सरकारी विभागों के कार्यरत समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारियों के लिए उनकी समकालिक जरूरतों के अनुरूप नियमित सेवाकालीन तथा प्रवेश कालीन प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि आयोजित गए। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य कार्य के कोर क्षेत्रों में अधिकारियों की दक्षता को प्रखर करना है।

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र में तकनीकी प्रस्तुतीकरण

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र के अधिकारियों और दूरसंचार उद्योग को अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए दूरसंचार आयोग में आईपीवी6 में सुरक्षा मुद्दे, सुरक्षा प्रयोगशाला, आईपीवी6 रेडीनेस के लिए नेटवर्क-आडिट, एमपीएल एस-टीपी प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न विषयों पर दूरसंचार प्रस्तुतीकरण आयोजित किए गए। टीईसी में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में विभिन्न परीक्षण और मापक औजारों के विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण भी आयोजित किए गए।

परीक्षण और प्रमाणन

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदनों की संख्या तथा सृजित राजस्व निम्नानुसार है:-

● अनुमोदन प्रमाण पत्र	—	07
● इंटरफेस अनुमोदन	—	79
● किस्म अनुमोदन	—	09
● राजस्व	—	₹ 1.27 करोड़

एनजीएन प्रयोगशाला की स्थापना

प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ गति बनाए रखते हुए तथा एनजीएन परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टीईसी ने खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली में ट्रांसपोर्ट लैब स्थापित



करने की पहल की है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य नेटवर्क संघटकों/उपस्करों की आईटीयू, आईईटीएफ, आईईई, आईपीवी6, फोरम, ईटीएसआई आदि द्वारा जारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुरूपता, अंतरप्रचालनीयता, कार्य निष्पादन, प्रकार्यत्मकता, रिगरेशन, स्थायित्व आदि के संबंध में परीक्षण करना और परीक्षण रिपोर्टें तथा परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करना है।

विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) प्रयोगशाला

मोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोबाइल उपकरणों के बारे में यथा घोषित एससआर मूल्य की जांच करने के लिए नई दिल्ली में स्थित टीईसी मुख्यालय में एक एसएआर प्रयोगशाला संस्थापित और शुरू की गई है। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मंत्री ने दिनांक 21 जनवरी, 2013 को इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

आईपीवी रेड्डी लोगो अनुमोदन (एक्रीडिटेशन)

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र द्वारा स्थापित इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 (आईपीवी6) प्रयोगशाला ने आईपीवी6 मंच के तहत आईपीवी6 रेड्डी लोगो समिति, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, द्वारा अनुमोदित होने के कारण एक अनूठी विशिष्टता अर्जित कर ली है। यह प्रयोगशाला टीईसी के लिए तथा देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में केवल पांच अन्य प्रयोगशालाओं ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है। इस प्रकार भारत, यूरोप में तथा यूएसए, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है।

परीक्षण अवसंरचना की स्थापना करना एनटीपी-2012 का एक उद्देश्य है। टीईसी प्रयोगशाला की स्थापना और आईपीवी6 रेडी लोगो लैब के रूप में पदनामित होना एक ऐसा कदम है जिससे घरेलू विक्रेता/विनिर्माता, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की सुविधा भारत में ही प्राप्त कर सकते हैं। अनुमोदित परीक्षण स्तर (टेस्ट बेड) की उपलब्धता, आईपीवी6 रेडी लोगो द्वारा अनुमोदित उत्पादों का प्रयोग करने में अंतिम-छोर के प्रयोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएगी।

अब दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र भारत में तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आईपीवी6 को तीव्रता से अभिग्रहण करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की सुदृढ़ स्थिति में है और इस प्रकार यह वैश्विक स्तर पर नेक्सट जेनरेशन इंटरनेट के विकास का पोषक है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को वहनीय और उपयुक्त कीमतों पर “बुनियादी” तार सेवाएं प्रदान करने के मूल उद्देश्य से की गई थी। तदनंतर, ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ओ.एफ.सी; जैसी अवसंरचना के सृजन सहित सभी प्रकार की तार सेवाओं तक अभिगम्यता प्रदान करने हेतु आर्थिक राज सहायता प्रदान के लिए इसके दायरे को व्यापक किया गया। नियमावली के अनुसार इस निधि से निम्नलिखित सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी:

स्ट्रीम-I: सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाएं।

स्ट्रीम-II: ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन।

स्ट्रीम-III: ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना का सृजन।

स्ट्रीम-IV: चरणबद्ध तरीके से गाँवों तक ब्राडबैंड कनेक्टिविटी।

स्ट्रीम-V: ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए सामान्य अवसंरचना।

स्ट्रीम-VI: ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकास।

भारतीय तार (संशोधन) नियमावली जिसके अंतर्गत बुनियादी सेवा प्रचालक, सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक, अवसंरचना प्रदाता (आईपी-1) तथा इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) शामिल हैं, के अनुसार यू.एस.ओ. से संबंधित कार्यकलापों का क्रियान्वयन “पात्र प्रचालकों” द्वारा किया जाता है। इन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की ही कंपनियाँ शामिल हैं।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की जारी स्कीमों की प्रगति

(क) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

एनओएफएन परियोजना की योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत संचार निगम लि., रेलटेल और पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबर का प्रयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को जोड़ने तथा ग्राम पंचायतों (जीपी) और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी अंतर को पूरा करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, विस्तारित (इन्क्रिमेंटल) फाइबर बिछाने की है।

सभी श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के नेटवर्क तक अभिगम्यता प्रदान की जाएगी। मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), केबल टी वी प्रचालक, विषय-वस्तु (कंटेंट) प्रदाता जैसे अभिगम प्रदाता/सेवा प्रदाता, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आरंभ कर सकते हैं। ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-शासन आदि के लिए विभिन्न एप्लीकेशन्स प्रदान की जाएंगी।

इस परियोजना को दिनांक 25.10.2011 को अनुमोदित किया गया। इस परियोजना को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि0 (बीबीएनएल) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 25.2.2012 को निगमित किया गया।



एनओएफएन परियोजना की परिकल्पना केंद्र राज्य के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई है। राज्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वे मार्गाधिकार प्रभार न लगाकर इस परियोजना में अपना सहयोग दें। इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि. (बीबीएनएल) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता (एमओयू) किए जाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु और लक्ष्यदीप को छोड़कर सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अजमेर जिला (राजस्थान) में अरेन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा जिला (त्रिपुरा) में पाणिसागर ब्लॉक और विशाखापत्तनम जिला (आंध्र प्रदेश) में पारवदा ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायतों को एनओएफएन से कवर करने हेतु तीन पायलट परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार इन तीनों ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक में 59 ग्राम पंचायतों को 100 मेगाबाइट्स बैंडविड्थ प्रदान की गई है।

यह परियोजना निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से दिनांक 31.12.2016 तक पूरी कर ली जाएगी।

चरण I	1,00,000 ग्राम पंचायते	31.03.2015 तक
चरण II	1,00,000 अन्य ग्राम पंचायतें	31.03.2016 तक
चरण III	शेष 50,000 ग्राम पंचायतें	31.12.2016 तक

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अंतर-जिला उप-जिला मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन तथा प्रबंधन

ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी) नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए अभिगम नेटवर्क से वॉयस तथा डाटा परियात को उनके कोर नेटवर्क से जोड़ने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम शुरू की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह स्कीम बीओओ मॉडल अर्थात् निर्माण, प्रचालन एवं स्वामित्व के आधार पर चलाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्यालय ब्लॉकों तथा जिला मुख्यालयों के बीच ओएफसीनेटवर्क संवर्धन पर विचार किया जाता है। इस स्कीम को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से इस शर्त पर राज सहायता प्रदान की जाती है कि इस करार में निर्धारित दरों पर अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा।

(ग) गाँव स्तर तक ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के लिए ग्रामीण ब्राडबैंड स्कीम

ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल ने दिनांक 20 जनवरी, 2009 को 9 वर्षों की वैध अवधि के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्कीम मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वॉयरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में वॉयरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस पर सदैव चालू रहेगी।

इस स्कीम के तहत भारत संचार निगम लि. व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं को तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वॉयरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा और वर्ष 2015 तक 28,672 कियोस्क स्थापित करेगा। राज सहायता का संवितरण (I) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई), कंप्यूटर/कंप्यूटिंग उपकरण और (II) जनता की ब्रॉडबैंड तक अभिगम्यता के लिए कियोस्क की स्थापना के लिए है। 9 वर्षों में ₹ 1,500 करोड़ की अनुमानित राज सहायता दी गई है जिसमें लगभग 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, सीपीई, कंप्यूटर/कंप्यूटिंग उपकरणों और कियोस्क आदि के लिए राज सहायता शामिल है।



31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 5,89,783 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 14,294 कियोस्क स्थापित किए गए हैं। इस ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत दिनांक 31.03.2014 तक संवितरित राज सहायता 329.55 करोड़ रूपए है।

(घ) साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वॉयरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7,353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों (7871 से संशोधित) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टॉवर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया है।

दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् स्कीम की समाप्ति तक इस स्कीम के अंतर्गत 7317 टॉवर स्थापित किए गए हैं। मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सृजित अवसंरचना को तीन सेवा (वीपीटी) प्रदाताओं द्वारा साझा किया जा रहा है। मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा 16,254 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों को इन टॉवरों पर शुरू किया गया है।

सार्वजनिक अभिगम: सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वीपीटी)

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 5,93,601 आवासित ग्रामों (अर्थात् 98.11 प्रतिशत) ग्रामों को सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अभी तक कवर न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में यूएसओएफ की जारी वीपीटी स्कीम के माध्यम से शेष आवासित/सुविधारहित ग्रामों में वीपीटी सुविधा प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, शामिल न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में वीपीटी का प्रावधान करने की यूएसओएफ स्कीम: मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण योजना के तहत प्रदान किए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित ग्रामों में कार्य कर रहे वीपीटी का मिलान किया गया था। इस स्कीम के तहत यूएसओएफ से राजसहायता प्राप्त करके वीपीटी का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01.10.2007 की स्थिति के अनुसार और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शेष सभी ग्रामों को इनकी जनसंख्या, दूरी, सुलभता और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में बीएसएनएल के साथ दिनांक 27.02.2009 को करार संपन्न किया गया है। इस स्कीम की रॉल-आउट अवधि 31 मार्च, 2014 तक थी जिसे 31 मार्च, 2015 तक विस्तारित किए जाने की संभावना है।

पायलट परियोजनाएं

दूरसंचार विभाग यूएसओएफ का जेंडर बजट कार्यक्रम: “संचार शक्ति”

दूरसंचार विभाग ने अपनी जेंडर संवेदनकारी बजट प्रतिबद्धताओं के तहत ऐसी पायलट परियोजना आरंभ करने का निर्णय किया था जिसका लक्ष्य ग्रामीण महिला स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) की आईसीटी समर्थकारी सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाना जो कि उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार अवसरों, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर सकें।

तदनुसार, संचार शक्ति स्कीम के तत्वाधान में जेंडर विशिष्ट यूएसओएफ की राज सहायता से पायलट परियोजनाएं



शुरू की गई। मोबाइल मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस) के प्रावधान के लिए संचार शक्ति पायलट स्कीम में समग्र भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विविध गतिविधियों में कार्यरत महिला एसएचजी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप कन्टेंट/सूचना के विकास की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में वीएएस कन्टेंट तैयार करने और उसकी प्रदायगी में प्रौद्योगिकी के नवीन प्रयोग को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है ताकि लक्षित लाभग्राहियों तक इसकी आसान पहुंच और प्रभावी बोध सुनिश्चित हो सके।

हाल ही में पुणे जिला (महाराष्ट्र सर्किल), अजमेर (राजस्थान सर्किल), उत्तराखंड और श्री काकुलम, पूर्व गोदावरी तथा विशाखापत्तनम जिला (आंध्र प्रदेश सर्किल) में यूएसओएफ प्रशासन और सेवा प्रदाताओं के बीच इस आशय के चार पायलट करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त आजमगढ़ जिला (उत्तर प्रदेश पूर्व सर्किल) और सहारनपुर जिला (यू.पी. पश्चिम सर्किल) प्रत्येक में 3200 महिला लाभग्राहियों को संचार शक्ति स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2013 में प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2014 तक "संचार शक्ति" के तहत ₹ 0.41 करोड़ की राज सहायता प्रदान की जा चुकी है।

नए विकास/की गई पहलें/नियोजित स्कीमें

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवा स्कीम

सरकार ने जून, 2013 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में गृह मंत्रालय द्वारा पहचाने गए 2199 लोकेशनों पर मोबाइल टॉवर संस्थापित करने की एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है।

यह कार्य भारत संचार निगम लि. को सौंपा गया है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, पांच वर्षों के लिए इसके पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) तथा राजस्व के प्रचालन व्यय (ओपेक्स) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस परियोजना की परियोजना लागत ₹ 3046.12 करोड़ है। इन क्षेत्रों में संस्थापन और रॉल आउट 12 वर्षों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस स्कीम से पहचाने गए क्षेत्रों में आम जनता को तथा साथ ही सुरक्षा कार्मिकों को वहनीय मोबाइल संचार सेवाएं उपलब्ध होंगी।

सुविधा रहित गांवों में मोबाइल संचार सेवा स्कीम

दूरसंचार विभाग की फील्ड यूनिटों द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में आबादी वाले लगभग 56,000 गांव ऐसे हैं जिन्हें अभी मोबाइल संचार सेवाओं से कनेक्ट किया जाना है। देश के आबादी वाले सुविधा रहित गांवों में मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम तैयार की जा रही है। यूएसओएफ की राज सहायता के बैंचमार्किंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल नेटवर्क की तैयारी हेतु यूएसओएफ ने दिनांक 01.11.2012 को सी-डॉट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सी-डॉट ने दिनांक 16. 08.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु व्यापक विकास दूरसंचार योजना के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित गांवों को प्रथम चरण में यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

पूर्वोत्तर के लिए व्यापक दूरसंचार योजना

दूरसंचार विभाग के अनुरोध के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 26 सितंबर, 2013



को “पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करना – एक निवेश योजना” के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की। दिनांक 6.11.2013 को आयोजित अपनी बैठक में दूरसंचार आयोग ने ट्राई की सिफारिशों के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए “सैद्धान्तिक अनुमोदन” प्रदान किया है। जिसे यूएसओएफ द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं के सुधार एवं संवर्धन के लिए पहचाने गए मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

- सुविधा रहित क्षेत्रों में 2जी (वॉयस) मोबाइल कवरेज प्रदान करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों (एनईआर) में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ 2 जी (वॉयस) की निर्बाध मोबाइल कवरेज प्रदान करना।
- एनईआर में राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क में विश्वसनीयता तथा खराब उपकरणों को समाप्त करना सुनिश्चित करना।

मैसर्स टेलीकॉम कंसलटेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) को उपर्युक्त घटकों के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

यूएसओएफ की विभिन्न गतिविधियों के बारे में निधि की स्थिति तथा संवितरण के आंकड़े

- वर्ष 2013-14 में एकत्र की गई सार्वभौमिक अभिगम लेवी (यू.ए.एल.) ₹ 7885 करोड़ है और इस अवधि के दौरान ₹ 2163.45 करोड़ की राज सहायता वितरित की गई।
- दिनांक 31.3.2014 तक यूएसओएफ के माध्यम से ₹ 17947.85 की राज सहायता वितरित की गई है, तथा लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए बीएसएनएल को ₹ 6,948.64 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- इस प्रकार दिनांक 31.03.2014 तक यूएसओएफ की कुल ₹ 24896.49 करोड़ की राशि उपयोग में लाई गई है तथा उपलब्ध कुल शेष राशि ₹ 33,671.69 करोड़ हैं।
- 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना के लिए 2 वर्षों में अनुमानित ₹ 20,000 करोड़ की लागत हेतु यूएसओएफ द्वारा वित्त-पोषण किया जा रहा है। 31 मार्च 2014 तक इस एनओएफएन परियोजना के लिए कुल ₹ 919 करोड़ की राशि संवितरित की गई।
- गृह मंत्रालय द्वारा पहचाने गए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में यूएसओएफ की वित्तीय सहायता से मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएगी जिनकी अनुमानित लागत ₹ 3046.12 करोड़ है। शेष धनराशि का उपयोग, यूएसओएफ की अन्य जारी तथा अगामी स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु किया जाएगा।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

पूरे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय हैं। इनकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य दूरसंचार एवं बीएसएनएल कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवांत हित लाभों का भुगतान करना था, परंतु अब प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक दूरसंचार विभाग और इसके विभिन्न पणधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण इन्टरफेस के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह भूमिका ग्राउण्ड लेवल पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार प्रबंधन, यूएसओ निधि प्रबंधन, यूएसओ क्रियाकलापों की प्रगति समीक्षा आदि जैसे विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अदा की जाती है। संक्षिप्त समयावधि में सीसीए कार्यालय ने दूरसंचार विभाग के विभिन्न पणधारकों (दूरसंचार सेवा प्रदाता और विशेष रूप से बीएसएनएल कर्मचारी) की सेवा करके और उनके व्यावसायिक कार्य के साथ उन्हें दूरसंचार विभाग के साथ जोड़कर अपने लिए एक अलग स्थान बनाया है।

सेवा के अंत में मिलने वाले लाभों का संवितरण

- **पेंशन:** केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 37 (क) के प्रख्यापन हो जाने से भारत संचार निगम लि0 में आमेलित पूर्ववर्ती सरकारी सेवकों के पेंशन के भुगतान में सरकार की अहम भूमिका है। सीसीए यूनिट पेंशन संबंधी व्यय का बजट बनाने और सीडीए और आईडीए वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों को प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। इस समय, सीसीए कार्यालय दो लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहे हैं। इस संबंध अद्यतन आंकड़ें निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	पेंशन भोगियों की संख्या (लाख में)	संवितरित पेंशन (₹ करोड़ में)
2012-13	2.45	5685.34
2013-14	2.60	5674.22

- **पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन नकदीकरण:** सीसीए कार्यालय सरकार द्वारा किए गए पेंशन अंशदान और अवकाश नकदीकरण के भुगतान के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशियों का संग्रहण उनकी जांच और मॉनीटरिंग के कार्य करते हैं।
- **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और दीर्घावधिक ऋणों का लेखाकरण:** सीसीए कार्यालय सामान्य भविष्य निधि, दीर्घावधिक ऋणों और ऑग्रम राशियों के अनुरक्षण और उनकी वसूली/उनके लेखाकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- **लेखा परीक्षा संबंधी कार्य:** सीसीए कार्यालय पेंशनभोगियों को पेंशन और सम्बद्ध हितलाभों का भुगतान करने के लिए नामोद्दिष्ट बैंकों और डाकघरों द्वारा किए गए संवितरण की उत्तर लेखापरीक्षा करते रहे हैं। सीसीए कार्यालय, वायरलैस मॉनीटरिंग सेवाओं, दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन तथा मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों, क्षेत्रीय दूरसंचार इंजिनियरिंग केन्द्रों और क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों सहित फील्ड कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करते हैं।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना:** सीसीए कार्यालयों द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का



सरल प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीसीए कार्यालयों के अधिकारियों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों (डीएए) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

लेखें

सीसीए कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की बुनियादी इकाई है और टर्म, डब्ल्यूएमओ और आरएलओ जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पीएओ और डीडीओ का कार्य करता है। सीसीए कार्यालयों में सूचना पद्धति को प्रभावी रूप से लागू करते हुए लेखाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण को अत्यधिक रूप से सरल और कारगर बना दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2013-14 में ईलेखा के साथ सीओएमपीएसीटी (कॉम्पैक्ट) साफ्टवेयर के माध्यम से लेखाओं के प्रस्तुतिकरण को समग्र रूप से एकीकृत करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ईलेखा महालेखा नियंत्रक (सीजीए) कार्यालय द्वारा अभिशासन संबंधी की गई एक पहल है जिसमें सभी मंत्रालयों द्वारा लेखाओं को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप, लेखा संबंधी आनलाइन सूचना: ई लेखा की साईट पर वस्तु शीर्ष स्तर से प्रबंधन स्तर तक उपलब्ध है। प्रधान लेखा कार्यालय (दूरसंचार विभाग मुख्यालय) में आंकड़ों की हस्तलिखित सामग्री रखने का कार्य पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जेईपीजी वेबसाइट प्रयोग करके ईपेमेंट प्रक्रिया शुरू की गई है और 7 कार्यालयों में पूरी की गई है।

शेष सीसीए के संबंध में प्रक्रिया प्रगति पर है। पूरे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए "सिंगल विन्डों सिस्टम" को क्रियान्वित किया गया है। दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लाभार्थ प्रधान सीसीए/सीसीए के 21 कार्यालयों में टोल-फ्री टेलीफोन नम्बर हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है और शेष कार्यालयों में कार्य प्रगति पर है। तीन कार्यालयों में व्यापक आहरण एवं वितरण कार्यालय पैकेज को क्रियान्वित किया गया है और शेष कार्यालय में यह कार्य प्रक्रियाधीन है। दूरसंचार विभाग रिसीट्ज की अकाउंटिंग के लिए ई-रिसीट सिस्टम को दूरसंचार के मुख्यालय में क्रियान्वित किया गया है और सीसीए कार्यालयों को रोल-आउट का कार्य प्रक्रियाधीन है।

मूल्यांकन व राजस्व संबंधी कार्य

- **लाइसेंस शुल्क को एकत्र करना:** सभी प्रकार के दूरसंचार लाइसेंसों नामतः बेसिक, (एमटीएस, यूएसएल/यूएल, आईएलडी, कैपटिव वी-एसएटी, वाणिज्यिक वी-एसएटी, (एमआरटीएस, पीएमआरटीएस, आईएसपी आईटी- "ए", "बी" और "सी" आईएसपी बिना टेलीफोनी "ए", "बी", "सी", आईपी-। और आईपी-।। के साथ समर्थक कागजातों नामतः राजस्व और लाइसेंस शुल्क (समायोजित सकल राजस्व विवरण) और शपथपत्र आदि के संबंध में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क और सार्वभौमिक सेवा लेवी को एकत्र करने के लिए प्रधान सीसीए/सीसीए जिम्मेदार हैं।
- **लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन:** स्टेण्डअलोन/विकेन्द्रित लाइसेंसों नामतः आइएलडी, एनएलडी, कैपटिव वी-एसएटी, वाणिज्यिक वी-एसएटी, सीएमआरटीएस, पीएमआरटीएस, आईएसपी आईटी-"ए", "बी" और "सी" आईएसपी बिना टेलीफोनी "ए", "बी", "सी", आईपी-। और आईपी-।। से संबंधित लाइसेंस शुल्क के मूल्यांकन के लिए भी प्रधान सीसीए/सीसीए जिम्मेदार हैं।



- **लाइसेंसधारकों द्वारा क्लेम की गई कटौतियों का सत्यापन:** लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क भुगतान के लिए एजीआर तय करते समय कटौतियों का दावा करते हैं। ये कटौतियां (पास-थ्रू प्रभार, रोमिंग सेवा प्रभार, विक्रय-कर और सेवा कर के कारण) वास्तव में अदा की गई राशि के आधार पर देय होती है और सीसीए द्वारा इनका सत्यापन प्रति तिमाही किया जाता है। लाइसेंसधारकों द्वारा क्लेम की गई कटौती स्व लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के अधीन सकल राजस्व के 25% से 90% के बीच होती है।
- **वित्तीय और निष्पादन बैंक गारंटी का रख-रखाव:** विकेन्द्रीयकृत लाइसेंसों के संबंध में निष्पादन बैंक गारंटियों और सभी लाइसेंसधारकों के संबंध में वित्तीय बैंक गारंटियों की सुरक्षा के लिए प्रधान सीसीए/सीसीए जिम्मेदार हैं। सीसीए कार्यालयों को लाइसेंसधारकों लेजरो द्वारा दी गई इन बैंक गारंटियों के लेजरो/नियंत्रक रजिस्ट्रों, नवीनीकरण, संशोधन, न्वोनमेष आदि के उपयुक्त रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना होता है।
- **शास्तियां:** सीएएफ, ईएमआर से संबंधित शास्तियां और सीसीए, टर्म प्रकोष्ठ, सुरक्षा और टीईसी द्वारा लगाए गए सभी दण्ड और उनका एकत्रण/वसूली
- **विविध राजस्व:** राजस्व के विभिन्न स्रोतों की प्राप्ति और इसका एकत्रण नामतः ओएसपी पंजीकरण शुल्क, बीएएसइ का परीक्षण शुल्क, सर्वेक्षण/आरईपीसी प्रभाग, डब्ल्यूएमओ, आरएलओ आदि से स्थापना प्रभार।
- **लाइसेंसधारकों से अभ्यावेदन:** प्रधान सीसीए/सीसीए से अपेक्षित है कि वे कटौती सत्यापन रिपोर्ट/स्पष्टीकरण, लाइसेंस शुल्क के एकत्रण, पीबीजी/एफबीजी के रख-रखाव के लिए अपेक्षित अन्य कागजातों को प्रस्तुत करने के संबंध में लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के उत्तर दें।
- **न्यायालय मामले:** सीसीए कार्यालय विधिक मामलों में दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व भी करता है और प्रधान सीसीए/सीसीए को संबंधित कार्यालयों के माननीय उच्च न्यायालय/न्याधीकरण/लोकपाल के सामने पेश न्यायिक मामलों की रक्षा भी करता है। ये कार्यालय टीडीसेट मामलों जिनमें उनके कार्यालयों से संबंधित पैरों के उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं।
- **एलएफ साफ्टवेयर में डाटा की पोस्टिंग:** सीसीए कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे एलएफ एकत्रण और जीआर/एजीआर से संबंधित आंकड़ों को एलएफ साफ्टवेयर को सीएआर आंकड़ों सहित एलएफ एकत्रण को इसकी प्राप्ति के दो दिनों के अंदर पोस्ट करें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीयकृत लाइसेंसों के संबंध में सभी लाइसेंसधारकों और निष्पादन बैंक गारंटियों के संबंध में वित्तीय बैंक गारंटी को एलएफ साफ्टवेयर में पोस्ट करें।
- **स्पेक्ट्रम प्रभारों का एकत्रण:** राजस्व आधार पर सेल्यूलर प्रचालकों के संबंध में स्पेक्ट्रम प्रभारों को एकत्र करने से संबंधित कार्य को एक अप्रैल, 2004 से सीसीए कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया गया है। राजस्व की निर्धारित प्रतिशतता पर स्पेक्ट्रम शुल्क प्रति तिमाही अग्रिम रूप से एकत्र किया जाता है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र किए गए स्पेक्ट्रम प्रभार और लाइसेंस शुल्क भारत सरकार का कर-रहित राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। इसे लेख के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान एकत्र की गई राशि का विवरण निम्नलिखित



तालिका में दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
लाइसेंस शुल्क	9778.52	10286.43	11790.93	11456.48	14628.41
स्पेक्ट्रम प्रभार	3809.54	3432.47	5192.30	5679.19	6814.69
नीलामी राजस्व	—	106264.73	—	1722.24	18267.18

यूएसओ से संबंधित कार्य

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधी का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य-स्तर पर संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा की जाती है। सीसीए धनराशि को वितरित करने से पूर्व सेवा-प्रदाताओं को यूएसओएफ सब्सिडी का भी विवरण करते हैं। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण भी करते हैं। वे राज्य सरकारों से भी संपर्क करते हैं ताकि स्कीमों का सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो सके। पिछले दो वर्षों के दौरान वितरित की गई यूएसओ निधि की राशि नीचे दी गई है :-

	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
वितरित की गई यूएसओ निधि की राशि (₹ करोड़ में)	625	2163.45

वे निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:-

- यूएसपी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर कार्रवाई
- सब्सिडी और दावों का वितरण
- फील्ड विजिट-वीपीटी/आरसीपी/आरएचडीईएलएस/मोबाइल का निरीक्षण
- डाटा आधारित प्रबंधन
- यूएसओ निधि प्रशासक के पास आवधिक विवरणियां दर्ज कराना
- ग्रामीण दूरसंचार अध्ययन

प्रशासनिक कार्य

- सीसीए डब्ल्यूएमओ, आरएलओ, टर्म प्रकोष्ठों और दूरसंचार विभाग के फील्ड कार्यालयों के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वे कार्यालय प्रमुख के रूप में अन्य प्रशासनिक कार्य भी कर रहे हैं।
- **विधिक कार्य:** जहां पर भारत सरकार सेवा संबंधी मामलों, लाइसेंस शुल्क मामलों, स्पेक्ट्रम प्रभारों, पेंशन, आमेलन मुद्दों आदि में एक पक्ष होता है वहां सीसीए कोर्ट संबंधी मामलों को भी देखती है।
- विभाग द्वारा, तार प्राधिकरण और इस सुविधा के प्रयोक्ता के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के प्रावधानों के अनुसार विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष औसतन लगभग 300 के करीब विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के बिलों संबंधी विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 की



धार 7-ख के तहत विवाचक नियुक्त करने की अपनी शक्तियां प्रधान नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रकों को प्रदान कर दी हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए तथा शिकायत निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए किया गया है।

- दूरसंचार विभाग ने भूमि तथा भवन जैसी बड़ी परिसंपत्तियों का मालिक होने के नाते भूमि तथा भवन संबंधी एक परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सीसीए कार्यालय, बीएसएनएल, एमटीएनएल के अधिकारियों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल की भूमि का सत्यापन करते हैं। परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सीसीए कार्यालय, बीएसएनएल, एमटीएनएल के अधिकारियों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल की भूमि का सत्यापन करते हैं। परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव/बीएसएनएल को भूमि का हस्तांतरण का कार्य सीसीए कार्यालयों द्वारा किया जाता है। दूरसंचार विभाग का भूमि एवं भवन परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित दूरसंचार विभाग की परिसंपत्ति बेवसाइट पर तैयार किया गया है। भूमि एवं भवन परिसंपत्ति की जीआईएस मैपिंग का कार्य एनआईसी द्वारा पूरा कर लिया गया है।

सिंगल विंडो सिस्टम

सीजीए, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से संशोधित सिंगल विंडो सिस्टम से किया जाए। यह प्रणाली क्षेत्र के सभी बैंको को समर्थ बनाती है कि वे सभी राज्यों को पेंशन वितरित कर सकें और केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीपीसीए) की शुरुआत करके लिंक शाखाओं के समाप्त किया जाए। तदनुसार, दूरसंचार पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण करने के लिए दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के 24 बैंकों और बैंक आफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और इस विभाग में यह प्रणाली सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई है।

ई-भुगतान प्रणाली

विभाग में ई-भुगतान प्रणाली को क्रियान्वित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार सभी प्रधान सीसीए/सीसीए कार्यालयों में प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए थे। आज की तारीख में ई-भुगतान प्रणाली को दूरसंचार विभाग के मुख्यालय के भुगतान एवं लेखाधिकारी, सीसीए छत्तीसगढ़, सीसीए पश्चिम बंगाल सर्किल और प्रधान सीसीए कोलकाता फोन्स में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। अन्य प्रधान सीसीए/सीसीए कार्यालयों में ई-भुगतान प्रणाली को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए महिलाओं के लाभ हेतु योजना और गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत धनराशियों का आवंटन निम्नानुसार है:-

100% महिला विशिष्ट स्कीम

(₹ करोड़ में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2012-13		संशोधित अनुमान 2012-13		बजट अनुमान 2013-14	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
स्टाफ को सुविधाएं	-	0.10	-	0.15	-	0.25
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	2.20	-	-	-	1.50	-



राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक शीर्ष स्तर का केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मान्यता दी है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के अधिकारियों और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। संस्थान, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण, नीति और योजना बनाने के लिए दूरसंचार विभाग को जानकारी देने, भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा और अन्य संगठित सेवाओं के समूह "क" "ख" और "ग" समूह के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं प्रशिक्षण के आयोजन हेतु जिम्मेदार है। संस्थान, वैज्ञानिक आधार पर बैंच मार्किंग सहित विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, मिड-कैरियर प्रशिक्षण, भर्ती प्रशिक्षण आदि आयोजित करता है।

कार्यशालाएं / सम्मेलन

वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थान ने सूचना का अधिकार, सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्रवाई, कम्पेक्ट, पेंशन वाउचिंग और आडित (पीवीए) साफ्टवेयर, पर कार्यशालाएं आयोजित कीं। 2013-14 के दौरान "स्पेक्ट्रम प्रबंधन" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई।



(श्री एम.एफ. फारुखी, सचिव (टी), इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में 29-30 अप्रैल, 2013 को "स्पेक्ट्रम प्रबंधन" विषय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रोताओं को संबोधित करते हुए)



सेवा के मध्य प्रशिक्षण

भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के अधिकारियों के लिए मई और जून, 2013 के दौरान अनिवार्य सेवा-मध्य प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लोक-नीति, सुशासन, स्पेक्ट्रम लेखा, स्पेक्ट्रम आबंटन और प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और साइबर कानून आदि के क्षेत्र की जानकारी अधिकारियों को दी गई। विषय से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराने के लिए प्रतिभागियों को "क्लास-रूम" प्रशिक्षण दिया गया, फील्ड विजिट और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिया गया।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 5 सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

सतर्कता स्कंध द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों से संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान 109 शिकायतों प्राप्त हुईं और 95 शिकायतों की जांच की गई। 43 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किए गए और 47 अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात बृहद/लघु शास्ति द्वारा दंडित किया गया और इस अवधि के दौरान अपील के 39 मामलों का निपटारा किया गया।

स्टाफ प्रशिक्षण

स्टाफ के बीच सतर्कता क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 5 दिवसीय “सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्रवाई” प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। दूरसंचार विभाग की विभिन्न इकाइयों (फील्ड इकाइयों सहित) से इस प्रशिक्षण हेतु भिन्न-भिन्न स्तर के कर्मचारियों को भेजा जाता है। यह पाठ्यक्रम नीति अनुसंधान, न्वोनमेष और प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) और राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) के कार्यक्रमानुसार चलाया जाता है। 35 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अधिकारी परिचित होते हैं और बाद में इन अधिकारियों का जांच/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के रूप में कार्य करने हेतु एक पूल बनाया जाएगा।

सतर्कता निकासी

यह सतर्कता स्कंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी आवश्यकता पदोन्नति, विदेश में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति और पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय पड़ती है। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के लिए 5,897 सतर्कता निकासी प्रदान की गईं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

केन्द्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार का शीर्ष संस्थान है जिसका सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि पर क्षेत्राधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान जांच के बाद 35 मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए भेजा गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

28 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए निबंध, पहली और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

सांख्यिकीय सार

विभिन्न कार्यकलापों का सांख्यिकीय सार नीचे दिया गया है :-

कार्यकलाप	दिनांक 01.01.13 से 31.03.14 तक
प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	109
छानबीन की गई शिकायतों की कुल संख्या	95
की गई अनुशासनिक/अन्य कार्यवाही की कुल संख्या	53



अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें आरोप-पत्र दिए गए, की कुल संख्या	43
संस्तुत दीर्घ शास्तियों की कुल संख्या	29
संस्तुत लघु शास्तियों की कुल संख्या	24
जारी की गई सतर्कता निकासी की कुल संख्या	5897

01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, प्राप्त की गई और निपटाई गई सीवीसी शिकायतों की संख्या

दिनांक 1 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार, प्रारंभिक बकाया	31 मार्च, 2014 तक प्राप्त	31 मार्च, 2014 तक निपटाई गई	31 मार्च, 2014 तक कुल बकाया
14	19	16	17

01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान विभागीय सतर्कता क्रियाकलाप

क्र. सं.	क्रियाकलाप	श्रेणी	
1	अवधि के दौरान हाथ में ली गई शिकायते		109(+सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य इकाइयों को भेजे गए 250 मामले)
2	निम्नलिखित के लिए आरोपित अधिकारियों की संख्या		
	(क) बृहद शास्ति	जी.ओ.	29
		एनजीओ	—
	(ख) लघु शास्ति	जी.ओ.	24
		एनजीओ	—
3	एमए/एमआई शास्ति से दण्डित अधिकारियों की संख्या		47
4	जारी अभियोग अनुमोदनों की संख्या	जी.ओ.	05
		एनजीओ	—
5	जांच के पश्चात परामर्श हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई अन्वेषण रिपोर्ट की संख्या (केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मामलों के अलावा)		30
6	परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई सीबीआई रिपोर्ट		05
7	जांच के पश्चात निपटाए गए मामलों (प्रधान मंत्री कार्यालय के एसीयू से प्राप्त) की संख्या		—
8	निपटाए गए अपील संबंधी मामले	समूह 'क'	22
		समूह 'ख'	17

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 6 दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम)

देशभर में 34 टीईआरएम प्रकोष्ठ हैं, प्रत्येक प्रकोष्ठ का प्रमुख उप-महानिदेशक (डीडीजी) होता है। सभी 34 टीईआरएम प्रकोष्ठ वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं।

टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्य

उपभोक्ताओं के प्रापण के संबंध में विहित मानकों के अनुपालन की निगरानी: वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा संबंधी सरोकारों के लिए उपभोक्ताओं के प्रापण के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुपालन सतत रूप से किया जाए। इसके लिए प्रतिमाह नमूना आधार पर सभी सक्रिय उपभोक्ताओं के ग्राहक प्रापण प्रपत्रों (सीएएफ) की जांच करने का निर्णय किया गया। वर्ष 2008 में, एनएसएसओ की सिफारिश के आधार पर नमूना आकार को 0.1% तक कर दिया गया। मानकों के गैर अनुपालन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर दंड भी लगाया जा रहा है। इस कार्यविधि के परिणामस्वरूप, सीएएफ की अनुपालना प्रतिशत जो लगभग 74 प्रतिशत थी अब बढ़कर लगभग 95.6 प्रतिशत हो गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 1.2 करोड़ सीएएफ का ऑडिट किया गया है और गैर अनुपालन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से ₹ 113 करोड़ से अधिक राशि का दंड एकत्र किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, टीईआरएम प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्य भी कर रहे हैं और गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाए जा रहे हैं :

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डाटाबेस का विश्लेषण।
- स्टोरेज से सीधे नमूने लेने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माल-गोदामों का निरीक्षण।
- एलईए सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा सूचित उपभोक्ता सत्यापन संबंधी मामलों की जांच।

मासिक सीएएफ ऑडिट के अलावा, अन्य मामलों में ₹ 7.6 करोड़ की राशि एकत्र की गई है। 2013-14 की अवधि के दौरान सीएएफ/दस्तावेजों से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 55700 कनेक्शनों को कवर करते हुए स्थानीय पुलिस में लगभग 1600 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

सेवा परीक्षण: लाइसेंस समझौते के अनुसार सभी अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों को निर्धारित समयावधियों के दौरान अपनी सेवाओं को प्रारंभ करना अपेक्षित है। इसके लिए उनको दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों जिन्हें सेवा परीक्षण कहा गया है और गुणवत्ता/कवरेज की पुनः जांच करने के लिए स्वयं द्वारा चयनित जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करनी हैं। वर्ष 2007 में यह निर्णय किया गया था कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित मामलों का सेवा परीक्षण करने की जिम्मेदारी टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंपी जा सकती है। यह काफी सघन जांच होती है और दूरसंचार विभाग ने इन परीक्षणों के लिए प्रभार निर्धारित किए हैं। टीईआरएम प्रकोष्ठ स्वयं द्वारा परीक्षण किए गए मामलों में सेवा परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र (एसटीआरसी) भी जारी कर रहे हैं।

इसके अलावा, टीईआरएम सेल उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जो रोलआउट दायित्व शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, पर परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी) प्रभार लगाने के लिए रोल आउट दायित्व से संबंधित एकत्र डाटा भी भेज रहे हैं।



वर्ष 2013-14 के दौरान, टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा 2080 से अधिक बीटीएस की जांच की गई है जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण शुल्क के रूप में ₹ 67 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन की जांच: मानव स्वास्थ्य पर विद्युत-चुम्बकीय विकिरण के हानिकारक प्रभावों पर बढ़ती चिंता के साथ वर्ष 2010 में निर्णय किया गया था कि टीईआरएम प्रकोष्ठों को सरकार द्वारा निर्धारित ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन की जांच करने का कार्य सौंपा जाए। इस संबंध में परीक्षण शुल्क के साथ विशिष्ट प्रक्रियाओं का भी निर्धारण किया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान विकिरण मानकों के अनुपालन के लिए सबसे अधिक 76200 बीटीएस का परीक्षण किया गया था जिसके फलस्वरूप, परीक्षण शुल्क के रूप में लगभग ₹ 64 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। केवल 79 बीटीएस विकिरण सीमा से अधिक विकिरण पाए गए।

जन शिकायत संबंधी मामलों का निपटान: टीईआरएम प्रकोष्ठ अपने अपने क्षेत्र में लाइसेंसप्रदाता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा इनके द्वारा पीजी पोर्टल या अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण और समाधान किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा 6900 से अधिक जन शिकायत मामलों का निपटान किया गया।

राजकोष को वित्तीय हानि पहुंचाने वाले अवैध ढांचों को प्रतिबंधित करना: टीईआरएम प्रकोष्ठों के सृजन का उद्देश्य अवैध प्रचालनों (जो भारतीय दूरसंचार अधिनियम के तहत अनुमत्य नहीं हैं) को प्रतिबंधित करना तथा अपराधियों को गिरफ्तार करना था। अभी तक ऐसे 500 से अधिक अवैध ढांचों का पता लगाया गया है और संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् स्थानीय पुलिस, सीबीआई, डीआरआई इत्यादि की मदद से उन पर छापे मारे गए हैं ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। इन मामलों को अपराधियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई हेतु विधि प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) का पंजीकरण: देश में बीपीओ उद्योग का विकास होने पर यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा किए जा रहे अन्य सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को विकेन्द्रित किया जाए। टीईआरएम प्रकोष्ठों को ओएसपी पंजीकरण सहित टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण का कार्य भी सौंपा गया था। टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण का कार्य अभी ट्राई द्वारा किया जा रहा है। ओएसपी के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर एनआईसी की मदद से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है ताकि ओएसपी पंजीकरण के आवेदनों के निपटान हेतु अपेक्षाकृत पारदर्शी, सुविधाजनक और तीव्र प्रक्रियातंत्र की व्यवस्था की जा सके। सरकार ने टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण के लिए ₹ 1000 का मामूली प्रक्रिया शुल्क भी निर्धारित किया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा 1200 से अधिक ओएसपी का पंजीकरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 13.86 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/उपभोक्ताओं का निरीक्षण: टीईआरएम प्रकोष्ठ दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के निरीक्षण कर रहे हैं :

- यूएसएल/सीएमटीएस/बुनियादी लाइसेंसों का निरीक्षण।
- एनएलडी/आईएलडी लाइसेंसों का निरीक्षण।



- आईएसपी का निरीक्षण।
- ओएसपी/टेलीमार्केटर्स का निरीक्षण।
- अवसंरचना प्रदाताओं-1 का निरीक्षण (आईपी-1)।
- बल्क ग्राहकों/भारी प्रयोक्ताओं, इंटरनेट पट्टाकृत लाइनों, वी-सेट ग्राहकों आदि जैसे ग्राहकों का निरीक्षण।
- रिटेलर्स/वितरकों का निरीक्षण।

वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा 11300 से अधिक ऐसे निरीक्षण किए गए हैं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके संबंधित विसंगतियों को दूर किया गया है।

त्रिपक्षीय कार्यशालाओं का आयोजन: उपभोक्ता सत्यापन से संबंधित सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और ईएमएफ मानकों के क्रियान्वयन में स्टेकधारकों को शामिल करने के लिए हैदराबाद में एक त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उपभोक्ता सत्यापन से संबंधित सुरक्षा मुद्दों और ईएमएफ मानकों के क्रियान्वयन में स्टेकधारकों को शामिल करने के लिए जयपुर और गोवा में दो त्रिपक्षीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

अन्य प्रमुख कार्य

- नेटवर्क मानदंडों की निगरानी तथा क्षेत्र में विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य समन्वय करना।
- लाइसेंसप्रदाता द्वारा जनहित में जारी अनुदेशों की लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन की जांच किया जाना।
- संबंधित लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता के डाटाबेस का रखरखाव और उसे अद्यतन करना
- संबंधित लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के काल स्थल/बीटीएस रजिस्ट्रों का रखरखाव और उन्हें अद्यतन बनाना।
- ग्लोबल कालिंग कार्डों और अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्डों आदि की बिक्री के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में कंपनियों द्वारा अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- दूरसंचार विभाग द्वारा ओएसपी, आईपी-1, आईपी-11 आदि श्रेणियों के तहत पंजीकृत विभिन्न कंपनियों द्वारा अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- अंतर प्रचालक कालों के लिए अधिकतम काल पूर्ण अनुपात (सीसीआर) सुनिश्चित करने हेतु अंतर प्रचालक कनेक्टिविटी की निगरानी करना।
- ग्राहकों, सीडीआर, एक्सचेंज रिकार्डों आदि को सूचना उपलब्ध कराने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों/एलईए को सहायता प्रदान करना तथा एलईए के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा/समन्वय के मामलों पर कार्यवाही करना।
- लाइसेंसधारक के नेटवर्क से होकर गुजरने वाले सभी संचार संप्रेषणों के संबंध में, लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर, विधिसम्मत अंतरावरोधन/निगरानी हेतु तकनीकी तौर पर व्यवस्था करना।
- प्राकृतिक विपदा या किसी अन्य संकटकालीन स्थिति में नेटवर्क को अपने अधिकार में लेना।



- संवेदनशील राज्यों (असम, पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर) में दूरसंचार सेवा प्रदाता के फ्रेंचाइजी का पुलिस सत्यापन।
- विभिन्न लाइसेंसधारकों के काल डिटेल रिकार्ड/एक्सचेंज रिकार्ड/उपभोक्ता/परियात डाटा का विश्लेषण।
- देश और ग्राहकों के समग्र हित में दूरसंचार विभाग द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

मोबाइल टावरों की स्थापना के बारे में मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शी दिशानिर्देश जारी करना:

देशभर में मोबाइल टावरों की स्थापना के बारे में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, राज्य सरकारों, सिविल सोसायटी आदि जैसे विभिन्न स्टेकधारकों को प्रभावित करने वाले बहुसंख्यक जटिल मुद्दों का समाधान करने के लिए संबंधित राज्य नीतियों में अपेक्षित एकरूपता लाने के लिए अपेक्षित क्रियान्वयन और टावर संबंधी मंजूरी की पूरी प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा उसे सुविधाजनक बनाने करने के लिए टीईआरएम शाखा द्वारा राज्य सरकारों को दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी नए परामर्शी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ईएमएफ दंड प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना

ईएमएफ दंड कार्यप्रणाली की टीईआरएम शाखा द्वारा समीक्षा की गई और समय समय पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाए गए दीर्घकाल से लंबित विवादास्पद दंडात्मक मुद्दों का निदान करने के लिए दंड प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इसे दिनांक 20.11.2013 से क्रियान्वित किया गया।

ईएमएफ समिति की रिपोर्ट

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण से संबंधित मुद्दों पर वरिष्ठ उपमहानिदेशक, दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में गठित एक बहुविषयक समिति ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसने मोबाइल बेस स्टेशन टावरों एवं मोबाइल फोनों से निकलने वाले ईएमएफ विकिरण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव पर बढ़ती जन चिंता का प्रभावी समाधान करने हेतु ठोस निर्णय लेने के लिए दूरसंचार विभाग को सक्षम बनाया।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 7 महिला सशक्तिकरण

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति में निर्धारित जेंडर न्याय और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं। दूरसंचार विभाग अपनी सभी इकाइयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्ष एक महिला है।

विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) : संचार शक्ति स्कीम

मोबाइल मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) की व्यवस्था हेतु संचार शक्ति पायलट स्कीम के अंतर्गत भारत भर में ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यकलापों को करने वाले महिला एसएचजी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार सामग्री का विकास/कस्टमीकृत सूचना का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम में वीएएस सामग्री की डिजाइनिंग और उसको उपलब्ध कराने में प्रौद्योगिकी के प्रयोगपरक इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है ताकि लक्ष्य की गई महिला लाभार्थियों के लिए इसकी सुगम उपलब्धता और प्रभावी समानता सुनिश्चित की जा सके।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लि0 ने अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नई कार्य योजनाओं को निष्पादित करते हुए सदैव महिलाओं की सामाजिक स्थिति का उत्थान करने के प्रयास किए हैं। इसे जनशक्ति संबंधी आँकड़ों से देखा जा सकता है क्योंकि दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल के कुल कर्मचारियों में से 22.34 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके साथ, एमटीएनएल ने महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं। उनमें से कुछ कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- समान पद पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक दिया जाता है और जाति, लिंग, धर्म, आदि के आधार पर प्रतिपूर्ति के भुगतान में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के मामले में विशेष सावधानी बरती गई है और उन्हें विश्राम कक्ष/शयनागार उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता भी दिया जाता है। उनकी रात्रि ड्यूटी पाली की व्यवस्था इस तरह की जाती है कि वे दिन में ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करें और दिन में ड्यूटी समाप्त कर घर जा सकें।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इकाई स्तर पर और निगमित कार्यालय स्तर पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।
- कर्मचारियों के लिए मातृत्व/पितृत्व अवकाश की सुविधा भी उपलब्ध है।
- महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशुसदन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
- महानगर टेलीफोन निगम लि0 महिला कल्याण संगठन के लिए वार्षिक आधार पर विशेष अनुदान की मंजूरी दी जा रही है जिसके तहत, कार्यरत और सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों के सगे संबंधियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।



भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

भारत संचार निगम लि0 में महिला कर्मचारियों के हित के लिए चलाई जा रही स्कीमों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं :-

- सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रावधानों के अनुसार बाल देखभाल अवकाश की व्यवस्था है।
- विकलांग महिला कर्मचारियों को अधिकतम दो बच्चों की देखभाल हेतु बच्चे की आयु दो वर्ष होने तक ₹ 1000 प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है।

टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लि0 (टीसीआईएल)

टीसीआईएल अपने कर्मचारियों को अनुकूल कार्य-वातावरण उपलब्ध करा रहा है और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों के लिए कल्याण उपायों के रूप में महिलाओं हेतु अलग से विश्राम कक्षों सहित टीसीआईएल में विभिन्न लाभपरक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाएं आज कुछ शीर्षस्थ प्रबंधन पदों पर विद्यमान हैं और अधिक से अधिक महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं। टीसीआईएल में महिला कर्मचारियों से युक्त एक यौन उत्पीड़न निरोधक समिति भी मौजूद है जो उत्पीड़न के संबंध में महिला कर्मचारियों की शिकायतों का निदान कर रही है और महिला कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है।

टीसीआईएल कमजोर वर्गों और महिलाओं, जिनको विद्यालय जाने/शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त नहीं है, को टेलीशिक्षा प्रदान करने के लिए ई-नेटवर्क की मार्फत भारत के 272 पिछड़े जिलों को जोड़ने की योजना बना रहा है।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक संचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण प्रारंभ से ही अपने कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी महिला कर्मचारियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया गया है। आईटीआई लिमिटेड द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नवत हैं :-

- इकाइयों में कैंटीन में अलग से भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष और शिशुसदनों की व्यवस्था की गई है।
- कंपनी की व्यापक स्वास्थ्य सुविधा योजना है जो इसके कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ उपलब्ध कराती है। बंगलूरु, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं जिनमें महिला और बालकल्याण पर बल दिया जाता है।
- कंपनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- यह सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है कि महिला कर्मचारियों को, उनकी आवश्यकता के अनुरूप, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाए।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट प्रबंधन लिंग भेद संबंधी मामलों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा है तथा यह जेंडर समानता दर्शाते हुए संगठनात्मक संस्कृति सृजित करने की दिशा में लगातार कार्य करता रहा है। सी-डॉट में कार्यरत स्टाफ में लगभग 31 प्रतिशत महिलाएं हैं। सी-डॉट के दिल्ली स्थित कार्यालय में 10 मार्च, 2014 को महिला दिवस मनाया गया जिसमें दूरसंचार आयोग की सदस्य (वित्त), सुश्री ऐनी मोराइस ने अध्यक्षता की।



दूरसंचार आयोग की सदस्य (वित्त) सुश्री ऐनी मोराइस वरिष्ठ अधिकारियों और महिला कर्मचारियों के साथ

सी-डॉट में मौजूदा नीतियां

- सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति है।
- सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को विभिन्न विकल्पों के साथ आवास और यातायात संबंधी लाभ प्रदान करता है जिनका व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कंपनी में सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- लगभग 100 प्रतिशत महिला स्टाफ को आवासीय टेलीफोन व्यय की प्रतिपूर्ति देय है।
- 40 प्रतिशत महिला कर्मचारियों को बहुकार्य भत्ता देय है।
- सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। पिछले वित्त वर्ष में, उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गए कुल कर्मचारियों में से 25% महिलाएं थीं।
- प्रबंधन संवर्ग (टीम लीडर, ग्रुप लीडर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ) में लगभग 17% महिलाएं हैं।
- कार्य स्थान पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए सी-डॉट बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की गई है ताकि इन मामलों पर निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से गौर किया जा सके और इन पर उपयुक्त कार्रवाई सुझाई जा सके।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 8 निःशक्त जन

दूरसंचार विभाग, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए उठाए गए कदमों को नीचे दर्शाया गया है:

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट विकलांग व्यक्तियों की भर्ती हेतु सी-डॉट में नौकरियों में आरक्षण के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। संगठन में इन श्रेणियों के व्यक्तियों के कल्याण के लिए और उनके सामने आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत का समाधान करने की प्रणाली भी मौजूद है। दिल्ली स्थित सी-डॉट परिसर का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण सुनिश्चित हो सके। इसके मुख्य प्रवेश/निकास द्वार तक सीढ़ियों/और रैम्प के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि, विभिन्न कार्यक्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों में स्वचालित सीढ़ियां भी लगाई गई हैं ताकि विकलांग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक स्कंध से दूसरे स्कंध में आवाजाही कर सकें।

भारत संचार निगम लि० (बीएसएनएल)

विकलांग व्यक्तियों के हित के लिए बीएसएनएल में निम्नलिखित स्कीमें मौजूद हैं :

- शारीरिक रूप से विकलांग पात्र कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते की दरों को दुगुना करने की अनुमति दी गई है और
- जहाँ तक संभव हो, प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न न होने की शर्तों के अधीन, विकलांग व्यक्तियों की तैनाती उसी क्षेत्र में, उनके घर के नजदीकी इलाकों में की जाती है।

महानगर टेलीफोन निगम लि० (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति हमेशा प्रयासरत रहा है। इन लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थिति उपलब्ध कराने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए एमटीएनएल द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं।

विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीसीओ के आबंटन में विलम्ब से बचने के लिए, उन्हें सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल की 0.487 प्रतिशत जनशक्ति विकलांग लोगों की है।

आईटीआई लिमिटेड

सरकारी निर्देशों के अनुसार आईटीआई लि० शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती में 3% आरक्षण



प्रदान करता आ रहा है। जहां कहीं भी लागू हो, पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाता है। शारीरिक रूप से विकलांगों के मामले में कंपनी समूह ग और घ के पदों की भर्ती के मामले में 10 वर्ष की और समूह 'क' और 'ख' के पदों के मामले में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हों तो समूह क और ख के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है।

विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :

- नगर क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवास कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है परंतु इसकी अधिकतम राशि प्रतिमाह ₹ 75 होनी चाहिए।
- जो कर्मचारी कंपनी के नगर क्षेत्र में नहीं रहते किंतु अपने निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने के लिए कंपनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रति माह मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जा रहा है। परंतु इसकी अधिकतम राशि प्रतिमाह ₹ 100 होनी चाहिए।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को पारी की शुरुआत और बंद होने समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्रमशः 10 मिनट की छूट दी जाती है।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं।

टेलीकम्युनिकेशनस कंसलटेंट्स इंडिया लि0 (टीसीआईएल)

टीसीआईएल में भारत सरकार के आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश स्तर के पदों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के चयन पर विचार किया जाता है। टीसीआईएल में सामान्य और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिये जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों वाले दूरदराज के स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता। जहां तक संभव होता है उन्हें गैर-तकनीकी पद/कार्य सौंपे जाते हैं। शहर से बाहर रहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के आवेदनों को अग्रेषित करते समय उदार रवैया अपनाया जाता है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

नागरिक/क्लाइंट चार्टर सरकारी विभाग द्वारा लिखित में की गई एक ऐसी घोषणा है जो उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा के मानकों, उपभोक्ताओं हेतु विकल्प की उपलब्धता, शिकायत निवारण व अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने संबंधी जानकारी देती है।

हालांकि यह कानूनी अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है, किन्तु नागरिक/क्लाइंट चार्टर का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वे सेवा के प्रतिबद्ध मानकों की मांग कर सकें तथा सेवा प्रदाता संगठनों द्वारा अनुपालन न करने पर उपाय का लाभ उठा सकें। नागरिक/क्लाइंट चार्टर का मूल उद्देश्य सेवाओं को आपूर्ति प्रवर्तक के स्थान पर मांग प्रवर्तक बनाकर नागरिक केन्द्रित लोक सेवाएं प्रदान करना है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि वे प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आते हैं तो वे नागरिक चार्टर के स्थान पर क्लाइंट चार्टर तैयार करें।

दूरसंचार विभाग ने रिज़ल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आरएफडी) प्रारूप में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की जा रही 37 मुख्य सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए वर्ष 2013-14 के लिए अपना नागरिक/क्लाइंट चार्टर बनाया है। ये सभी सेवाएं उन संबंधित प्रक्रिया विवरणों के साथ प्रलेखित की गई हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों का विवरण, प्रत्येक सेवा का लाभ उठाने संबंधी लागू शुल्क, यदि कोई हो, और उसके भुगतान का तरीका शामिल है। चार्टर में सेवा वितरण के मानक, इन सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी केन्द्रों के संपर्क विवरण, वितरित सेवाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन मापदंड आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। चार्टर में क्लाइंट्स के विवरण, सेवा प्राप्त करने हेतु उनकी अपेक्षाएं तथा विषय-वस्तु पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र का विवरण भी समाविष्ट है।

दूरसंचार विभाग का नागरिक/क्लाइंट चार्टर, 2013-14 दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर सिटिजन चार्टर आरएफडी फॉर्मेट लिंक के अंतर्गत आम जनता की पहुंच में उपलब्ध कराया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत के निपटान की जिम्मेदारी (सेवा संबंधी शिकायतों के मामले में) संबंधित संगठनों/अधीनस्थ इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभाग के प्रशासनिक अनुभागों/सेवाप्रदाताओं की है। तथापि, दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता के समुचित न्यायालय में जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उससे प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। शिकायतकर्ता लोक शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित संगठन/सेवा प्रदाता स्तर पर शिकायतों के समाधान न होने के प्रमाण संबंधी कागजात के साथ निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकता है :

क) डाक द्वारा: लोक शिकायत प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, कमरा नं० 518, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001



ख) व्यक्तिगत रूप से: सूचना एवं सुविधा केन्द्र, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

ग) वेब पोर्टल द्वारा: **www.pgportal.gov.in**

- i) शिकायत के शीघ्र निपटान, जल्दी पहुंच और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को देखते हुए, दूरसंचार विभाग ने वेब प्रौद्योगिकी (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित एक एकीकृत आवेदन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार विभाग और नागरिकों के मध्य तुरंत एवं सरल संचार के लिए कहीं से भी और किसी भी समय (24x7) नागरिकों द्वारा शिकायतें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना है।
- ii) किसी भी ब्राउजर इंटरफेस का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से पीड़ित नागरिकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति करने पर इस प्रणाली से एक अलग पंजीकरण नम्बर उपलब्ध कराया जाता है।
- iii) शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में निदान प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस प्रणाली में नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। तदुपरांत प्रसारण और केबल सेवाओं को भी दूरसंचार सेवा की परिभाषा के दायरे में लाया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं की विकास संबंधी स्थितियों को ऐसे तरीके और गति से विकसित किया जाए जिससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।

ट्राई ने दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। यह एक ऐसे वातावरण की व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत रहा है जो उचित एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए उनके स्तर के कार्यक्षेत्र को प्रोन्नत करे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और प्रौद्योगिकी लाभों को सभी के लिए योग्य बनाए। ट्राई अधिनियम, 1997 के अंतर्गत ट्राई को अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का गुणवत्ता मानक निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रशुल्क नीति निर्दिष्ट करने तथा नए सेवा प्रदाताओं की प्रविष्टि संबंधी शर्तें स्वीकृत करने के साथ-साथ किसी सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने का अधिदेश है। प्राधिकरण ने अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, विनियम तैयार किए हैं और प्रशुल्क आदेश जारी किए हैं।

ट्राई अधिनियम के अंतर्गत यथाअधिदेशित ट्राई के कार्यकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू बाजार संरचना और इस क्षेत्र में नए प्रचालकों की प्रविष्टि, लाइसेंस प्रदान करने का ढांचा, स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ संसाधन का प्रबंधन, उपभोक्ता सुरक्षा सहित विविध विषयों पर सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करना है। इस अधिदेश के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण नीति विनियामक सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

सिफारिशें

प्राधिकरण ने वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें की :

- (i) स्पेक्ट्रम की कीमत एवं आरक्षित मूल्य।
- (ii) पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (संपूर्ण भारत नंबर पोर्टेबिलिटी)।
- (iii) पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करना : एक निवेश योजना।

विनियम

प्राधिकरण ने वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए :

- (i) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता (11वां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 23 मई, 2013
- (ii) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता (12वां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 24 मई, 2013



- (iii) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 10 जुलाई, 2013
- (iv) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (5वां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 जुलाई, 2013
- (v) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता (13वां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 अगस्त, 2013
- (vi) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 11 सितंबर, 2013
- (vii) मोबाइल बैंकिंग (सेवा गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013
- (viii) मोबाइल बैंकिंग (सेवा गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013
- (ix) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (7वां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 3 दिसंबर, 2013
- (x) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता (14वां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 3 दिसंबर, 2013

दूरसंचार प्रशुल्क आदेश

वर्ष 2013–14 के दौरान प्राधिकरण ने निम्नलिखित दूरसंचार प्रशुल्क संशोधन आदेश जारी किए :

- (i) दूरसंचार प्रशुल्क (55वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 17 जून, 2013
- (ii) दूरसंचार प्रशुल्क (56वां संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 26 नवंबर, 2013

अन्य कार्यकलाप

ट्राई द्वारा निम्नलिखित अन्य कार्यकलाप पूरे किए गए हैं :

(i) उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम

वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों में 128 उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(ii) भारतीय प्राइवेट दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाताओं का “शेयरधारिता पैटर्न, वित्त पोषण पैटर्न और उनकी पूंजी संरचना” के संबंध में अध्ययन पत्रक

इस अध्ययन के माध्यम से प्राधिकरण ने इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और कड़ी प्रतिस्पर्धा के प्रभाव, नई कंपनियों की प्रविष्टि, और ऋण के आधार पर 3जी एवं बीडब्ल्यू स्पेक्ट्रम की नीलामी, ऋण कवरेज क्षमता और भारत में दूरसंचार कंपनियों की लाभप्रदता का निर्धारण किया। इस अध्ययन में वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लिए



दिए गए वार्षिक लेखा एवं अन्य सूचना के आधार पर दूरसंचार क्षेत्र में प्रचालन करने वाले 24 प्राइवेट दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाताओं की पूंजी संरचना का अवलोकन किया गया है। इस अध्ययन को पणधारकों की सूचना हेतु दिनांक 20 नवंबर, 2013 को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है।

(iii) द्विपक्षीय बैठकें

- श्री ह्यूक बू क्वोन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कोरिया संचार मानक आयोग (केसीएससी) से तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 21 जून, 2013 को प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय बैठक हेतु ट्राई का दौरा किया।
- मालदीव प्रसारण आयोग (एमबीसी) के एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री आर.के. अरनॉल्ड, सदस्य ट्राई के साथ द्विपक्षीय बैठक हेतु दिनांक 5 जुलाई, 2013 को ट्राई का दौरा किया।
- श्री आर.के. अरनॉल्ड, सदस्य ट्राई की अध्यक्षता में एक दल ने होटल (ताज मानसिंह), नई दिल्ली में दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 को जापान-भारत आईसीटी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मिशन के अवसर पर श्री मासाहिको योसिजाकी, आंतरिक कार्य एवं संचार (एमआईसी) उपमंत्री, जापान के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया है।
- सुश्री योको कमिकावा, आंतरिक कार्य एवं संचार (एमआईसी) वरिष्ठ उपमंत्री, जापान ने नई दिल्ली में दिनांक 16 जनवरी, 2014 को ट्राई के अध्यक्ष के साथ बैठक हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा किया।
- विश्व बैंक के अनुरोध पर दिनांक 26 मार्च, 2014 को अवसंरचना साझेदारी समन्वयकर्ताओं के अफगान प्रतिनिधि मंडल के लिए एक बैठक एवं विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया था।
- निदेशक आईटीयू-आर ने दिनांक 27 मार्च, 2014 को प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय बैठक हेतु ट्राई का दौरा किया।

(iv) समझौता ज्ञापन

- ट्राई ने वारसॉ, पोलैंड में दिनांक 4 जुलाई, 2013 को जार्जिया के राष्ट्रीय संचार आयोग, जार्जिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दो देशों के बीच तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सहयोग स्थापित करके दूरसंचार के क्षेत्र में समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
- ट्राई ने नई दिल्ली, भारत में दिनांक 4 जुलाई, 2013 को वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण (वीएनटीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दो देशों के बीच तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सहयोग स्थापित करके दूरसंचार के क्षेत्र में समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
- दिनांक 25 फरवरी, 2014 को बार्सिलोना, स्पेन में ट्राई और एनटीआरए, मिस्र के बीच एक संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



(v) ट्राई द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने “डिजिटल प्रसारण एवं प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन” पर संयुक्त रूप से एक प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसका आयोजन दिनांक 5–7 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में फिक्की के आयोग कक्ष में किया गया।
- नई दिल्ली में दिनांक 13–14 फरवरी, 2014 को “नीति, विनियम एवं सेवाएं” पर दक्षिण एशिया दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) कार्यकारी समूह बैठक का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में ट्राई और दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) की स्थापना का प्रावधान किया गया है ताकि दूरसंचार सेवाओं को विनियमित किया जा सके, विवादों का निर्णय किया जा सके और अपीलों का निपटान किया जा सके तथा दूरसंचार क्षेत्र और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के क्रमिक विकास को प्रोन्नत करने और सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का सृजन लाइसेंसप्रदाता, लाइसेंसधारक और उपभोक्ताओं के समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटान करने और उस पर अधिनिर्णय देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राई अधिनियम 1997 के तहत वर्ष 2000 में किया गया था। जनवरी 2004 में टीडीएसएटी के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें दूरसंचार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल की गईं।

टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है और इसके आदेशों को केवल कानूनी बिंदुओं पर ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। टीडीएसएटी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध सांविधिक अपील नहीं की जा सकती है। टीडीएसएटी एक विशेषज्ञ निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जबकि दो सदस्य प्रशासन/दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

टीडीएसएटी पर सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू नहीं होते हैं। इसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया (टीडीएसएटी प्रक्रिया 2005) निर्धारित की है जो कि सरल तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीडीएसएटी में याचिका, अपील तथा विविध आवेदन करने के लिए कोर्ट शुल्क क्रमशः ₹ 5000/-, ₹ 10,000/- तथा ₹ 1000/- है।

पूरे विश्व में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों को विनियामक या सामान्य न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान और अधिनिर्णय हेतु टीडीएसएटी के रूप में एक विशेष संस्था मौजूद है। अतः भारत में विवाद निपटान दूरसंचार विनियामक के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।

टीडीएसएटी ने अपने प्रारंभ से, दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी विशिष्ट निर्णय दिए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी ने आईटीयू तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लिया है।

टीडीएसएटी की अपनी वेबसाइट है और अधिकरण के सभी निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध हैं।

पक्षों के बीच हुए विवाद के शीघ्र समाधान हेतु टीडीएसएटी ने हाल ही में एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया है। इस मध्यस्थता केंद्र ने दिनांक 29.07.2013 से कार्य करना आरंभ कर दिया है और यह दिनांक 31.03.2014 तक 49 मामलों का समाधान करने में सफल रहा है।



मई, 2000 में अधिकरण की संस्थापना से प्रत्येक वर्ष अधिकरण में मामलों की संख्या में वृद्धि होती रही है। विगत वर्ष अर्थात् 01.01.2013 से 31.12.2013 तक कुल 940 मामले दायर किए गए हैं। दायर किए गए मामलों के साथ-साथ मामलों का निपटान किया गया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि विवादों का निपटान शीघ्रतापूर्वक हो। दिनांक 31 मार्च, 2014 तक दायर किए गए, निपटाए गए एवं लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संस्था, मामलों का निपटान एवं लंबित मामले

क्र.सं.	विवरण	संस्था					
		2011	2012	2013	2014	योग	
1	याचिका	523	981	478	195	2177	
2	पुनर्विचार याचिका	14	19	9	1	43	
3	अपील	2	22	19	0	43	
4	ट्राई से अंतरित मामले	0	0	0	0	0	
5	उच्च न्यायालय से अंतरित मामले	0	0	13	0	13	
6	उच्चतम न्यायालय से प्रतिप्रेषण पर	0	0	0	0	0	
7	निष्पादन आवेदन	24	46	15	15	100	
	कुल	563	1068	534	0	2376	
	एम.ए.	348	718	406	92	1564	
	पूर्ण योग	911	1786	940	303	3940	
क्र.सं.	विवरण	निपटान					लंबित
		2011	2012	2013	2014	योग	
1	याचिका	496	551	164	11	1222	955
2	पुनर्विचार याचिका	14	16	9	1	40	3
3	अपील	2	22	15	0	39	4
4	ट्राई से अंतरित मामले	0	0	0	0	0	0
5	उच्च न्यायालय से अंतरित मामले	0	0	10	0	10	3
6	उच्चतम न्यायालय से प्रतिप्रेषण पर	0	0	0	0	0	0
7	निष्पादन आवेदन	23	38	0	0	61	39
	कुल	535	627	198	0	1372	1004

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VI. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित पैरा की स्थिति इस प्रकार है:

लेखा परीक्षा पैरा

क्र. सं.	वर्ष	रिपोर्ट सं०	रिपोर्टों के पैराओं/पीएसी की सं० जिनके एटीएन लेखा परीक्षा की विधीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक)	दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पैराओं/पीएसी रिपोर्टों** का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित है।		
				उन एटीएन की सं० जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार नहीं भेजा गया था	भेजे गए एटीएन की सं० जो टिप्पणियों सहित वापस आए और लेखा परीक्षा, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रही है	उन एटीएन की सं० जिनको अंतिम लेखा परीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	1996-97	वर्ष 1998 की 6	शून्य	शून्य	01	शून्य
2	1998-99	वर्ष 2000 की 6	01	शून्य	शून्य	शून्य
3	2002-03	वर्ष 2004* की 2	01	शून्य	01	शून्य
4	2003-04	वर्ष 2005 की 2	शून्य	शून्य	01	शून्य
5	2004-05	वर्ष 2006 की 9 (एनटीआर)	शून्य	शून्य	01	शून्य
6	2006-07	वर्ष 2008 का सीए 1	शून्य	शून्य	01	शून्य
7	2009-10	2010-11# की 19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	02	शून्य	05	शून्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार विभाग के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के कुल लंबित पैरा की सं. = 09

* नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की 2004 की रिपोर्ट सं. 2 के पैरा सं. 1.3 से संबंधित एटीएन को जांच संबंधी टिप्पणियों हेतु महानिदेशक लेखा परीक्षा (डाक एवं तार) के कार्यालय में भेज दिया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2010-11 की रिपोर्ट सं. 19 के पैरा सं. 3.1 से 3.3, 4.1 से 4.11 और 5.1 से 5.5 से संबंधित 03 एटीएन को जांच संबंधी टिप्पणियों हेतु महानिदेशक लेखा परीक्षा (डाक एवं तार) के कार्यालय में भेज दिया गया है।

2. दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएसी रिपोर्ट के लंबित कुल पैरा = 3

** सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ) के प्रशासन पर पीएसी की 49वीं रिपोर्ट हेतु लंबित 3 पैरा। एटीएन की अग्रिम प्रतियां प्रस्तुत की गईं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VII. टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)

26 वर्ष पूर्व स्थापित, दूरसंचार विभाग का अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी-डॉट देश में विकसित लागत प्रभावी विस्तृत श्रृंखला और अत्याधुनिक संपूर्ण दूरसंचार समाधान की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। डायल टोन की व्यवस्था करने के एकल मिशन से शुरू करके, सी-डॉट ने विगत 26 वर्षों में अनेक क्षेत्रों जैसे – उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वॉयरलेस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेलुलर प्रणालियों में संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास के स्तर तक प्रगति की है।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष 2013–14 के दौरान, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण के प्रयासों के विकास में की गई महत्वपूर्ण प्रगति का विवरण इस प्रकार है :

संचार एवं सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी

पूर्ण किए गए प्रमुख विकास कार्यकलापों और अभिवृद्धि में शामिल है : केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस), विधि प्रवर्तन निगरानी कार्यकरण (एलईएमएफ), एलईएमएफ के लिए बौद्धिक प्रबंधन, गूढ़लेखन – विकोडम उपकरण आदि।

ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी

ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी विकास में शामिल है – उच्च क्षमता वाला नेटवर्क तैयार करने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) हेतु टेराबाइट रूटर (वाणिज्यिक – ग्रेड मल्टी – टेरा बाइट रूटिंग प्रणाली) एवं रूटिंग प्लेटफार्म, रक्षा नेटवर्क, सुरक्षा नेटवर्क, एनकेएन आदि की अनुप्रयोग संबंधी जरूरतों को पूरा करना।

अगली पीढ़ी मोबाइल प्रौद्योगिकी

अगली पीढ़ी मोबाइल प्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक विकास – उन्नत (एलटीई – ए), चौथी पीढ़ी मोबाइल प्रौद्योगिकी तथा फिक्स्ड एवं मोबाइल उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने हेतु फिक्स्ड एवं मोबाइल अभिमुखी प्लेटफार्म समाविष्ट है। वर्ष के दौरान निष्पादित एलटीई–ए प्रौद्योगिकी विकास कार्यकलापों में अन्य विक्रेताओं से विकसित पैकेट कोर (ईपीसी) वाली फेमटो प्रणाली का एकीकरण एवं परीक्षण वायस, डाटा एवं वीडियो सेवाओं के लिए फेमटो समाधान प्रदर्शन और प्रायोगिक प्रोटो–टाइप फेमटो–ई नोड बी प्रणाली शामिल है। इसके अतिरिक्त, फिक्स्ड और मोबाइल अभिसरण के लिए कोर नेटवर्क प्लेटफार्म भी पूर्ण किया गया। यह प्लेटफार्म कापर अभिगम नोड के सहायताार्थ सॉफ्टस्विच एवं अभिगम नोड उपयुक्तता के साथ फील्ड परीक्षण के लिए तैयार है।

कैरियर नेटवर्क परिवहन प्रौद्योगिकियां

डब्ल्यूडीएम पर आधारित अगली पीढ़ी पीओएन–32 जीपीओएन प्रौद्योगिकी पर संकेन्द्रण के साथ ऑप्टिकल समूहन एवं अभिगम प्रणाली (ओएएस) हेतु प्रौद्योगिकी विकास कार्य चल रहा है। ओएएस परियोजना के अंतर्गत क्रमशः रिंग टोपोलॉजी, फाइबर कट लोकलाइजेशन, आवासीय भवन आदि जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुछ जीपीओएन रूप भेदों, नामशः ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन (ओएनटी–आर), भवन दामिनी 3 (बीडी 3) (आवासीय उपयोग के लिए ओएलटी), ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिलेक्टोमीटर (ओटीडीआर) आदि के लिए विकास



कार्य पूरा किया गया। जीपीओएन रूप भेदों के लिए 6 विनिर्माताओं के साथ टीओटी करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

एक 100 जीडीडब्ल्यूडीएम परिवहन नेटवर्क प्रणाली – ऑप्टिकल कोर नेटवर्क संबंधी प्रौद्योगिकी विकास कार्य भी प्रगति पर है। उपलब्धियों में प्रणाली विनिर्देश एवं संरचना डिजाइन की पूर्णता शामिल है। इसके अतिरिक्त, मल्टीप्लेक्सर, डि-मल्टी प्लेक्सर, एंप्लीफायर आदि जैसे प्रमुख घटकों से संबंधित विनिर्देशनों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। नियंत्रक कार्ड हार्डवेयर डिजाइन पूर्ण कर लिया गया है और सॉफ्टवेयर डिजाइन पर कार्य चल रहा है। 100 जी मल्टीप्लेक्सर-पोंडर कार्ड का हार्डवेयर परीक्षण चल रहा है।

दूरसंचार सेवाएं एवं अनुप्रयोग

यह विकास स्कीम अनुप्रयोगों, नेटवर्कों, विषय-वस्तुओं एवं विशिष्ट मूल्यवर्धित सेवाओं के अभिसरण की ओर बदलते हुए प्रौद्योगिकी रुझानों को पूरा करने वाली सॉफ्टवेयर गहन सेवाओं और अनुप्रयोगों पर संकेन्द्रित है।

यूएनएमएस (एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर की रिलीज को टीएएमएस (दूरसंचार आस्ति प्रबंधन प्रणाली) के साथ एकीकृत किया गया है और इसे एनओएफएन में प्रयोग के तौर पर सम्बद्ध किया गया है। स्पेक्ट्रम के लिए भारतीय सेना के नेटवर्क में प्रुफ-ऑफ-कांसेप्ट प्रदर्शन के लिए इसके अनुप्रयोग मापदंड के पूरा करने के साथ ही अंशतः तैयार कर लिया गया है।

ग्रामीण सेवाओं के लिए विशेष रूप से निर्मित प्लेटफार्म के विकास हेतु प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया से संबंधित कार्य चल रहा है और वर्ष के दौरान ग्राहक, हार्डवेयर सिस्टम व्यवस्था तैयार करने का कार्य भी पूरा हो चुका है। प्रयोक्ता फीडबैक एकत्र करने, ई-नोटिस बोर्ड आदि जैसी सेवाएं और विशेषताएं तैयार कर ली गई हैं और प्रयोग के तौर पर इन्हें स्थल पर प्रदर्शित भी किया जा चुका है।

ऊर्जाक्षम और हरित दूरसंचार प्रौद्योगिकियां

मौजूदा और भावी बीटीएस (जैसा कि एलटीई में हैं) विशेषकर दूरदराज/ग्रामीण इलाकों में प्रयुक्त परम्परागत विद्युत विस्तारकों की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए उच्च क्षमता वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी विकास कार्य पूरा हो चुका है। प्रणाली अनुकूलन तथा परीक्षण कार्यकलाप पूरे हो चुके हैं और फील्ड परीक्षण कार्य चल रहा है। जीएसएम बीटीएस के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज हेतु 120 वाट के ऊर्जा विस्तारकों को विकसित कर लिया गया है और इनका फील्ड परीक्षण भी हो चुका है।

सुरक्षित वायरलेस और वायरलाइन नेटवर्क

इस प्रौद्योगिकी स्कीम का उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच अंतरा और अंतर्विभागीय संचार व्यवस्था निर्मित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 3जी/वाई फाई जैसी मानक बेतार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने के लिए सुरक्षित हैण्डसेटों के विकास सहित सुरक्षित मोबाइल वायरलेस नेटवर्क का डिजाइन तैयार करने तथा उसका विकास करने के लिए डब्ल्यूआईपीएस (सुरक्षित वायरलेस फोन) परियोजना के संबंध में कार्य चल रहा है। इस वर्ष के दौरान, सुरक्षित टेबल (संस्करण-1) के अनुकूलन परीक्षण का कार्य सी-डीओटी के सुरक्षित कोर नेटवर्क के सहयोग से पूरा हो चुका है और इसका फील्ड परीक्षण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा, सुरक्षित वायरलेस फोन के लिए क्लाइंट और कोर सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुकूलन का कार्य भी पूरा हो चुका है।



विकसित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, नई विशेषताएं, स्तरोन्नयन, अनुकूलन तथा उनके लिए प्रौद्योगिकी सहायता

- (i) बीएसएनएल के साथ सकलवाड़ा में एसजी-आरएन प्रणाली का परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया और होसर में तीन प्रचालकों (टाटा, रिलायंस और बीएसएनएल) के साथ परीक्षण का कार्य चल रहा है। जीपीआरएस तथा ईडीजीई की प्रकार्यात्मक विशेषताओं को भी बेस प्रणाली में एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, कम जनसंख्या घनत्व तथा कम संख्या में उपभोक्ताओं के लिए जीएसएम नेटवर्क से कवर न किए गए क्षेत्रों को कवर करने के लिए स्माल आऊटडोर पोल-माउन्टेड बीटीएस तथा छोटे 10 वाट टावर माउन्टेड एम्प्लीफायर (टीएमए) का डिजाईन तैयार करके तथा उसका विकास करके एसजी-आरएन प्रौद्योगिकी का भी संवर्धन किया गया है। इन उपकरणों का परीक्षण कार्य चल रहा है। पांच बड़ी क्षमता वाली प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए बीईएल को टीओटी सहायता प्रदान की गई है।
- (ii) एनओएफएन के परवदा, पानीसागर तथा अरेन ब्लॉकों में 164 बीबीडब्ल्यूटी प्रणाली संस्थापित की गई। कैंपस अनुप्रयोग के लिए आईआईएससी और एमएसआरआईटी हेतु परीक्षण कार्य पूरा हो गया। कोरल-3पी प्रणाली का प्रयोगिक परीक्षण कार्य सी-डॉट के कैम्पस में सफलतापूर्वक पुरा हो चुका है।
- (iii) ईयर फोन के गर्म होने, रिसीवर सिग्नल क्षमता आदि से संबंधित एसडीसीएन वीओआईपी फोन संबंधी फील्ड मामलों का समाधान किया जा चुका है।
- (iv) नियमित तौर पर स्थल पर और स्थलेतर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जा रही है।
- (v) एनओएफएन डीसीएन (डाटा संचार नेटवर्क) एनएमएस के लिए अपेक्षा विनिर्देश और संरचना डिजाइन का कार्य पूरा हो चुका है। आईपीवी6 सपोर्ट के लिए एनओएफएन जीपीओएन ईएमएस के साथ एनओएफएन नेटवर्क संघटक अनुकूलन का कार्य पूरा हो चुका है। एनओएफएन एनएमएस टैस्ट-बेड के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है और टैस्ट-बेड तैयार हो चुका है। दिल्ली और बंगलुरु में एनओसी सेट-अप का प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है।
- (vi) प्रावधानीकरण के लिए मैक्स-एनजी प्रणाली और बीएसएनएल क्लेरिटी प्रणाली का अनुकूलन कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। कटपदी में मैक्स-एनजी उपभोक्ता प्रावधानीकरण का कार्य क्लेरिटी प्रणाली के माध्यम से अब पूरा हो चुका है। सी-डॉट सॉफ्ट स्विच और बीएसएनएल आईपी-टीएक्स के बीच अंतर प्रचालन परीक्षण के लिए पीओसी कार्य गुडगांव में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। टीम में न्यायसंगत इंटरसेप्शन का परीक्षण बीएसएनएल को सफलता पूर्वक दिखाया जा चुका है। आईपी पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए सी-डॉट के एसपीपी और टेकलेक के एसएसटीपी सर्वर के बीच अंतर-कार्य परीक्षण पूरा हो चुका है।

कारोबार प्रोत्साहन

सी-डॉट ने दिनांक 23 अगस्त, 2013 को अपना स्थापना दिवस मनाया जिसके बाद 24 अगस्त, 2013 को एक प्रौद्योगिकी विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें अधुनातन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। सी-डॉट प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए जिसमें प्रदर्शनियों से सेमिनारों आदि में प्रौद्योगिकियों का परीक्षण, प्रदर्शन और प्रमाणन किया जाना शामिल है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गईं:-

- (i) एनओएफएन परियोजनाओं में क्षैतिज वायरलैस विस्तार प्रदान करने के लिए मैसर्स बीएसएनएल से 168 बीबीडब्ल्यूटी सिस्टम की आपूर्ति के लिए सी-डॉट को आर्डर प्राप्त हुआ।



- (ii) बीबीडब्ल्यूटी प्रौद्योगिकी का प्रयोग एनडीएमसी दिल्ली में इसकी सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में वायरलैस नेटवर्किंग के लिए किया गया। पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- (iii) सी-डॉट ने उपग्रह-आधारित हब-बेसबैंड का विकास करने के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयासों हेतु डीआरडीओ के तहत कार्यरत डीईएएल, देहरादून के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (iv) माउ, इंदौर स्थित मिलिट्री कालेज ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर (एमईटीई) में जीपीओएन प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, नौसेना ने जहाजों में आन-बोर्ड कम्यूनिकेशन के लिए सी-डॉट जीपीओएन और बीबीडब्ल्यूटी प्रौद्योगिकियों के परीक्षण में गहरी रुचि दिखाई है।
- (v) सी-डॉट ने अपनी प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 12 से 14 दिसम्बर, 2013 के बीच आयोजित भारतीय दूरसंचार और 6 से 9 फरवरी, 2014 के दौरान आयोजित डीईएफईएक्सपीओ में हिस्सा लिया।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

पृष्ठ

VIII.1	भारत संचार निगम लिमिटेड	79-83
VIII.2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	85-90
VIII.3	आई टी आई लिमिटेड	91-94
VIII.4	टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	95-96
VIII.5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	97



VIII. 1 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का गठन तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवाएं विभाग का निगमीकरण करके दिनांक 01 अक्टूबर, 2000 को किया गया। इस कंपनी ने दिल्ली एवं मुंबई को छोड़कर, देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों का अधिग्रहण किया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के दक्ष कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.38 लाख है। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।

भारत संचार निगम लिमिटेड प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनी है और यह सभी प्रकार की टेलीफोन सेवाएं यथा वॉयरलाइन आधारित टेलीफोन सेवा, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट, पट्टाशुदा सर्किट एवं लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। यह कंपनी 100% डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विचिंग नेटवर्क के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। बीएसएनएल का राष्ट्रव्यापी दूरसंचार नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, सब डिविजन मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और लगभग सभी खंड मुख्यालयों को कवर करता है।

विशिष्टता

वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	इकाई	वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन			
			लक्ष्य (2013-14)	01.04.2013 को स्थिति के अनुसार	31.03.2014 को स्थिति के अनुसार	उपलब्धि
1	कुल टेलीफोन कनेक्शन	लाख	80	1216.53	1131.38	(-) 85.15
1 (क)	वॉयरलाइन	लाख	-	204.46	184.88	(-) 19.58
1 (ख)	डब्ल्यूएलएल	लाख	-	27.02	22.49	(-) 4.53
1 (ग)	मोबाइल	लाख	80	985.05	924.00	(-) 61.05
2	ब्रॉडबैंड (डीएसएल)	लाख	30	99.28	99.65	0.37
3	ग्रामीण टेलीफोन	लाख	-	414.93	384.21	(-) 30.72
4	* वीपीटी	सं०	-	577,882	578,267	385

* इनमें प्राइवेट बेसिक सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त वीपीटी शामिल है।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान लाभ/हानि के आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14*
आय	27,128	28,325
व्यय	34,900	35,380
करोपरांत लाभ	(-) 7,884	(-) 7,084

* अनन्तिम एवं गैर अंकेक्षित



कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी

- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने उपभोक्ताओं को लैण्डलाइन सुविधा का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसकी सेवा में भरोसा बनाए रखने के लिए उनको पुरस्कृत करने के माध्यम से लैण्डलाइन सुविधा धारण में वृद्धि करने हेतु लैण्डलाइन और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए सीडीआर प्रणाली में लॉयल्टी प्रबंधन स्कीम शुरू की है। यह स्कीम दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से कार्यान्वित की गई है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और एफटीटीएच) उपभोक्ताओं के लिए डिमांड पर एमओडी/वीओडी/मुवी के व्यवस्था करने के लिए दिनांक 01.04.2013 से 31.05.2015 तक की अवधि के लिए मैसर्स हंगामा डिजिटल मीडिया इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और एफटीटीएच) उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 29.10.2013 को मैसर्स श्री बाला जी मैक्स मेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- वर्ष 2013–14 के दौरान 10190 अतिरिक्त उपभोक्ताओं ने ब्रॉडबैंड मूल्यवर्धित सेवा (बीबीवीएस) चुनी हैं। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस समय कुल 1,00,802 उपभोक्ता हैं।

उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली का कार्यान्वयन

बीएसएनएल में दो चरणों अर्थात् चरण-1 प्रुफ-ऑफ-कांसेप्ट (पीओसी) और चरण-II रॉलआउट में ईआरपी को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। ईआरपी सभी 7 प्रुफ ऑफ कांसेप्ट (पीओसी) सर्किलों नामतः, दूरसंचार फ़ैक्ट्री मुंबई, एलटीटीसी गाजियाबाद, डब्ल्यूटीपी मुंबई, एसटीआर कर्नाटक, दूरसंचार क्षेत्र, बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष सर्किलों/यूनिटों में ईआरपी का कार्यान्वयन करने के लिए रॉलआउट पीओ पहले ही स्थापित की जा चुकी है। ईआरपी 42 रॉलआउट/यूनिटों में से एनएटीएफएन सर्किल में भी कार्यान्वित की जा चुकी है।

प्रशिक्षण

बीएसएनएल के देश में 30 प्रशिक्षण केन्द्र है जिसमें तीन शीर्ष प्रशिक्षण केन्द्र नामतः (i) उन्नत स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (ए.एलटीटीसी) गाजियाबाद (ii) भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण (iii) राष्ट्रीय दूरसंचार वित्त एवं प्रबंधन अकादमी (एनएटीएफएम), हैदराबाद भी शामिल हैं।

वर्तमान वर्ष 2013–14 के दौरान लगभग 43,671 कार्मिकों को कुल 3,07,527 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, बाह्य प्रशिक्षणार्थियों को 8,27,306 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान एआईसीटीई और बीएसएनएल के बीच संयुक्त प्रयासों के तौर पर एक नवोन्मेषी ईईटीपी स्कीम भी शुरू की गई जिसमें 17 प्रशिक्षण केन्द्र और 9 अन्य शहर शामिल हैं।

विदेशी प्रतिनियुक्तियां

बीएसएनएल के कुल 40 अधिकारियों को दूरसंचार क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के संबंध में फर्स्ट हैण्ड सूचना



प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों/ बैठकों/ सम्मेलनों/ कारोबार बैठकों में शामिल होने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान विदेशों में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बीएसएनएल के एक अधिकारी को "4जी (आईएमटी) मोबाइल प्रणाली और अनुप्रयोग" के संबंध में आईटीयू एशिया पैसफिक ऑफ एक्सीलेंस की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए नामित किया गया है।

चयनित क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

बीएसएनएल (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र और (2) जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उप-योजना में विशेष घटक योजनाओं के तहत दूरसंचार सुविधाओं की तीव्र वृद्धि पर विशेष बल देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों की नेटवर्क की स्थिति (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज (वॉयरलाइन)	कुल क्षमता (लाइनों में) (वॉयरलाइन+ वॉयरलैस)	कुल सीधी एक्सचेंज लाइने (वॉयरलाइन+ वॉयरलैस)	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	वीपीटी (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	असम	584	21,52,273	14,63,773	94,174	24,688
2	पूर्वोत्तर-1					
(2ए)	मेघालय	71	3,39,315	2,27,533	13,347	5,249
(2बी)	मिजोरम	65	2,20,532	1,82,010	13,096	704
(2सी)	त्रिपुरा	84	4,49,217	3,53,508	13,995	858
	कुल	220	10,09,064	7,63,051	40,438	6,811
3	पूर्वोत्तर-2					
(3ए)	अरुणाचल प्रदेश	105	3,44,019	3,51,888	8,837	2,774
(3बी)	मणिपुर	50	2,57,084	2,27,537	7,547	2,171
(3सी)	नागालैंड	64	3,20,820	3,19,238	5,902	1,263
	कुल	219	9,21,923	8,98,663	22,286	6,208
4	सिक्किम	48	1,64,448	1,45,567	4,604	429
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,071	42,47,708	32,71,054	1,61,502	38,136

विकास संबंधी स्थिति: वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-



मद	2013-14	
	लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	उपलब्धियां (31.03.2014 तक)
निवल स्विचिंग क्षमता		
(i) (तारशुदा + डब्ल्यूएलएल)	-	(-) 37,110
(ii) जीएसएम	2,86,486	78,781
डीईएल (संख्या)	3,72,300	(-) 2,45,783
(i) (तारशुदा + डब्ल्यूएलएल)	0	(-) 49,155
(ii) जीएसएम	3,72,300	(-) 1,96,628
वीपीटी (संख्या) (2001 की जनगणना के अनुसार)	0	147
ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट)	28,200	500
ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या)	67,202	3,697

जन-जातीय उप योजना

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर-I पूर्वोत्तर-II उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैले हुए हैं। जनजातीय उपयोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं (i) जनजातीय क्षेत्रों में डिमांड पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध करना (ii) जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध करना और (iii) सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करना।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत (वर्ष 2013-14 के लिए) उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मदें	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	वॉयरलाइन टेलीफोन एक्सचेंज	-	(-) 44
2.	स्विचिंग क्षमता (वॉयरलाइन + वॉयरलैस)	8,43,558	(-) 4 904
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (वॉयरलाइन + वॉयरलैस)	9,87,983	5,175
4.	ओएफसी (रूट कि. मी.)	3,368	1,436



कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:-

समूह	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी-अनुसूची		भूतपूर्व सैनिक	महिला कर्मचारी
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		
कार्यपालक	47,768	7,668	2,341	113	7,711
गैर कार्यपालक	1,90,509	35,363	9,960	490	27,418
कुल	2,38,277	43,031	12,301	603	35,129

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 573 थी।

— ★ ★ ★ ★ ★ —




VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एमटीएनएल ने दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन, प्रचालन का उत्तरदायित्व संभाला। एमटीएनएल फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में और जीएसएम मोबाइल सेवा (दिल्ली सहित इसके आसपास के चार नगरों नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में) का प्रमुख प्रदाता है तथा मुंबई सहित मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र भी इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2 + प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल ने अगस्त 2008 में आबंटित स्पेक्ट्रम के आधार पर दिनांक 11.12.2008 को 3जी सेवाएं एमटीएनएल द्वारा प्रारंभ की।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹ 800 करोड़ है। इसकी चुकता शेयर पूंजी ₹ 630 करोड़ है जो शेयर ₹ 10/- प्रत्येक के 63 करोड़ शेयरों से विभाजित है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्यो के पास है।





वास्तविक कार्य निष्पादन

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजीटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कम्प्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा, कम्प्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

वर्ष 2013-14 के दौरान 16,81,365 डोरमेंट जीएसएम उपभोक्ताओं के विलोपित होने के कारण उपभोक्ता आधार में इसकी निवल वृद्धि नकारात्मक हो गई है अर्थात् वर्तमान समय में कुल 15.44 लाख कनेक्शन (फिक्स्ड लाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम) हैं। तथापि, एमटीएनएल ने ब्रॉडबैंड उपभोक्ता धार में सकारात्मक वृद्धि बनाई रखी है जहां इसमें वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 52559 ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को जोड़ा है। इस अवधि के दौरान चूंकि सभी प्रकार की सेवाओं के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध थी अतः नेटवर्क संस्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। विभिन्न परियोजनाओं के सतत् प्रयासों और समयबद्ध कार्यान्वयन के साथ दिल्ली और मुंबई में सेवाओं की प्रतीक्षा सूची शून्य है। एमटीएनएल अपने सेवा क्षेत्रों में डिमांड पर टेलीफोन उपलब्ध करवा रहा है।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	उपलब्धियां 2013-14	
		दिल्ली	मुंबई
क	स्विचिंग (हजार लाइनों में) (i) निवल लैण्डलाइन क्षमता (ii) निवल जीएसएम क्षमता (iii) निवल डब्ल्यूएलएल क्षमता	(-)214872 (-)225000 (-)150000	9768 0 0
ख	डीईएल (हजार में) (i) सकल (ii) निवल	238364 (-)18348*	339630 154724**
ग	कर/टेंडम (हजार लाइन में)		0
घ	पारेषण (क) एसडीएच प्रणाली (i) एसटीएम-16 (ii) एसटीएम-4 (iii) एडीएम-1/एसटीएम-1 (iv) टीएमएस-1	0 0 126 0	4 17 76
ड.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी में)	61.714	100.96
च	ऑप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी में)	1401.226	3447.55
ज	आईएसडीएन	(-)99	(-)714
झ	प्रतीक्षा सूची	0	0
ञ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	35991	16568
ट	इंटरनेट कनेक्शन	(-)4	103

* इसमें 2,59,629 डोरमेंट जीएसएम उपभोक्ता, जो एक से अधिक वर्ष से निष्क्रिय हैं, के कनेक्शनों का विलोपन शामिल नहीं है। यह कदम आवांटीत नम्बरिंग योजना और प्रणाली के कुशल उपयोग के लिए उठाया गया था।

** इसमें 14,21,736 डोरमेंट जीएसएम उपभोक्ता, जो एक से अधिक वर्ष से निष्क्रिय हैं, के कनेक्शनों का विलोपन शामिल नहीं है। यह कदम आवांटीत नम्बरिंग योजना और प्रणाली के कुशल उपयोग के लिए उठाया गया था।



विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं

जीएसएम सेवाएं/3जी सेवाएं: एमटीएनएल को वर्ष 2008 में 3जी स्पेक्ट्रम प्रदान किया गया था और दिल्ली और मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्र के 3जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए इसने कुल ₹ 6564 करोड़ अदा किए थे। 3जी सेवाओं की स्थापना के लिए एमटीएनएल ने 2100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में दिल्ली और मुंबई में प्रत्येक के लिए 5 मेगाहर्ट्ज़ का एक कैरियर निर्धारित किया है।

3जी प्रौद्योगिकी जो 2जी सेवाओं का स्वाभाविक रूप से विकसित रूप है, न केवल स्पेक्ट्रम का बेहतर और कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है बल्कि इसने पुट्स के माध्यम से उच्चतर स्पीड और डाटा भी उपलब्ध करवाया है और एमटीएनएल के समूचे दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्र में 'जादू' के ब्राण्ड नाम से वीडियो संबंधित और समृद्ध मूल्यवर्धित 3जी सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने में समर्थ बनाया है।

3जी भारत में एक नए प्रौद्योगिकी है, एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के बीच 3जी सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए 3जी सेवाओं तक अपने जीएसएम मोबाइल उपभोक्ताओं के अभिगम की अनुमति प्रदान की है। इस कदम के उपरांत जीएसएम उपभोक्ताओं द्वारा डाटा उपयोग पर्याप्त रूप से बढ़ गया है।

ब्रॉडबैंड नेटवर्क: एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल2+ आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर उच्च गति इंटरनेट सविधा प्रदान की जा रही है। एडीएसएल2 + आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रारंभ होने से, एमटीएनएल ने ब्रॉडबैंड उपभोक्ता आधार में सकारात्मक वृद्धि बनाए रखा है। एमटीएनएल के पास दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार इस समय लगभग 16.34 लाख पोर्टों की संस्थापित ब्रॉडबैंड क्षमता है और इसका उपभोक्ता आधार पर 11.72 लाख है।

फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच): बैंडविड्थ की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, उपभोक्ताओं को पुर्णतः संतुष्ट करने, एवं ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए एमटीएनएल अपने नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर को तेजी से बिछा रहा है और इसका विस्तार कर रहा है और जीपीओएन आधारित एफटीटीएच नेटवर्क की व्यवस्था कर रहा है। यह एक केंद्रीयकृत प्रबंधन नेटवर्क डिजाइन है जो एमटीएनएल में ही सभी सम्भावित गंतव्यों को विश्वसनीय मार्ग प्रदान करेगा। यह डाटा एवं वीडियो एप्लीकेशनों दोनों के लिए बैंडविड्थ की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। जीपीओएन आधारित एफटीटीएच नेटवर्क के सक्रिय नेटवर्क हिस्से की तैनाती का कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। एफटीटीएच 100 एमबीपीएस तक ब्राडबैंड, उच्चगति इंटरनेट, वायस, आईपीटीवी, वीडियो आन डिमांड एवं अन्य विषय-वस्तु आधारित सेवाएं जैसे, ई-शिक्षा, गेमिंग एवं वीडियो सर्विलान्स, विज्ञापन आदि प्रदान करता है। मार्च, 2014 के अंत तक एमटीएनएल के पास 4171 एफटीटीएच कनेक्शन थे जबकि एमटीएनएल मुंबई के पास 369 कनेक्शन थे।

आईपीवी4 के स्थान पर आईपीवी6 को अपनाना: दूरसंचार विभाग ने सभी सेवा प्रदाताओं को अधिक से अधिक 2012 तक अपनी कोर नेटवर्क अवसंरचना तैयार करने का निदेश दिया है, जिससे सभी उपखंडों में आईपीवी6 सेवाओं को प्रस्तावित करने में समर्थ हो सके। आईपीवी6 को अपनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि एमटीएनएल के पास विभिन्न प्रकार की व्यवसाय श्रेणी अर्थात् ब्रॉडबैंड, वायरलेस, लीज्ड सर्किट आदि के लिए पहले से स्थापित अनेक नेटवर्क और उपस्कर हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, एमटीएनएल इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने इस दिशा में अधिक सक्रिय उपाय किए हैं और दोहरे स्टैक एमपीएलएस नेटवर्क से अपने कोर नेटवर्क (केवल आईपीवी4) को बदलने की प्रक्रिया चल रही है तथा साथ ही अन्य उपस्करों के



साथ अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जांच भी की है। आईपीवी6 के लिए आईएसपी पर व्यवस्थित करने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। आईपीवी6/आईपीवी4 शिकायत के रूप में सीपीई का प्रापण किया जा रहा है। एमटीएनएल का ब्रॉडबैंड नेटवर्क डयूल स्टैक पर बिना नेटिंग के आईपीवी6 तैयार है। आईपीवी6-आईपीवी4 अंतरसक्रियता के लिए नेटिंग उपकरण का प्रापण किया जा रहा है।

एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का उपयोग: एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों के अर्जनपूर्ण उपयोग के द्वारा राजस्व में अधिकतम वृद्धि करने के लिए सुविचारित प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे कि स्टाफ क्वार्टर, कार्यालय स्थान का अन्य सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठनों/निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साझा उपयोग करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2013-14 के दौरान एमटीएनएल ने आस्तियों (किराया आय, कबाड़ की बिक्री आदि सहित) के उपयोग से ₹ 63.61 करोड़ का अर्जन किया है।

संयुक्त उद्यम

एमटीएनएल-एसटीपीआई आईटी सेवाएं (एमएसआईटीएस): एमएसआईटीएस को 50 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ एमटीएनएल और एसटीआई के संयुक्त उद्यम के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 31.03.2006 को निगमित किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य डाटा सेंटर सेवाएं, मैसजिंग सेवाएं, कारोबार अनुप्रयोग सेवाएं आदि प्रदान करना है। इसके उद्देश्यों का कार्यान्वयन करने के लिए एमएसआईटीएस ने एसटीपीआई से पट्टा आधार पर ली गई जगह पर चेन्नई में डाटा सेवा की वास्तविक अवसंरचना स्थापित की है। डाटा सेंटर के पास लगभग 3400 स्क्वायर फीट का सर्वर फार्म एरिया है और इस संबंध में ₹ 477 लाख का कुल निवेश किया गया है। यह डाटा सेंटर 24 x 7 आधार पर 99.98 अपटाइम मेन्टेन कर रहा है। इस डाटा सेंटर से वर्ष 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया गया। विदेश मंत्रालय ने मैसर्स टीसीएस के माध्यम से एमएसआईटीएस डाटा सेंटर पर पासपोर्ट सेवा परियोजना को होस्ट किया है।

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल): यह संयुक्त उद्यम सीडीएमए प्रौद्योगिकी के आधार पर नेपाल में दूरसंचार सेवा प्रदान कर रही है। यूटीएल के पास 506,459 से अधिक का उपभोक्ता आधार है और इसका डाटा उपभोक्ता आधार 56,059 से अधिक है। यूटीएल के पास इंजिनियरों और वित्त विशेषज्ञों और अन्य सहायक स्टाफ सहित कुल 118 कार्मिकों हैं। इसके अलावा 110 से अधिक लोग फाल्ट रिपेयर सेवाओं, उपभोक्ता सेवा और फोन का विपणन, सुरक्षा और अभियान के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। प्रबंधन नेटवर्क, सेवा गुणवत्ता, उपभोक्ता शिकायतें, फाल्ट रेट, बीटीएस वार ट्रैफिक और आईएलडी ट्रैफिक के समग्र निष्पादन की गहन निगरानी करता है। कंपनी अपने प्रचालन खर्चों को आंतरिक राजस्व अर्जित करके पूरा करती है। आज की तिथि के अनुसार एमटीएनएल की यूटीएल में 26.68 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारिता है। दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने ₹ 267.95 मिलियन की निवल हानि सूचित की है।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड: यह एमटीएनएल के पूर्ण स्वामित्व वाली पूर्ण सहायक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत फरवरी, 2000 में निगमित हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित है। एमटीएल द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाएं निम्नानुसार हैं:-

क. टेलीकॉम कंसलटेंसी और इंजिनियरिंग अर्थात् आउटडोर प्लांट, ऑप्टिकल फाइबर बिछाना आदि।

ख. आईटी कंसलटेंसी और परियोजना प्रबंधन कार्यान्वयन।



सहायक कंपनियां

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल): एमटीएमएल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कंपनी को मोबाइल सेवाओं, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त है। एमटीएमएल का उपभोक्ता आधार पिछले वर्ष 141699 से बढ़कर 191262 हो चुका है। कंपनी का वॉइस क्षेत्र में मार्केट शेयर 15 प्रतिशत और आईएलडी क्षेत्र में 30 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। एमटीएमएल ने इस राजकोषीय वर्ष में 3जी जीएसएम सेवाएं शुरू की हैं।

प्रौद्योगिकी के संबंध में पूंजीगत व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान एमटीएमएल ने पूंजीगत व्यय के संबंध में पिछले वर्ष में ₹ 388.88 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 361.20 करोड़ की धनराशि खर्च की है। यह मुख्यतः अन्य संसाधनों (दीर्घावधिक ऋण) का सृजन करने के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

जनशक्ति

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार एमटीएमएल विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 36.523 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या 5633 है जो कुल कर्मचारियों का 15.42 प्रतिशत होता है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या 1290 है जो कुल कर्मचारियों का 3.53 प्रतिशत होता है।

जनशक्ति का विवरण

समूह	कुल कार्यरत क्षमता	एससी	एसटी	महिला	विकलांग व्यक्ति
क	951	137	59	53	4
ख	4124	520	71	582	13
ग	21709	2760	391	6406	137
घ	9721	2216	769	1117	24
टीएसएम	18				
कुल	36523	5633	1290	8158	178

एमटीएमएल ने भारत सरकार के नियमों के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है और विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए नियम भी बनाए गए हैं। ये एमटीएमएल द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में से एक कदम है और इन समुदायों को हमारे समाज में सम्मानित स्थिति प्रदान करने के लिए कुछ अन्य नई स्कीमों तैयार की जा रही है।



वित्तीय निष्पादन

एमटीएनएल का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14
सेवाओं से आय	3624.68	3496.43	3475.66
अन्य आय	251.16	286.69	396.49
कुल आय	3875.84	3783.12	3872.15
खर्च	7985.64	9086.45	6959.60
पीबीटी	(4109.80)	(5303.33)	8533.25
निवल लाभ	(4109.80)	(5322.03)	7820.72

अन्य प्रचालकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष के ₹ 3783.12 करोड़ के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3872.15 करोड़ का कुल वित्तीय कारोबार किया है। उक्त अवधि के दौरान एमटीएनएल ने ₹ 7820.72 करोड़ का लाभ दर्ज किया है जो मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है:-

- ₹ 1404.88 करोड़ की प्रतिलेखित अमूर्त परिसम्पत्तियों (बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम) का परिशोधन।
- पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान करने के लिए ₹ 9013.39 करोड़ का प्रतिलेखन।
- एमटीएनएल द्वारा चुकाई गई ₹ 1102.67 करोड़ की पेंशन जो दूरसंचार विभाग (पेंशन अंशदान का कुल) से वसूल हो जाएगी।
- संयुक्त सेवा चुनने वाले कर्मचारियों के संबंध में ₹ 99.99 करोड़ की वसूली योग्य ग्रेच्युटी।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 3 आई टी आई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, दूरसंचार क्षेत्रों में भारत का एक पथप्रदर्शक उपक्रम है। आईटीआई ने वर्ष 1948 में बेंगलूर में अपना प्रचालन प्रारंभ किया, जिसे बाद में जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर (1968), उत्तर प्रदेश में नैनी (1971), रायबरेली (1973) और मनकापुर (1984) तथा केरल में पालाक्कड़ (1976) में विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करके विस्तारित किया गया। विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापना का प्रयोजन न केवल विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना था अपितु सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी था।

उपर्युक्त विनिर्माण संयंत्रों के अतिरिक्त, आईटीआई के पास टर्नकी परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन एवं आईटीआई द्वारा आपूर्ति किए गए सभी उत्पादनों की संस्थापना तथा अनुरक्षण सहायता प्रदान करने के लिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल के जीएसएम उपस्करों की तैनाती के लिए मुंबई, पुणे और बंगलौर में तीन अलग परियोजना प्रभागों तथा देश भर में फैले 8 क्षेत्रीय कार्यालयों व 27 क्षेत्र कार्यालयों वाले विपणन प्रभाग से युक्त एक समर्पित नेटवर्क प्रणाली इकाई है।

कम्पनी मध्यम और हल्के इंजीनियरिंग सेक्टर में, भारत सरकार की 90 प्रतिशत की शेयर-होल्डिंग के साथ अनुसूची 'क' सीपीएसई है। इसका पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय बेंगलूर (कर्नाटक) में स्थित है।

मुख्य कार्य-निष्पादन घटक

कंपनी के पास वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 4500 करोड़ (बिक्री) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य था। इस समझौता ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 344 करोड़ की हानि सहित ₹ 770.00 करोड़ (उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सहित) का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

पूंजीगत अवसंरचना

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ रुपए थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 588 करोड़ (₹ 10/- प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर ₹ 288 करोड़ और ₹ 100/- प्रति शेयर वाले अधिमानी शेयर के रूप में ₹ 300 करोड़) थी। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 89.89 प्रतिशत है।

वित्तीय विशिष्टताएं

विवरण	वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन (₹ करोड़ में)		
	2011-12	2012-13	2013-14
1. टर्न ओवर एवं अन्य आय	1027	955	810
2. व्यय	1397	1137*	1154
3. निवल लाभ/हानि	(-) 370	(-) 182	(-) 344

* ₹ 130 करोड़ की असाधारण आय और पूर्ववर्ती अवधि की ₹ 47 करोड़ की आय सहित

टिप्पणी: टर्न ओवर में उत्पाद शुल्क और सेवा कर सम्मिलित हैं।



क्रियान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं/उत्पाद

- **राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) एवं सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) परियोजनाएं**

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आईटीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों (मैसर्स बीईएल एवं मैसर्स ईसीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य दो उपक्रम हैं) में से एक संकाय है। इस कार्य में क्रियान्वयन के अंतर्गत चल रहे बायोमैट्रिक सहित नागरिक आंकड़े एकत्रित करना है। उपर्युक्त संकाय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एसईसीसी परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है।

- **मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क्स (एमएलएलएन)**

आईटीआई ने एक प्रौद्योगिकी भागीदार के तकनीकी सहयोग से बीएसएनएल के लिए देश भर में सफलतापूर्वक रॉलआउट किया है। हाल ही में, आईटीआई को बीएसएनएल से एक विस्तारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **गीगाबिट निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (जी-पीओएन)**

आईटीआई इस उत्पाद का बीएसएनएल और एमटीएनएल का मुख्य आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) रहा है। भविष्य में भी, एफटीटीएच जैसे अनुप्रयोगों के लिए इस उत्पाद की आवश्यकताओं के बने रहने की उम्मीद है।

- **रक्षा परियोजनाएं**

आईटीआई, रक्षा नेटवर्कों में सुरक्षित संचार के लिए एनक्रिप्शन इक्विपमेंट की आपूर्ति करने में अग्रणी है। आईटीआई ने रक्षा सेक्टर को टेलीफोन, अपरिष्कृत टेलीफोन एक्सचेंज, संचार उपस्कर वीसैट आदि जैसे दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति की है। आईटीआई ने एस्कॉन परियोजना (चरण-I, II एवं III) के कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

- **डाटा केन्द्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं**

आईटीआई बेंगलूर में पीपीपी मॉडल पर 3 + स्तरीय (टीयर) अद्यतन विशेषज्ञता युक्त डाटा केन्द्र की स्थापना कर चुका है। इस समय यह डाटा केन्द्र को-लोकेशन सेवाओं के लिए पूर्णतः आरक्षित है। आईटीआई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी मुख्य भूमिका निभा रहा है। सभी राज्य सरकारें सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ ग्राम पंचायतों को पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के अनुसार कार्य कर रही हैं और उन्होंने इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। आईटीआई इस मार्केट सेगमेंट को जोर-शोर से आगे बढ़ा रहा है। आईटीआई ने महाराष्ट्र, ओडिशा और मिज़ोरम की स्वान (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) का कार्य-निष्पादन किया है। यह तमिलनाडु राज्य के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का कार्य-निष्पादन भी कर रहा है।



मानव संसाधन विकास

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार जन-शक्ति संख्या का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

समूह	कुल कार्यकारी संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	निःशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)
अधिकारी	3790	590	43	382	43
गैर-अधिकारी	3521	810	23	245	60
कुल	7311	1400	66	627	103



श्रीमती रीता ए तेवतिया, भा.प्र.से. अपर सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग ने श्री वी उमाशंकर, भा. प्र. से. संयुक्त सचिव (टी), श्री एन के जोशी, उप महानिदेशक (एसयू) और श्री आर.के. कौशिक, निदेशक (पीएसयू-IV) के साथ दिनांक 3 जुलाई, 2013 को बेंगलोर स्थित आईटीआई लिमिटेड के कॉरपोरेट कार्यालय का दौरा किया।



सचिव, दूरसंचार विभाग एवं अध्यक्ष दूरसंचार आयोग, श्री आर चन्द्रशेखर और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड, श्री के. एल ढींगरा ने नई दिल्ली में दिनांक 22.03.2013 को वर्ष 2013-14 के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 4 टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना, नेतृत्व बनाए रखने और सतत आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन कार्यनीतियाँ विकसित करके विदेशी एवं घरेलू बाजारों में अपने प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ, दिनांक 10.03.1978 को की गई थी। इसका लक्ष्य ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंवर्जेंट सर्विस नेटवर्कों पर ध्यान केन्द्रित करके लीगेसी नेटवर्कों का उन्नयन करना और साइबर पार्कों/साइबर शहरों में विविधता लाना, टीसीआईएल की निपुण तकनीकी जनशक्ति का उपयोग करते हुए दूरसंचार बिलिंग ग्राहक सुविधा मूल्यवर्धित सेवाओं; ई-गवर्नेंस नेटवर्कों और दूरसंचार क्षेत्रों में सिस्टम्स इंटीग्रेटर के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना, विदेशों में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अवसंरचना को विकसित करना और विभिन्न राज्यों में स्वान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करना है।

टीसीआईएल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तकनीकी परामर्शी सेवा क्षेत्र में, भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला, 'क' अनुसूची का, एक मिनीरत्न, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में है।

परिकल्पना/उद्देश्य

कंपनी की परिकल्पना "प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना" है। कंपनी का 'उद्देश्य विश्वभर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना और विशेषकर, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके इनमें विविधता लाना' है।

औद्योगिक/कारोबार प्रचालन

टीसीआईएल भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाएं चला रहा है। कंपनी की कोर क्षमता कोर एवं एक्सेस नेटवर्क परियोजनाओं, दूरसंचार सॉफ्टवेयर, स्विचिंग एवं पारेषण प्रणालियों, सेलुलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैकबोन पारेषण प्रणाली, आईटी एवं नेटवर्किंग समाधान, साइबर शहरों, दूरसंचार परिसरों आदि हेतु ई-गवर्नेंस, सिविल एवं वास्तुकला संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में है। कंपनी ने वास्तुकला परामर्शी और सिविल विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रवेश किया है।

कंपनी अपनी 6 शाखाओं के माध्यम से प्रचालन करती है। इसके भारती हैक्सकॉम लि., यूनाइटेड टेलीकॉम लि., टीसीआईएल बैलसाउथ लिमिटेड, इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि., और टीसीआईएल सऊदी कंपनी लि., नामक 5 संयुक्त उद्यम भी हैं। टीसीआईएल सऊदी कंपनी लिमिटेड के नेसमा ग्रुप की 60 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। उसके पश्चात टीसीआईएल सऊदी कंपनी लिमिटेड टीसीआईएल की सहायक कंपनी बन जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी की 4 सहायक कंपनियां नामतः टीसीआईएल ओमान



एलएलसी, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीआरएल) और टीसीआईएल लाखनाडोन टोल रोड लिमिटेड भी हैं।

उपलब्धियां, कार्यकलाप और कार्य-निष्पादन

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने ₹ 1457.00 करोड़ के आदेश प्राप्त किए हैं।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

टीसीआईएल ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 815.00 करोड़ (अंतिम) के टर्नओवर (अन्य आय सहित) पर ₹ 19.50 करोड़ (कर पूर्व) लाभ अर्जित किया है।

जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, टीसीआईएल की स्वीकृत नफ़री 891 कार्मिकों की है तथा 409 कार्यपालक वर्ग और 482 गैर कार्यपालक वर्ग के कार्मिकों से समाविष्ट 891 की कार्यरत नफ़री है। टीसीआईएल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण संबंधी सरकार के निदेशों और नीतियों के अनुपालन को निरंतर बहुत महत्व दे रही है।



संचार भवन में दिनांक 27.03.2014 को टीसीआईएल और दूरसंचार विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते हुए।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 5 भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है। बीबीएनएल को 2,45,748 ग्राम पंचायतों (जीपीएस) को कनेक्ट करने का दायित्व सौंपा गया है। सरकार द्वारा सितम्बर, 2013 में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार, ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के कार्य-निष्पादन को निम्नानुसार 3 चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है:-

- चरण-I - 1,00,000 ग्राम पंचायतें
- चरण-II - 1,00,000 ग्राम पंचायतें
- चरण-III - 45,748 ग्राम पंचायतें

कुल 2,45,748 ग्राम पंचायतों में से 2,00,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 516 जिलों में विभाजित 4146 ब्लॉकों को कवर करते हुए 1,74,745 ग्राम पंचायतों के लिए अंतिम तकनीकी संस्वीकृति (टीएसपी) जारी कर दी गई है। चरण-I के लिए 2780 ब्लॉकों में से 2468 ब्लॉकों को कवर करते हुए 87674 ग्राम पंचायतों के संबंध में टीएसपी जारी कर दी गई है और 501 ब्लॉकों के लिए अंतिम तकनीकी संस्वीकृति जारी कर दी गई है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने चरण-I के 87 ब्लॉकों में खाई खोदने एवं केबल बिछाने संबंधी कार्य को अंतिम रूप दे कर इसे पूरा करने का काम सौंप दिया है, जिनमें से 20 ब्लॉकों में कार्य शुरु कर दिया गया है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) एवं सहायक उपकरणों की निविदा को बीबीएनएल द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है; लगभग 4,00,000 कि. मी. की ओएफ केबल और तदनु रूप सहायक उपकरणों के एपीओ जारी कर दिए गए हैं तथा चरण-I की अपेक्षा को कवर करते हुए 50 प्रतिशत प्रमात्रा अर्थात् लगभग 2,00,000 कि.मी. की ओएफ केबल के लिए क्रय आदेश दे दिए गए हैं।

जीपीओ उपस्करों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और एपीओ शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 16000 कि.मी. की पीएलबी डक्ट के क्रय आदेश दे दिए हैं और अन्य 51000 कि. मी. के लिए एपीओ जारी की दिए हैं। इस कार्य-निष्पादन के लिए बीबीएनएल और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बीबीएनएल और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूसओएफ) के बीच इस कार्य-निष्पादन और यूसओएफ द्वारा वित्तपोषण के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) हस्ताक्षरित किए गए हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



IX. सांख्यिकी परिशिष्ट

पृष्ठ

सारणी 1	प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन—शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)	101
सारणी 2	टेलीफोनों की संख्या	102
सारणी 3	कर्मचारियों की संख्या – कुल, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं	103
सारणी 4	अशक्त कर्मचारियों की संख्या	103



सारणी-1

प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च, 2013 एवं 2014

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	टेली-घनत्व						टेलीफोन						समग्र टेलीफोनों में ग्रामीण टेलीफोनों का प्रतिशत	
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण		मार्च '13	मार्च '14
		मार्च '13	मार्च '14	मार्च '13	मार्च '14	मार्च '13	मार्च '14	मार्च '13	मार्च '14	मार्च '13	मार्च '14	मार्च '13	मार्च '14	मार्च '13	मार्च '14
1	आंध्र प्रदेश	77.19	79.52	169.00	167.61	41.33	45.53	66602985	69194450	40546640	40610155	26056345	28584295	39.12%	41.31%
2	असम	46.51	48.74	130.92	126.27	31.13	34.36	14582059	15462192	6327093	6265741	8254966	9196451	56.61%	59.48%
3	बिहार ¹	45.72	46.10	160.28	150.96	27.54	29.41	60695988	61966991	29146942	27863955	31549046	34103036	51.98%	55.03%
4	गुजरात	87.23	90.54	136.39	137.63	53.12	57.44	53485394	56227514	34257428	35279750	19227966	20947764	35.95%	37.26%
5	हरियाणा	76.44	81.44	113.51	121.39	56.78	59.77	20104063	21751303	10348181	11400273	9755882	10351030	48.53%	47.59%
6	हिमाचल प्रदेश	105.39	105.59	347.42	325.88	74.50	77.08	7296012	7373458	2721722	2608116	4574290	4765342	62.70%	64.63%
7	जम्मू एवं कश्मीर	58.57	66.80	116.91	130.69	36.72	42.61	7041418	8125041	3830219	4365465	3211199	3759576	45.60%	46.27%
8	कर्नाटक	91.24	92.45	170.38	167.20	43.00	46.24	53558183	56637842	39151280	39131321	16206903	17506521	29.28%	30.91%
9	केरल	96.09	96.19	196.11	189.65	61.93	64.34	33757486	34006214	17541057	17040735	16216429	16965479	48.04%	49.89%
10	मध्य प्रदेश ²	53.55	56.04	115.09	116.34	30.91	33.67	53284642	56584457	30795197	31792710	22489445	24791747	42.21%	43.81%
11	महाराष्ट्र	73.97	77.32	113.60	116.26	52.43	55.82	70866861	74903431	38323465	40065662	32543396	34837769	45.92%	46.51%
12	पूर्वोत्तर ³	67.78	69.97	151.53	153.02	40.57	42.68	9150426	9551079	5016351	5165564	4134075	4385515	45.18%	45.92%
13	ओडिशा	60.21	60.90	164.01	161.14	38.72	39.87	24976362	25473028	11671677	11690415	13304685	13782613	53.27%	54.11%
14	पंजाब	103.00	107.23	151.96	154.34	67.16	71.96	30784480	32433318	19193802	19982848	11590678	12450470	37.65%	38.39%
15	राजस्थान	70.85	75.39	153.82	160.01	44.63	48.58	49612171	53569781	25865537	27361586	23748634	26208195	47.86%	48.92%
16	तमिलनाडु ⁴	108.17	111.14	139.93	138.16	66.33	74.02	75522087	78087652	55540091	56176488	19981996	21911164	26.46%	28.06%
17	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	56.83	57.27	137.69	131.53	33.34	35.55	74872453	77783016	39932099	39461026	34940354	38321990	46.67%	49.27%
18	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम) ⁵							49166603	49297455	27719149	26601057	21447454	22696398	43.62%	46.04%
19	पश्चिम बंगाल ⁶	54.18	55.13	135.73	135.27	40.58	41.72	41708107	42797168	14940548	15056367	26767559	27740801	64.18%	64.82%
20	कोलकाता	145.86	142.67	#	#	#	#	22404319	22147379	21455326	20382016	948993	1765363	4.24%	7.97%
21	दिल्ली	221.64	226.85	#	#	#	#	43388800	45688835	41253860	43323453	2134940	2365382	4.92%	5.18%
22	मुंबई	152.44	151.90	#	#	#	#	33357850	33953534	33226721	33608889	131129	346645	0.39%	1.02%
	अखिल-भारत	73.32	75.23	146.64	145.46	41.05	44.01	888018749	933015138	548804365	555231592	349214364	37783546	38.89%	40.49%

नोट: उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं (पश्चिम) की जनसंख्या के अलग आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, इनका टेलीघनत्व संयुक्त रूप परिकल्पित किया गया है। 1. झारखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व II सम्मिलित, 4. चेन्नई सम्मिलित, 5. उत्तराखण्ड सम्मिलित, 6. अंडमान व निकोबार सम्मिलित। # कोलकाता, दिल्ली और मुंबई सर्विस क्षेत्रों के लिए जनसंख्या के ग्रामीण-शहरी अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
 स्रोत: भारत के राज्यों की जनसंख्या अनुमान वर्ष 2001-26, भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय से। सरकारी क्षेत्र (बीएसएनएल व एमटीएनएल) और निजी क्षेत्र (आस्पी- वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल व जीएसएम और सीओआई-निजी जीएसएम) उपभोक्ता आंकड़े हेतु

सारणी-2
टेलीफोनों की संख्या 31 मार्च, 2013 और 2014 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	वायरलाइन फोन						वायरलेस फोन						कुल			
		कुल		निजी प्रचालक		सार्वजनिक प्रचालक		कुल		निजी प्रचालक		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक		कुल	
		मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14	मार्च'13	मार्च'14
1	आंध्र प्रदेश	2239363	2044305	1848510	1657496	390853	386809	64363622	67150145	9380164	9919531	54989458	57230614	66602985	69194450		
2	असम	194395	183984	193915	182904	480	1080	14387664	15278208	1236162	1280869	13151502	13997339	14582059	15462192		
3	बिहार ¹	394129	381591	378374	363665	15755	17926	60301859	61585400	5907091	3246007	54394788	58339393	60695988	61966991		
4	गुजरात	1792030	1690065	1565727	1459828	226303	230237	51693364	54537449	4299022	4137901	47394342	50399548	53485394	56227514		
5	हरियाणा	560474	499908	504057	452043	56417	47865	19543589	21251395	3110251	3331626	16433338	17919769	20104063	21751303		
6	हिमाचल प्रदेश	280669	253744	273941	246362	6728	7392	7015343	7119714	1634163	1433602	5381180	5686112	7296012	7373458		
7	जम्मू एवं कश्मीर	196811	186655	196811	186655	0	0	6844607	7938386	1159503	1271143	5685104	6667243	7041418	8125041		
8	कर्नाटक	2443394	2318079	1691273	1535931	752121	782148	52914789	54319763	7129983	7350172	45787806	46969591	55358183	56637842		
9	केरल	3064818	2885942	2943505	2773148	121313	112794	30692688	31120272	7723156	7951150	22969512	23169122	33757486	34006214		
10	मध्य प्रदेश ²	1120350	1103538	835271	833717	285079	269821	52164292	55480919	5244870	4948640	46919422	50532279	53284642	56584457		
11	महाराष्ट्र	2466496	2309779	2046050	1882033	420446	427746	68400365	72593652	6875597	6583446	61524768	66010206	70866861	74903431		
12	पूर्वोत्तर ³	189884	139937	189884	139877	0	60	8960542	9411142	1756598	1521837	7203944	7889305	9150426	9551079		
13	ओडिशा	374427	347455	364132	335875	10295	11580	24601935	25125573	4513362	3333678	20088573	21791895	24976362	25473028		
14	पंजाब	1320185	1222091	983646	876585	336539	345506	29464295	31211227	4432323	4629083	25031972	26582144	30784480	32433318		
15	राजस्थान	1011041	924311	887216	798265	123825	126046	48601130	52645470	5966452	6054920	42634678	46590550	49612171	53569781		
16	तमिलनाडु ⁴	3109695	2913185	2398676	2218136	711019	695049	72412392	75174467	9597898	9828051	62814494	65346416	75522087	78087652		
17	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	1048303	801992	943196	693951	105107	108041	73824150	76981024	10434924	10436240	63389226	66544784	74872453	77783016		
18	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम) ⁵	767118	541216	728589	504292	38529	36924	48399485	48756239	4902736	4480281	43496749	44275958	49166603	49297455		
19	पश्चिम बंगाल ⁶	548248	506151	542345	500140	5903	6011	41159859	42291017	3609491	2050565	37550368	40240452	41708107	42797168		
20	कोलकाता	1144255	1076955	930944	847254	213311	229701	21260064	21070424	2295879	860703	18964195	20209721	22404319	22147379		
21	दिल्ली	2962600	3103986	1593551	1601739	1369049	1502247	40426200	42584849	2593896	2307731	37832304	40277118	43388800	45688835		
22	मुंबई	2985057	3063976	1866498	1940336	1118559	1123640	30372793	30889558	2405455	1064605	27967338	29824953	33357850	33953554		
	अखिल-भारत	30213742	28498845	23906111	22030222	6307631	6468623	867805007	904516293	106205976	98021781	761599031	806494512	888018749	933015138		

नोट: 1. झारखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व II सम्मिलित, 4. चेन्नई सम्मिलित, 5. उत्तराखण्ड सम्मिलित, 6. अंडमान व निकोबार सम्मिलित।

सारणी-3

दूरसंचार विभाग

31 मार्च, 2013 की स्थितिनुसार कर्मचारियों की संख्या-कुल, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (शक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	2230	392	17.58%	130	5.83%	0	0.00%	3	0.13%	131	5.87%
ख	691	78	11.29%	17	2.46%	0	0.00%	0	0.00%	141	20.41%
ग	1090	221	20.28%	66	6.06%	19	1.74%	0	0.00%	154	14.13%
घ	15	3	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	20.00%
कुल	4026	694	17.24%	213	5.29%	19	0.47%	3	0.07%	429	10.66%

सारणी-4

31 मार्च, 2013 की स्थितिनुसार के अशक्त कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	संख्या		अंतर
	स्वीकृत का प्रतिशत	कार्यरत	
अल्प दृष्टि	7	4	3
श्रवण दोष	6	0	6
अपंग अथवा मानसिक पक्षाघात युक्त	29	16	13
जोड़	42	20	22





X. परिवर्णी-शब्द

2जी	दूसरी पीढ़ी
3जी	तीसरी पीढ़ी
एसीसी	एकाउंट्स कॉलिंग कार्ड
एडीसी	अभिगम्य घाटा प्रभार (एक्सेस डेफिसिट चार्ज)
एडीएसएल	विषम डिजीटल उपभोक्ता लाइन (एसिमिटीकल डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन)
एएलटीटीसी	प्रोन्नत स्तर दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एपीटी	एशिया प्रशांत दूरसंचार (एशिया पैसेफिक टेलिकम्युनिकेशंस)
एटीएम	अतुल्यकालिक अंतरण मोड (एसिंक्रोनल ट्रांसफर मोड)
एटीएनएस	की गई कार्रवाई संबंधी नोट
बीबीएनएल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
बीआरबीआरएआईटीटी	भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीटीएस	बेस टर्मिनल स्टेशन
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम
सी एंड एजी	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
सीएसीटी	दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	कंप्यूटर आधारित (एडिड) डिजाइन
सीसीईए	आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति
सीसीएस	सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीडीएमए	कोड प्रभाग बहु अभिगम
सी-डॉट	टेलीमैटिक्स विकास केंद्र
सीआईडीए	कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	सेलयुलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	केंद्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केंद्र
सीएसएमएस	उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	डिजीटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	डिजीटल विद्वत तार-रहित टेलीफोन (डिजीटल एन्हांस्ड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीआईएस	सीधी इंटरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	डिजीटल लूप संवाहक (कैरियर)
डीओई	व्यय विभाग
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट



डीएसपीटी	डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल
डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलैंग्थ डिवीजन मल्टिप्लेक्सिंग
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमटीएस	तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएसएस	फाइबर अभिगम प्रणाली
एफडीएमए	फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टिपल एक्सेस
एफआरएस	दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जीपीओएन	गीगाबाइट पॉस्चर ऑप्टिकल नेटवर्क
जीपीएसएस	गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली
जीआर	सामान्य (जिनेरिक) आवश्यकताएं
एचईसीएस	उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एर्लेग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
आई एंड बी	सूचना एवं प्रसारण
आईएपी	नवीकरण कार्य योजना
आईएफआरबी	अंतर्राष्ट्रीय आवृत्ति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमईआई	अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण विशिष्टता
आईएमआरबी	भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो
आईएन	इन्टेलिजेंट नेटवर्क
इनसैट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आईपी एंड पी	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन
आईपीवी6	इंटरनेट प्रोटोकॉल रूप 6
आईआर	अंतरापृष्ठ आवश्यकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क)
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीआई लिमिटेड	भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड
आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईटीयू – डी	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ – विकास क्षेत्रक
आईटीयू – आर	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ – रेडियो संचार क्षेत्रक
आईटीयू – टी	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ – दूरसंचार क्षेत्रक
आईयूसी	अंतः संपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	अंतःक्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम)
लैब	प्रयोगशाला
एलएमडीएस	स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	आशय-पत्र
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एम टू एम	मशीन से मशीन
एमसीआईबीएस	सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेस कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट बिलिडिंग सिस्टम्स)



एमसीपीसी	बहु चैनल प्रतीक संवाहक (मल्टी चैनल पर कैरियर)
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएलएलएन	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	मल्टी मीडिया मेसेजिंग सर्विस
एमएनपी	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	मोबाइल उपग्रह प्रणाली
एमटीएल	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईबी	राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनआईसीएफ	राष्ट्रीय वित्त संचार संस्थान
एनएलडीएस	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनओएफएन	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
एनटीआईपीआरआईटी	नीति अनुसंधान, नवीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान
एनटीपी	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
एनवाईएसई	न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
ओएलटीई	ऑप्टिक लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीसीबी	मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीआर	प्राथमिकता कॉल रूटिंग
पीआईए	फोटो पहचान पता
पीएमए	अधिमानात्मक बाजार अभिगम
पीएमआरटीएस	सार्वजनिक मोबाइल रेडिया ट्रंक सेवा
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पीओटी	साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	प्रीमियम दर सेवा
पीएसटीएन	सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क
क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
क्यूटीएस	टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरएबीएमएन	दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएन	रेडियो अभिगम नेटवर्क
आरओडब्ल्यू	मार्गाधिकार




आरटीटीसी
एसएसीएफए
एसएसीएफए
एसएआर
एसएएस
एसबीएम
एसडीसीए
एसडीएच
एसआईएम
एसएसए
एसटीएम
टीसीपी
टीडीएमए
टीडीएसएटी
टीआरआई
टीएसपी
टीएसपी
टीटीएल
टीटीओ
यूएचएफ
यूएमएस
यूएसएफ
यूएसएल
यूएसओ
यूएसओएफ
यूटीएल
यूटी
वीसीसी
वीएमएस
वीपीएन
वीपीटी
वीआरएलए
वीएसएटी
डब्ल्यूएलएल
डब्ल्यूपीसी
डब्ल्यूपीएचएस
डब्ल्यूएसएचएस

क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति
रेडियो आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति
विशिष्ट आमेलन अनुपात
लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
सिग्नल बेस माड्यूल
अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
सिन्क्रोनस डिजीटल हायरकी
उपभोक्ता पहचान माॅड्यूल
गौण स्विच क्षेत्र
सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट माॅड्यूल
ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
जनजातीय उपयोजना
दूरसंचार सेवा प्रदाता
दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
दूरसंचार प्रशुल्क आदेश
अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी
एकीकृत संदेश सेवा
वैश्विक सेवा निधि
एकीकृत सेवा उद्ग्रहण
सार्वभौमिक सेवा दायित्व
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
संघ राज्य क्षेत्र
वर्चूअल कॉलिंग कोर्ड
वॉयस मेल सर्विस
वर्चूअल प्राइवेट नेटवर्क
सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन
वेल्यू रीगुलेटड लीड एसिड
वेरी स्मॉल अपचर्च टर्मिनल
वायरलैस इन लोकल लूप
बेतार आयोजना एवं समन्वय
वेब पेज होस्टिंग सर्विस
वेब सर्वर होस्टिंग सर्विस



XI. संगठनात्मक चार्ट - दूरसंचार विभाग 2013-14



साक्षिपतियां:

डीडीजी : उप महानिदेशक
टीपीएफ : टैरिफ पब्लिक इंटरप्राइजेस फाइनेंस
डब्ल्यूपीएफ : वित्त, स्थापना और बजट
एलाएफ : लाइसेंसिंग वित्त

सीएस : कैरियर सेवाएं
डीएस : डाटा सेवाएं
बीडब्ल्यू : भवन कार्य
एनटी : नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकी
एस : अभिगम सेवाएं

टीईसी : दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र
आईआर : अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ईएसटीटी : स्थापना
पीजी : लोक शिकायत
एसयू : सेवा इकाई

जेटी : संयुक्त सचिव
ए : प्रशासन
टी : दूरसंचार
सी एंड ए : समन्वय एवं प्रशासन
आईपी : निवेश नीति

यूएसओएफ : सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
जेटी एडीएम : संयुक्त प्रशासक
टीईसीएच : प्रौद्योगिकी
एफआईएन : वित्त
बीबी : बॉडबैंड



निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट



उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य						निष्पादन		
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त	उपलब्धियां	न्यूनतम	मासित	
						100%	90%	80%	70%	60%		अंक	द्वारा अनुमोदित	
		12वीं योजना में 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान	ब्रॉडबैंड संयोजकता के लिए ब्रॉड प्रमवर्क को अंतिम रूप देना	दिनांक	3.00	31/01/2014	28/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	31/03/2014	20/12/2013	100.0	3.0	20/12/2013
2	9.00	स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण का संवर्धन	दूरसंचार उपकरण के स्वदेशी विनिर्माण के लिए नीति को लागू करना। सुझा संवेदनशील दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएसए दिशानिर्देश जारी करना। अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निधि की व्यवस्था करना दूरसंचार मानक विकास संगठन (टीएसडीओ) की स्थापना करना	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
		दूरसंचार उपकरण के लिए भारतीय मानक की प्रस्तावना	मानकों के लिए अनुमोदन	संख्या	2.00		10	9	8	7	6	10	2.0	10
		इंडिया टेलीकॉम 2013 का आयोजन	समय पर संपन्न	दिनांक	0.50	31/12/2013							100.0	0.5
		क्षमता निर्माण और विषय, गुणवत्ता एवं परीक्षा प्रमवर्क पर सलाहकारी समूह का गठन	स्वतंत्र प्रभावी निर्धारण	दिनांक	0.50	14/01/2014	14/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
3	3.00	दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास	समय पर संगठित	दिनांक	1.00	30/06/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	28/06/2013	100.0	1.0	28/06/2013
		दूरसंचार क्षेत्र के लिए कौशल का अंतर-अध्ययन शुरू करना	समय पर अध्ययन शुरू	दिनांक	1.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	16/09/2013	100.0	1.0	16/09/2013
		दूरसंचार क्षेत्र संबंधी ज्ञान भंडार के लिए आवश्यक तकनीकी बांटा निश्चित करना	समय पर प्रस्ताव को अंतिम रूप देना	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	27/12/2013	100.0	1.0	27/12/2013
4	7.00	पर्याप्त दूरसंचार नेटवर्क सुझा	वृद्ध नेटवर्क सुझा नीति जारी करना	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	



निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदंड मूल्य						निष्पादन		
						सर्वोत्तम 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	मध्यम 70%	अपर्याप्त 60%	उपलब्धियां	न्यूनतम अंक	भारित न्यूनतम अंक	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
		ग्राहक स्थापन	पीआईए आधार पर कई ग्राहकों का स्थापन	%	1.00	0.1	0.095	0.085	0.075	0.060	0.1	100.0	1.0	0.1
		इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण स्थापन	निर्धारित विकिरण प्रतिमानों के संबंध में बीटीएस का स्थापन	संख्या	2.00	30000	28500	25500	22500	21000	76273	100.0	2.0	76273
		विधि पूर्ण अंतररोधन और संग्रहण, भंडारण तथा संदेश विश्लेषण संबंधी जानकारी के लिए टेलीग्राफ नियमों के नियम सं. 419ए एवं 419बी में संशोधन करना	भारत के राजपत्र में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियमों का प्रकाशन	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	28/01/2014	90.97	0.91	28/01/2014
		भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में लाइसेंसधारियों द्वारा प्रयोग करने हेतु दूरसंचार उपकरणों की अनिवार्य जांच के लिए भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम सं. 528-538 को प्रस्तावना करना।	भारत के राजपत्र में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियमों का प्रकाशन	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त संगठनों को सुदृढ़ करना	8.00	आईटीआई लि. के लिए आरक्षण कोटे का विस्तार	सीसीईए को प्रस्तुत	दिनांक	2.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	31/12/2013	90.0	1.8	31/12/2013
		आईटीआई लि. के लिए पूनः प्रवर्तन परियोजना	मंत्रिमंडल को प्रस्तुत	दिनांक	2.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	12/02/2014	75.71	1.51	12/02/2014
		2जी में सेक्टर की अधिकता के लिए बीएसएनएल एवं एमटीएनएल को वित्तीय सहायता	मंत्रिमंडल को प्रस्तुत	दिनांक	2.00	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	08/05/2013	100.0	2.0	08/05/2013
		बीडब्ल्यूएए सेक्टर के अपर्याप्त और उसके प्रत्यर्पण के लिए बीएसएनएल एवं एमटीएनएल को सहमति	मंत्रिमंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	02/01/2014	89.35	0.89	02/01/2014
		एमटीएनएल के सभी श्रेणियों के विलयित कर्मचारियों के लिए ट्रस्ट के रूप में सांझी पेंशन निधि की रचना	सरकार द्वारा अनुमोदन	दिनांक	1.00	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	09/01/2014	0.0	0.0	09/01/2014

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					निष्पादन			
						सर्वोत्तम 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	मध्यम 70%	अपर्याप्त 60%	उपलब्धियां	न्यूनतम अंक	भारित न्यूनतम अंक	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
6 लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और सेक्टर प्रबंधन से संबंधित नीति को तैयार करना	12.00	सेक्टर समुदय और कीमत निर्धारण संबंधी नीति की तैयारी और अनुमोदन	समय पर अनुमोदन	दिनांक	5.00	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013	28/02/2014	31/03/2014	12/12/2013	82.07	4.1	12/12/2013
		एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली के दूसरे फेस को अंतिम रूप देना और अनुमोदन	ट्राई को समय पर निर्देश	दिनांक	1.50	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	15/07/2013	31/07/2013		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
		दूरसंचार लाइसेंसों से संबंधित एम एवं प दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना और अनुमोदन	प्रणाली के लिए दिशानिर्देश जारी	दिनांक	1.50	15/01/2014	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
		दूरसंचार साइबेरी से संबंधित एम एवं प दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना	समय पर अनुमोदन	दिनांक	2.00	30/06/2013	31/07/2013	15/08/2013	31/08/2013	15/09/2013	20/02/2014	0.0	0.0	20/02/2014
7 अवसंरचना विकास और हरित दूरसंचार को प्रोत्साहन	4.00	सेक्टर साइबेरी से संबंधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना	समय पर अनुमोदन	दिनांक	2.00	30/06/2013	31/07/2013	15/08/2013	31/08/2013	15/09/2013		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
		दूरसंचार वित्त निगम की रचना	दूरसंचार आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत करना और उस पर आयोग का निर्णय। मंत्रिमंडल नोट तैयार करना और प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	20/09/2013	100.0	2.0	20/09/2013
8 दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण	6.00	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआई) और अन्य अंशधारकों के साथ परामर्श द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्र विशेष की स्कीमों और लक्ष्यों की रचना करना	दूरसंचार आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत करना और आयोग का निर्णय	दिनांक	2.00	31/12/2013	15/01/2014	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
		दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा बेतार कवरेज के वेब आधारित प्रकटन हेतु अनिवार्य प्रावधानों को बनाना	समय पर अधिसूचना	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	31/03/2014	25/10/2013	100.0	1.0	25/10/2013
		अंतरपरिचालीय मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी की प्रस्तावना	समय पर अधिसूचना	दिनांक	3.00	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	





निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य						निष्पादन		एचपीसी द्वारा अनुमोदित	
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त	उपलब्धियां	न्यूनतम अंक	मासित न्यूनतम अंक		
															100%
9 स्केट्रम आवंटन को सुव्यवस्थित करना	11.00	ट्राई अधिनियम में संशोधन	अंतरराष्ट्रीय परामर्श के लिए मंत्रिमंडल नोट के प्रारूप का परिचालन	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	07/05/2013	100.0	2.0	07/05/2013	
		रक्षा बैंड की अधिसूचना	समय पर अधिसूचना	दिनांक	2.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		
		सरकार से अनुमोदन प्राप्ति के बाद स्केट्रम नीलामी का आयोजन	सरकारी अनुमोदन अध्यापित नीलामी संबंधी दिशानिर्देशों को जारी करना	दिनांक	1.00	25/04/2013	02/05/2013	09/05/2013	16/05/2013	23/05/2013	12/12/2013	12/12/2013	0.0	0.0	12/12/2013
			आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी करना और अंतिम रूप देना	दिनांक	1.00	20/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	10/06/2013	17/06/2013	12/12/2013	12/12/2013	0.0	0.0	12/12/2013
			नीलामी का आरंभ	दिनांक	1.00	08/07/2013	15/07/2013	22/07/2013	29/07/2013	05/08/2013	03/02/2014	03/02/2014	0.0	0.0	03/02/2014
			अपफंटे भुगतान की प्राप्ति	दिनांक	1.00	01/08/2013	08/08/2013	15/08/2013	22/08/2013	29/08/2013	03/03/2014	03/03/2014	0.0	0.0	03/03/2014
			पुनर्विलोकन की समाप्ति	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
			अतिरिक्त स्केट्रम उपलब्धता के लिए रोलनैप बनाना	दिनांक	3.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
			लाइसेंस खद करने के लिए आवृत्ति बैंडों की पहचान	दिनांक	1.00	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013	28/02/2014	31/03/2014	26/06/2013	26/06/2013	100.0	1.0	26/06/2013
		10आईपीवी 6 का कार्यान्वयन	5.00	अंशधारकों के लाभ हेतु आईपीवी 6 कार्यान्वयन का आयोजन	20 कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन	दिनांक	1.00	31/01/2014	28/02/2014	10/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	31/12/2013	100.0	1.0
विभिन्न उद्योग ऊर्ध्वस्तरों के लिए आईपीवी 6 आधारित साधनों/अवसंभना / विषय अध्ययनों का सार-ग्रहण	सार-संग्रहण का अनुमोदन और प्रकाशन			दिनांक	1.00	28/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	20/12/2013	100.0	1.0	28/02/2014	
आईपीवी 6 के लिए नवीकरण केंद्र	नवीकरण केंद्र का अनुमोदन			दिनांक	1.00	28/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	25/03/2014	31/03/2014		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट



उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					निष्पादन			
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त	उपलब्धियां	न्यूनतम	मासित	
						100%	90%	80%	70%	60%	उपलब्ध नहीं	अंक	एचपीसी द्वारा अनुमोदित	
		पीपीपी रूप में सभी अंशधारकों के लिए आईपीवी 6 संबंधी प्रमाणित पाठ्यक्रम	आईपीवी 6 के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संगठनों का नामिकायन	दिनांक	1.00	31/01/2014	28/02/2014	20/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		
		दूरसंचार क्षेत्र के लिए क्लाउड आधारित नीति	दूरसंचार आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	दिनांक	1.00	28/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		
* आरएफडी प्रणाली का दक्षतापूर्ण कार्य	3.00	आरएफडी 2014-15 प्रारूप को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2.0	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014	05/03/2014	100.0	2.0	05/03/2014
			समय पर प्रस्तुत	दिनांक	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	01/05/2013	100.0	1.0	01/05/2013
* पारदर्शी / सेवा वितरण मंत्रालय / विभाग	3.00	नागरिक / ग्राहक चार्टर के परिपालन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	परिपालन का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0	100
			परिपालन का प्रतिशत	%	1.0	100	95	90	85	80	100	100.0	1.0	100
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभाव्य खतरे को कम करने हेतु उपयुक्त रणनीति लागू करना	परिपालन का प्रतिशत	%	1.0	100	95	90	85	80	80	60.0	0.6	80
			परिपालन का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80	00	0.0	0.0	80
			प्राप्त किए परिणामों का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0	100
			समय पर प्रस्तुत	दिनांक	1.0	27/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	18/10/2013	100.0	1.0	18/10/2013

* अनिवार्य उद्देश्य

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					निष्पादन			
						सर्वोत्तम 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	मध्यम 70%	अपर्याप्त 60%	उपलब्धियां	न्यूनतम अंक	भारित न्यूनतम अंक	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
* आंशिक दक्षता/अनुक्रियशीलता में सुधार करना।	2.00	12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं के अग्ररूप विभाग की कार्यनीति को अद्यतन करना।	कार्यनीति को समय पर अद्यतन करना।	दिनांक	2.0	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013	10/05/2013	100.0	2.0	10/05/2013
* वित्तीय जवाबदेही ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करना।	1.00	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा पत्र पर एटीएन को समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से निश्चित तिथि (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत।	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		पीएसी रिपोर्ट पर एटीआर का पीएसी सचिवालय में समय पर प्रस्तुतीकरण करना।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से निश्चित तिथि (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत।	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		दिनांक 31.03.2012 से पूर्व संसद में प्रस्तुत की गई कैग रिपोर्ट के लेखापरीक्षा पत्रों पर लॉबित एटीएन का शीघ्र निपटान करना।	वर्ष के दौरान निपटाई गई शेष एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	18	0.0	0.0	18
		दिनांक 31.03.2012 से पूर्व संसद में प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्ट पर लॉबित एटीआर का शीघ्र निपटान करना।	वर्ष के दौरान निपटाई गई शेष एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	0	0.0	0.0	0

* अनिवार्य उद्देश्य

कुल समग्र स्कोर : 47.99

समग्र पीएमडी : 49.2



नागरिक/ग्राहक चार्टर

क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
1	इंटरनेट लाइसेंस जारी करना।	आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् लगा समय।	60	दिन
		आवेदक कंपनी के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए हस्ताक्षर करने/अथवा प्रस्ताव रखने हेतु एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	45	दिन
2	इंटरनेट लाइसेंस के तहत आईपी टीवी की अनुमति को जारी करना।	अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् आईपी टीवी की अनुमति को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
3	इंटरनेट लाइसेंस के तहत विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्रदान करना।	सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
4	इंटरनेट लाइसेंस धारित लाइसेंसधारी कंपनी का विलयन/अविलयन और समामेलन करना।	अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करने और लाइसेंस का विलयन/अविलयन तथा इसके समामेलन को जारी करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	60	दिन
5	इंटरनेट लाइसेंस धारित कंपनी के नाम में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध करना।	अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् रिकॉर्ड में लाइसेंसधारी कंपनी का नाम परिवर्तित करने में लगा समय।	45	दिन
6	इंटरनेट लाइसेंस धारित कंपनी के पंजीकृत कार्यालयी पते में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध करना।	अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् रिकॉर्ड में लाइसेंसधारी कंपनी के पंजीकृत कार्यालयी पते के नाम को परिवर्तित करने में लगा समय।	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
7	इंटरनेट लाइसेंस को अभ्यर्पित करने हेतु अनुरोध करना।	अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करने और इसके रद्दीकरण को जारी करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	60	दिन
8	वेबसाइट/यूआरएल/आईपी पते को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश जारी करना।	इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक करने हेतु पत्र जारी करने के लिए वेबसाइट/यूआरएल/आईपी पते को ब्लॉक करने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	15	दिन
9	सीयूजी वीएसएटी लाइसेंस जारी करना।	कंपनी द्वारा एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवेदक कंपनी के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	60	दिन
10	मोबाइल सैट लाइट सर्विस-रिपोर्टिंग (एमएसएस-आर) लाइसेंस जारी करना।	कंपनी द्वारा एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवेदक कंपनी के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	60	दिन
11	ओएफसी अथवा वायरलेस पर प्राइवेट कैप्टिव सीयूजी नेटवर्कों के लिए अनुमति जारी करना।	आवेदक कंपनी के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगा समय।	60	दिन
12	नई सैटलाइट सेवाओं/नेटवर्क को जोड़ने के लिए लाइसेंसधारियों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी जारी करना।	एपेक्स समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नई सैटलाइट सेवाओं/नेटवर्क को जोड़ने के लिए लाइसेंसधारियों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी जारी करने में लगा समय।	60	दिन
13	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आवेदन की कार्यविधि।	आवेदन की संवीक्षा करने और विसंगति, यदि कोई हो, का उल्लेख करने हेतु, अथवा अतिरिक्त अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, प्राप्त करने में लगा समय।	15	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		अनुस्मारकों को जारी करने के बाद भी विसंगति का अनुपालन न करने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने में लगा समय।	90	दिन
		एफआईपीबी आवेदन, यदि कोई हो, के संबंध में टिप्पणियां/विचार प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग के अन्य प्रभागों से परामर्श करने में लगा समय।	21	दिन
		दूरसंचार विभाग की आईपी यूनिट में संपूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, एफआईपीबी (डीईए) द्वारा संदर्भित आवेदन की प्रक्रिया और टिप्पणियां भेजने में लगा समय।	30	दिन
14	डीजीएफटी को प्रस्तुत इनपुट-आउटपुट मानदंडों हेतु निर्यातकों से आवेदन की कार्यविधि।	आवेदन की संवीक्षा करने और विसंगति, यदि कोई हो, का उल्लेख करने हेतु, अथवा अतिरिक्त अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, प्राप्त करने में लगा समय।	15	दिन
		अनुस्मारकों को जारी करने के बाद भी विसंगति का अनुपालन न करने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने में लगा समय।	90	दिन
		दूरसंचार विभाग की आईपी यूनिट में संपूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, डीजीएफटी द्वारा संदर्भित आवेदन की प्रक्रिया और टिप्पणियां भेजने में लगा समय।	30	दिन
15	शिकायत निवारण तंत्र/ शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना।	संबंधित यूनिटों / अधीनस्थ संगठनों को शिकायत प्राप्त करने और अग्रेषित करने में लगा समय।	3	कार्य-दिवस
		शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में शिकायत पंजीकरण/प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के लिए अंतरिम/अंतिम प्रत्युत्तर जारी करना।	95	%



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
16	सरकार/बीएसएनएल के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों/पेंशनरों के संबंध में सेवा-निवृत्ति लाभ/पेंशन मामलों का संशोधन करना।	प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने और कमियां, यदि कोई हो, का उल्लेख करने में लगा समय।	15	कार्य-दिवस
		कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्डों की जांच करने और प्राप्त मामलों के संबंध में कमियां, यदि कोई हो, का उल्लेख करने में लगा समय।	20	कार्य-दिवस
		अपेक्षित सूचना / दस्तावेज प्रस्तुत करने और इनका पालन करने हेतु संबंधित प्रशासनिक यूनिटों को अनुरोध जारी करने में लगा समय।	10	कार्य-दिवस
		सभी तरह से पूर्ण सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने और इन्हें आगे की कार्रवाई हेतु पीएफपी को अग्रेषित करने के पश्चात् पेंशन गणना शीट तैयार करने में लगा समय।	25	कार्य-दिवस
		आगे की कार्रवाई हेतु पीएफपी को बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के मामलों को अग्रेषित करने में लगा समय।	7	कार्य-दिवस
17	पेंशनरों के पहचान-पत्र, सेवा प्रमाणपत्र, अर्हक सेवा प्रमाणपत्र जारी करना, बीएसएनएल पेंशनरों के लिए आईडीए आदेशों को परिचालित करना। वेबसाइट इत्यादि के माध्यम से पेंशनगत मामलों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना।	सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से पेंशनरों के पहचान-पत्र तैयार करने में लगा समय।	20	कार्य-दिवस
		दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को प्रदान की गई दूरभाष रियायती सुविधा का लाभ उठाने के लिए सेवा प्रमाणपत्र तैयार करने में लगा समय।	15	कार्य-दिवस
		डीपीई से औद्योगिक महंगाई राहत से संबंधित आदेशों को परिचालित करने में लगा समय।	03	कार्य-दिवस
		आदेशों को जारी करने की तारीख से वेबसाइट पर पेंशन संबंधित ओदश अपलोड करने में लगा समय।	03	कार्य-दिवस



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
18	दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल के पेशनरों/परिवार पेंशनरों के संबंध में शिकायतों का निपटारा करना।	शिकायत प्राप्त की तारीख से संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को शिकायत-आवेदन अग्रेषित करने में लगा समय।	05	दिन
		शिकायत प्राप्त की तारीख से इस अनुभाग से संबंधित ऐसी शिकायतों का निपटारा करने में लगा समय।	30	दिन
19	बिल तैयार करने संबंधी विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7बी के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति करना।	सभी तरह से संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से लगा औसत समय।	14	कार्य-दिवस
20	राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) लाइसेंस जारी करना।	लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
		दूरसंचार विभाग के वित्त स्कंध द्वारा आवेदन की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
		आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	20	दिन
		सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगा समय। एलओआई की वैधता 3 महीने की है। दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से अदेय-प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध करना।	5	दिन
		दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से अदेय-प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लगा समय।	45	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक कंपनी के साथ एनएलडी सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगा समय।	10	दिन
21	अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस जारी करना।	लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/ विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
		दूरसंचार विभाग के वित्त स्कंध द्वारा आवेदन की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां / विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
		आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	20	दिन
		सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक की कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगा समय। एलओआई की वैधता 3 महीने की है। दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से अदेय-प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध करना।	5	दिन
		दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से अदेय-प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लगा समय।	45	दिन
		एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक की कंपनी के साथ एनएलडी सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगा समय।	10	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
22	एनएलडी/आईएलडी लाइसेंस के तहत विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्रदान करना।	लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	15	दिन
		सुरक्षा एजेंसियों के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने में लगा समय। सुरक्षा एजेंसियों से टिप्पणियों/अनुमोदनों का प्राप्त किया जाना।	60	दिन
		विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी जारी करने हेतु कार्यवाही करने और अनुमोदन जारी करने में लगा समय।	10	दिन
23	एनएलडी/आईएलडी लाइसेंस धारित कंपनी के नाम, पंजीकृत कार्यालयी पते में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध करना।	आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
		एनएलडी/आईएलडी लाइसेंस धारित कंपनी के नाम में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध के लिए कार्यवाही करने और अनुमोदन जारी करने में लगा समय।	20	दिन
24	पीएमआरटीएस/सीएमआरटीएस लाइसेंस जारी करना।	लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता की संवीक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना। आवेदन पूर्ण हो जाने पर निम्नलिखित को अग्रेषित कर दिया गया है:- i) परीक्षण और टिप्पणियों के लिए टीईसी/डब्ल्यूपीसी को। ii) दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से "अदेय-प्रमाणपत्र" के अनुरोध हेतु।	30	दिन
		आशय-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय पुनरीक्षण/अनुमोदन हेतु मामले	20	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		को भेजने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।		
		आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	30	दिन
		सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगा समय। एलओआई की वैधता 3 महीने की है।	5	दिन
		करार पर हस्ताक्षर करने हेतु कंपनी से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से आवेदक कंपनी के साथ (एलओआई की शर्तों, अदेयता संबंधी मंजूरीयों का अनुपालन करने के पश्चात्) पीएमअसरटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगा समय।	10	दिन
25	अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-। को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।	आवेदन की संवीक्षा करने में लगा समय और आवेदक को कमियां / विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	15	दिन
		पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए वांछित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में लगा समय। इस अनुमोदनार्थ, आईपी-। प्रमाणपत्र जारी किया गया है।	20	दिन
26	वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा (यूएमएस) लाइसेंस जारी करना।	लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता की संवीक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		आवेदन पूर्ण हो जाने पर निम्नलिखित को अग्रेषित कर दिया गया है:- i) दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से "अदेय-प्रमाणपत्र" के अनुरोध हेतु। ii) वित्तीय पुनरीक्षण/अनुमोदन प्रस्तुत करने हेतु।		
		आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	30	दिन
		आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	30	दिन
		सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगा समय। एलओआई की वैधता 3 महीने की है।	5	दिन
		करार पर हस्ताक्षर करने हेतु कंपनी से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से आवेदक कंपनी के साथ (एलओआई की शर्तों, अदेयता संबंधी मंजूरीयों का अनुपालन करने के पश्चात्) पीएमअसरटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगा समय।	10	दिन
27	अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग एसआईओएम कार्डों और ग्लोबल कॉलिंग कार्डों के क्रय/किराए पर लेने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का नवीकरण करने के लिए अनुरोध करना।	संवीक्षा करने और आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना में लगा समय।	10	दिन
		अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के नवीकरण को जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय।	20	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
28	अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों और ग्लोबल कॉलिंग कार्डों के क्रय/किराए पर लेने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करना।	एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता की संवीक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/ विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
		अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	30	दिन
29	वायरलेस लाइसेंसों (806 मेगाहर्टज़ से अधिक) को प्रदान करना।	एआईपी पत्र जारी करने में लगा समय। (क) प्रथम प्रयोक्ताओं के मामले में (वे व्यक्ति जिनके पास डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी डब्ल्यूओएल नहीं है) (ख) वे व्यक्ति जो प्रथम प्रयोक्ता नहीं हैं (वे व्यक्ति जो पहले से ही डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी एक अथवा इससे अधिक डब्ल्यूओएल धारित हैं) (न्यायाधीन मामलों के लिए लगा समय माननीय न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगा।)	30	दिन
		एआईपी के विरुद्ध वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		डब्ल्यूओएल का नवीकरण करने में लगा समय।	15	दिन
30	वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंसों (806 मेगाहर्टज़ से कम) को प्रदान करना।	एआईपी पत्र जारी करने में लगा समय। (क) प्रथम प्रयोक्ताओं के मामले में (वे व्यक्ति जिनके पास डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी डब्ल्यूओएल नहीं है) (ख) वे व्यक्ति जो प्रथम प्रयोक्ता नहीं हैं (वे व्यक्ति जो पहले से ही डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी एक अथवा इससे अधिक डब्ल्यूओएल धारित हैं)	30	दिन
		एआईपी के विरुद्ध वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगा समय।	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		डब्ल्यूओएल का नवीकरण करने में लगा समय।	15	दिन
31	वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (जीएसएम/सीडीएमए/3जी/पीएमआरटीएस) प्रदान करना।	फ्रीक्वेंसी आवंटन जारी करने के मामले की कार्रवाई करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् ऑपरेटिंग लाइसेंस जारी करने में लगा समय।	30	दिन
32	सैटेलाइट सेवाओं हेतु वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रदान करना।	एआईपी पत्र जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		एआईपी के विरुद्ध वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		डब्ल्यूओएल का नवीकरण करने में लगा समय।	15	दिन
		टीवी चैनल की सिफारिश करने में लगा समय।	30	दिन
33	एमच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एएसओसी) लाइसेंस/लाइसेंस/दक्षता प्रमाणपत्र (सीओपी) लाइसेंस जारी करना।	सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् एएसओसी लाइसेंस जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् एएसओसी लाइसेंस के नवीकरण को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (परमिट) को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (रूपांतरण) को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (परमिट) के नवीकरण-प्रमाणपत्र को जारी करने में लगा समय।		
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (रूपांतरण) के नवीकरण-प्रमाणपत्र को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली (सामान्य प्रचालक प्रमाणपत्र) जीएमडीएसएस (जीओसी) के नवीकरण-प्रमाणपत्र को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (वैमानिक) - आरटीआर(ए) लाइसेंस के नवीकरण को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
		पुरानी समुद्री लाइसेंस अर्थात् सीओपी द्वितीय श्रेणी (एसएनडी), सामान्य रेडियो प्रचालक प्रमाणपत्र (आरओजीसी), सामान्य रेडियो टेलीफोनी (आरटीजी), प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (समुद्री)-आरटीआर (एम), अंतर्देशीय समुद्री रेडियो टेलीफोनी (आरटीआईएम), सीओपी प्रथम श्रेणी (एफएसटी), सीओपी विशेष (एसपीएल) के नवीकरण को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
34	फ्रीक्वेंसी आवंटन के संबंध में स्थाई सलाहकार समिति (एसएसीएफए) का मंजूरी-प्रमाणपत्र जारी करना।	एसएसीएफए की मंजूरी (पूर्ण स्थल/मस्तूल ऊंचाई-7/40 श्रेणी स्थलों अर्थात् निकटतम एयरपोर्ट संदर्भ बिंदु (एआरपी) से कम से कम 7 कि.मी.पर स्थित स्थल/एंटीना और	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		एक प्रभावी टॉवर/मस्तूल ऊंचाई जो कि एआरपी स्थल की ऊंचाई के संबंध में 40 मीटर से अधिक न हो)) को जारी करना।		
		एसएसीएफए की मंजूरी (पूर्ण स्थल/मस्तूल ऊंचाई-7/40 श्रेणी से भिन्न स्थल) को जारी करना।	30	दिन
		3. "छूट श्रेणी" के तहत स्थलों के लिए स्थल संबंधी मंजूरी जारी करना।	30	दिन
		4. अतिरिक्त एंटीना संबंधी मंजूरी जारी करना।	30	दिन
35	सी-डॉट के माध्यम से दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करना।	संपूर्ण व्यावसायिक योजना प्राप्त होने की तारीख से अनुमोदित योजना प्राप्त करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।	90	दिन
		समझौता-ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्राप्त होने की तारीख से समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।	60	दिन
		सी-डॉट से वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि का विवरण प्राप्त होने की तारीख से अनुमोदित कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।	45	दिन
		सी-डॉट से प्राप्ति पर वित्तीय संवीक्षा करने की स्वीकृति जारी करने के लिए सी-डॉट का अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।	15	दिन
		वित्तीय सहमति प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने ओर मंजूरी-ज्ञापन जारी करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।	15	दिन
		सी-डॉट से कार्य-निष्पादन की समीक्षा	60	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
		रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लगा समय।		
36	राष्ट्रीय संख्यांकन योजना की व्यवस्था करना।	आवेदन प्राप्त होने और कोड का आंक्टन होने के पश्चात् लगा औसत समय।	40	दिन
37	विधिसम्मत अंतरावरोधन निगरानी क्षमताओं के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी देना।	आवेदन प्राप्त होने और प्रदर्शन की तारीख निर्धारित करने के लिए पत्र जारी करने के पश्चात् लगा समय।	15	दिन
		सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त होने और लाइसेंसधारकों को दिशा-निर्देश जारी करने के पश्चात् लगा समय।	30	दिन

विभागाध्यक्ष

सचिव (दूरसंचार),

दूरसंचार विभाग,

210, संचार भवन,

नई दिल्ली-110001

दूरभाष सं० 011-23719898, फैक्स सं० 23711514

ई-मेल आईडी: secy-dot@nic.in

हमारी वेबसाइट - www.dot.gov.in

संपर्क सूत्र

श्री एस.एस. सिंह

उप महानिदेशक (लोक शिकायत)

दूरसंचार विभाग

1210, संचार भवन, नई दिल्ली-110001

दूरभाष सं० 011-23372131, फैक्स सं० 23372605

ई-मेल आईडी: ddgpg-dot@nic.in

— ★ ★ ★ ★ ★ —



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली